खण्ड-193, अंक-8
शनिवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1880
(22 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २२ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३१५)

अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी , श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जरीर जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पड्डबरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री

रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष––मेरे पास ३, ४ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। इनमें से ज्यादा महत्व न रखने वालों को मैं पढ़ नहीं रहा हूं। एक तो सीमेंट के वितरण के बारे में जंग बहादुर जी का बाराबंकी का है। दूसरा कानपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक के किसी आदेश के सम्बन्ध में है। कल शिक्षा मंत्री का अनुदान मौजूद था उस समय माननीय सदस्य ये बातें कह सकते थे। माननीय सुरथबहादुर शाह का प्रस्ताव भी कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उसका सम्बन्ध है इस सदन के एक माननीय सदस्य की भूख–हड़ताल से जो किसी

अफसर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध है । पार्लियामेन्टरी पद्धति में यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिये कामरोको प्रस्ताव आवे । यदि आत्मा की शुद्धि के लिये कोई अनशन किया जाता है तो उसके ऊपर चर्चा करना यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

जिला इटावा के ग्राम विरिया फफूंद में चकबन्दी टैक्स की बलपूर्वक वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक श्री भजनलाल जी का है, जिसे मैं पढ़ता हूं :--

"ग्राम विरिया-फफूंद पोस्ट दखलीपुर, परगना औरैया, जिला इटावा में दिनांक १५-३-५८ ई० को चकबन्दी का टैक्स जो १।। रुपया फी एकड़ के हिसाब से लगाया गया, उसकी वसूली जबरदस्ती सख्ती के साथ की गई । उस ग्राम में उपरोक्त दिनांक को अमीन एवं कलेक्शन नायब तहसीलदार मय २५ या २६ चपरासियों के ग्राम में घेरा डालकर व्यक्तियों को पकड़-पकड़ कर गाली-गलौज थप्पड़, घूंसे से टैक्स वसूल किया गया, कुर्कियां की गईं । क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं था, बरतन, कपड़े और जेवर गिरवी रखकर टैक्स अदा किया । कई एक व्यक्तियों के रुपया देने पर नहीं लिये और उनके बैल छोर कर मवेशीखाने में बन्द करवा दिया । ग्राम की जनता ने कहा था कि प्रधान साहब को आ जाने दीजिये, वह बाहर गये हुये थे, इसी पर अधिकारी लोग आग-बबूला हो गये ।

मेरे पास उस ग्राम के प्रधान की दरख्वास्त आई, मैं स्वयं दिनांक १७-३-५८ ई० को उस ग्राम पहुंचा । मैंने जांच की, उपरोक्त वक्तव्य बिलकुल सही पाये । मेरे पास सारे प्रार्थना-पत्र एवं जांच के कागजात मौजूद हैं ।

इस प्रकार से सख्ती एवं मारपीट से चकबन्दी टैक्स की वसूली से उस ग्राम एवं सारे क्षेत्र में भयंकर क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है और सारे क्षेत्र में हाहाकार मच गया है । अतः इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही पर विचार करने-हेतु आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इस विषय पर जानकारी हासिल करने के लिये मैंने अभी माल मंत्री जी से पूछने का प्रयत्न किया लेकिन वह यहां मौजूद नहीं हैं । सचेतक से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है । ऐसी हालत में मैं इसे सोमवार को लूंगा क्योंकि जो कागजात माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके पास मौजूद हैं, वे अभी उन्होंने मेरे पास उपस्थित नहीं किये हैं । माननीय सदस्य उन्हें मेरे पास कृपाकर भेज दें । उनको भी मैं देख लूं । माल मंत्री जी भी परसों तक आ जावेंगे और जो कुछ जानकारी होगी वह सदन को दे सकेंगे । तब मैं निश्चय करूंगा कि यह वैध है या नहीं । मैंने प्रस्ताव तो सुना ही दिया है ।

१९५८-५९ के आय-व्यय में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान
अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां

श्री अध्यक्ष--इसमें पहले तीन अनुदानों पर बहस नहीं होगी । इसलिये उनके उपस्थित होने के बाद उनके ऊपर मैं राय ले लूंगा ।

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १,५६,९६,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मेरा वैधानिक प्रश्न है। लेखा और अनुदान के सम्बन्ध में जो भी दिन और समय का बन्धन होता है वह नेता सदन नेता विरोधी दल की सलाह से करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नेता सदन ने नेता विरोधी दल के परामर्श से आज के लिये यह रखा है। अगर नहीं रखा है तो आज कैसे लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह पहले ही निश्चित कर दिया गया था। एक रोज इसके बारे में जिक्र हुआ और उस वक्त यह बात यहीं सदन में तय हुई थी।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, कौन सी ग्रान्ट किस दिन ली जायगी, जिस समय नेता सदन से इसकी सूचना दी गई थी, जितने भी विरोधी दलों के इस आदरणीय सदन में नेता हैं, जिनके नेता नहीं थे उनके प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे--समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि श्री उग्रसेन जी थे---उस दिन यह निश्चय हुआ था।

श्री राजनारायण---यह आज के लिये नहीं है। यह कल के लिये था जो बीत चुका है। माननीय उग्रसेन जी ने जो बात वहां तय की है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और त्रिलोकी सिंह जी की बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं। यह कल के लिये था जो कल बीत चुका है, जैसा मैंने अभी निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। बात यह है कि पहले दिन यह बात तय हुई थी कि यह कल के दिन यानी २१ तारीख को खत्म किया जाय। पहले ग्रुप में शामिल कर दिया था पहले। लेकिन इसके बाद जब मैंने एनाउंसमेंट किया उस वक्त इस बात का एतराज हुआ था कि पहले ग्रुप में उसे कैसे शामिल कर लिया गया, वह तो दूसरे दिन के लिये होना चाहिए था। यह एतराज मैं समझता हूं कि गौरीशंकर रायजी का था। उन्होंने कहा था कि उसे दूसरे दिन के ग्रुप में शामिल कर लिया जाय। तो मैंने कहा कि उसकी मैं जांच कर लूंगा। दूसरे दिन मुझसे कहा गया कि यह तय हुआ था कि यह अनुदान २२ तारीख को लिया जायगा यानी दूसरे दिन लिया जायगा। शिक्षा वगैरह के साथ नहीं लिया जायगा। उसी के अनुसार कार्यक्रम में वह रक्खा गया। इसमें अब कोई राय लेने की बात नहीं है।

श्री राजनारायण---कल यह हुआ कि माननीय उपाध्यक्ष यहां पर विराजमान थे। उन्होंने इसे रखा। हमने इस पर डिवीजन काल किया, घंटी बजी। उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया कि संबंधित मंत्री जी ने इसे पेश ही नहीं किया है तो उस पर वोट कैसे हो सकता है ? कल जब उसे मूव नहीं किया जो दिन उसके लिये एलाटेड था, तो आज कैसे लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, एलाटेड नहीं था।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १,५६,९६,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---९४
विपक्ष में---१४।)

अनुदान संख्या २६---लेखा शीर्षक ४२---सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६---सहकारिता के आधार पर ऋण---लेखा शीर्षक ४२---सहकारिता के अन्तर्गत १,५३,३१,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६––सहकारिता के आधार पर ऋण–लेखा शीर्षक ४२––सहकारिता के अन्तर्गत १,५३,३१,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६––लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री मोहनलाल गौतम––अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६––औद्योगिक विकास––लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,५५,५३,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६––औद्योगिक विकास––लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,५५,५३,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :––

पक्ष में––९६,
विपक्ष में––१४ ।)

अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५७––अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

***हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)**––अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०––अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान–लेखा शीर्षक ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत १,४६,६४,५०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

मुझे बहुत खुशी है कि सदन ने काफी समय हरिजन विभाग के सिलसिले में देने की की कृपा की । इसमें शक नहीं है कि जिन लोगों के लिये यह विभाग खोला गया है उनकी तरफ हमेशा जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया, लेकिन इस साल उस पर काफी ध्यान देने की बात अपोजीशन की ओर से हुई है और उसका मैं स्वागत करता हूं । बड़े-बड़े विभागों को छोड़कर जिनकी तीन-तीन, चार-चार करोड़ की मांगें थीं उनकी छोड़कर इस छोटे से विभाग की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है यह बहुत प्रसन्नता की बात है । इस वर्ष का जो बजट है उसमें नान-प्लान्ड आइटम्स पर २८,८५,४०० रुपया और प्लान्ड आइटम्स पर १,१७,७९,१०० रुपया व्यय होगा और इस तरह से यह हरिजन विभाग का सब से बड़ा बजट १,४६,६४,५०० रुपये का है । कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी के लिये और जो आज इतनी दिक्कतें, परेशानियां और कठिनाइयां हैं उनके लिये यह पैसा काफी नहीं है । मैं भी उनकी राय से इत्तफाक करता हूं । लेकिन एक बात अक्सर नुकताचीनी करने वाले भूल जाते हैं कि यह रुपया अतिरिक्त रुपया है, सप्लीमेंट करने के लिये है । यह पूरा रुपया जो हरिजनों और पिछड़ी जातियों पर खर्च किया जाता है वह नहीं है । जितने और विभाग हैं चाहे प्लानिंग हो, चाहे अस्पताल हो या शिक्षा हो, सब जगह जो खर्च किया जाता है वह हरिजनों को छोड़कर नहीं किया जाता है । वह हरिजनों और तमाम लोगों पर किया जाता है । यह उसके अतिरिक्त है जो हम खर्च करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मंगला प्रसाद]

पिछले साल बजट बहुत देर में पेश हुआ था और बहुत देर में उसका फैसला हुआ था । इसलिये बहुत सी दिक्कतें हमारी बहुत से संस्थाओं और बहुत से लोगों को हुईं । एक गलती और हुई थी । जो रुपया खर्च होता है बहुत काफी है, लेकिन शिक्षा में सिर्फ १२ लाख रुपया बजट में रखा गया था जब कि उस पर खर्च ४० लाख रुपये के करीब हुआ । करीब पौने सत्ताइस लाख रुपया हमको सप्लीमेंटरी बजट में लेना पड़ा । तब जा कर हम शिक्षालयों को पैसा दे सके और शिक्षालयों को उसकी वजह से काफी दिक्कत हुई । इस साल जो हमने बजट रखा वह शिक्षा के सिलसिले में करीब ८२ लाख रुपया रखा है । इस साल समय पर तमाम शिक्षा संस्थाओं को पैसा मिलता रहेगा । उनको दिक्कत नहीं होगी । उनको जो परेशानियां हुईं वह आइन्दा नहीं होंगी ।

अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में मेरी राय यह है कि वह दया के पात्र नहीं हैं । उनको दया नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ केवल हरिजनों के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए होना चाहिये। यदि आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, देश की पैदावार बढ़े, देश की आर्थिक हालत अच्छी हो तो जब तक हरिजनों के अन्दर, पिछड़ी जातियों के अन्दर शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, उनका उभार नहीं होगा, उनकी चहुमुखी तरक्की नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। श्रमधन जो इस देश का सबसे बड़ा धन है और वही असली धन है, वह सब उन्हीं लोगों के पास है । लेकिन उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं । उनकी अगर तरक्की होती है, उभार आता है, उनके अन्दर नवजीवन का संचार होता है, वह अच्छी हालत में होते हैं तो आपके देश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और चहुमुखी तरक्की हो सकती है । इसलिए मेरा खयाल यह है कि अक्सर बहुत से लोग दया के भाव से कहते हैं कि हरिजनों में यह काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सोचने का गलत तरीका है और हम को देश की उन्नति के लिए, देश में उभार पैदा करने के लिए, देश में शक्ति पैदा करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इन सब पिछड़े हुये भाइयों को आगे ले जाकर सबके बराबर कर दें । तभी हम देश की सही मानी में तरक्की कर सकते हैं । इस साल जब हमने इस काम को लिया उसको करीब दस महीने हो गये । जब मैं इस विभाग का मंत्री बनाया गया था मुझे कभी यह खयाल भी नहीं था कि मैं इस विभाग का मंत्री हूंगा । लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक हरिजनों के काम से करीब ४४–४५ साल से था इसलिए जब वह मुझे मिला तो मैंने उसका स्वागत किया । मैं उस काम में लगा । बजट, जैसा मैंने कहा, बहुत देर से पास हुआ । और मेरी वाकिफयत भी बहुत कम थी इसलिए बहुत सी दिक्कतें, जो काम करने के तरीके थे, उनमें हुईं । मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे।

मैंने जब बजट और उसके प्राविजन्स को देखा तो एक चीज़ पायी कि हरिजनों के लिये मकान बनाने, मरम्मत वगैरह के लिये पैसा रखा गया है लेकिन उनके लिये जमीन का मकान बनाने के लिये कोई प्राविजन नहीं रखा गया । प्लानिंग के अन्दर कोई पैसा नहीं था । मेरा खयाल है, एक गांव के रहने वाले की हैसियत से कि सबसे जरूरी काम हरिजनों के लिये दो-तीन ही हैं । एक तो उनकी आर्थिक तरक्की करना, उनको शिक्षा देना और तीसरे रहने की हालत उनकी इतनी बदतर है कि उस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है । उस तरफ अपना कदम आगे बढ़ाना । मैंने देखा कि मकान बनाने के लिये, मरम्मत के लिये पैसा रखा गया लेकिन साइट के लिये कोई पैसा नहीं । आप जानते हैं कि हरिजन भाई ज्यादातर ऐसी जगहों में रहते हैं गांव में जो सबसे खराब जगहें होती हैं, नीची होती हैं और बहुत कम जगह होती है । आबादी उनकी बहुत बढ़ गई है लेकिन जगह उतनी ही है, मकान भी उतने ही हैं । इसलिए उनको कहीं आगे निकल कर कुछ मकान का हिस्सा बनाने और कम से कम पैर फैलाकर सोने का मौका होना चाहिये और उसके लिये बजट में और प्लानिंग में कोई प्राविजन नहीं था । इसलिए मैंने प्रयत्न किया दिल्ली भी गया, जो लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले थे उनसे मिला और आखिर में मुझे कामयाबी हुई । और इस साल ५० हजार रुपया हमने

बजट में रखा है इस काम के लिये कि हम साइट्स खरीद करके, ले करके, हरिजनों को दे सकें। मैं समझता हूं कि ५० हजार बहुत कम है लेकिन यह भी समझता हूं कि बहुत सी जमीनें मुफ्त मिल जायंगी, गांव समाज से मिल जायंगी। जहां जमीन नहीं मिल सकेगी और खरीदने से ही मिल सकेगी वह हम इस रुपये से खरीदने को तैयार होंगे और अगर खरीदने से नहीं मिलेगी तो एक्वायर भी करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का खयाल है कि एक्वायर नहीं हो सकती। मैंने लीगल ओपीनियन ली तो मालूम हुआ वह एक्वायर हो सकती है।

एक दूसरी कमी हमको दिखाई पड़ी जो शिक्षालय हरिजनों की तरफ से खोले गये, चारों तरफ जिनकी तादाद काफी है उनमें जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनकी तनख्वाह प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से बहुत कम थी। काम उनका वही था जो प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापकों का है, स्टैन्डर्ड भी उनका दोनों का एक-सा था। लेकिन तनख्वाह पे करने का तरीका दोनों का अलग-अलग था, क्योंकि तनख्वाह में फर्क था। हमने इस साल यह किया कि हरिजन विद्यालयों के जो टीचर्स होंगे वही उनको तनख्वाह मिलेगी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मिलती है। यह भेदभाव जो था उसको इस तरह से खत्म किया गया। माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि इस विभाग में करीब ४४ नये हरिजन वेलफेयर अफसर मुकर्रर हुए और अब सूबे के हर जिले में एक,-एक हरिजन वेलफेयर अफसर हो गया है। जो सन् गुजरा है उसी में यह मुकर्रर किये गये हैं। यह बिल्कुल नये थे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे और इनको बहुत वाकिफयत भी नहीं थी, कुछ शहरों के लोग भी थे जिनको बहुत कम वाकिफयत थी। इसके लिये उनसे ३-४ महीने हर तरह का काम लिया गया जिससे उनकी जानकारी काफी बढ़ी। हमारे बहुत से साथी शिकायत करेंगे कि देर में क्लर्क मुकर्रर किये, चपरासी मुकर्रर किये। जान-बूझ कर ऐसा नहीं किया गया। लेकिन यह अवश्य किया कि अगर अपने हाथों से काम करना सीख लेंगे तो आइंदा दूसरों से भी काम ले सकेंगे। इसलिये हमने इनको मुकर्रर नहीं किया और ४-५ महीने काम करने के बाद लखनऊ में रख कर १० दिन की ट्रेनिंग कराई और बताया गया कि कैसे और क्या काम करना चाहिये। इसके बाद जो उनकी आवश्यकता क्लर्क व चपरासी आदि की है वे उनको मिल गई हैं। जगह-जगह वे पहुंच गये होंगे और जहां नहीं पहुंचे होंगे वहां पहुंचते होंगे।

पिछले साल बजट में रुपया कम होने से एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में फीस माफी, स्कालरशिप और किताबों आदि के लिये जो पैसा दिया जाता है वह बहुत कम मिल सका। कहीं-कहीं तो प्रिन्सिपल्स ने इस पर एतबार नहीं किया और उन्होंने फीस लेना शुरू कर दिया। खैर, उनको रोका गया। बहुत दिक्कत नहीं हुई लेकिन कहीं-कहीं ऐसा हुआ। इस साल पूरा प्राविजन कर दिया है और अगर अब सप्लीमेंटरी में लेना भी पड़ेगा तो लाख, दो लाख लेना पड़ेगा जब कि पिछले साल २७ लाख लिया। वक्त से इंस्टीट्यूशन्स को पैसा मिलता रहेगा जिसमें कि उनको दिक्कत न हो।

इस साल हमने एक काम और किया। हमारे कुछ ट्रेनिंग सेन्टर्स थे जहां टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती थी हरिजन और पिछड़ी जाति के बच्चों को। उन शिक्षालयों की ट्रेनिंग को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत थी। वहां कुछ ज्यादा एस्पेश्लाइज्ड और ट्रेंड लोगों को रखने की जरूरत थी। इसलिये इस साल हमने प्राविजन किया। ऐसे कुछ ज्यादा आदमी बढ़ाने की आवश्यकता है जो ज्यादा क्वालीफाइड हों और अनुभवी हों और वहां जाकर उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा रख सकें। उसमें आइंदा तरक्की की उम्मीद है। ऐसा इसलिये किया गया कि मुझे मालूम हुआ कि बहुत से लड़के जो पास होकर निकलते हैं उनको काम की इतनी कम वाकिफयत होती है कि उनकी आसानी से लोग नौकर नहीं रखते। इसलिये इसमें ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ी।

[श्री मंगला प्रसाद]

पिछले साल हमारे यहां ८१ सोशल वर्कर्स मुकर्रर हुये लेकिन देर में हुये क्योंकि एक तो बजट देर में पास हुआ और दूसरे जो रिपोर्ट्स मंगायी गईं वे देर में आयीं और मुकर्रर करते करते काफी देर हो गयी। इस साल अभी से हमने सोशल वर्कर्स के बारे में इंतजाम करना शुरू कर दिया है और इस साल मई के अन्त तक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सोशल वर्कर्स मुकर्रर कर दिये जायं जिससे वे १० महीने काम कर सकें। अभी तक इन्होंने ३–४ महीने ही काम किया है इसलिये इनके बारे में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। अगले साल १२ महीने काम कर सकेंगे ऐसा इंतजाम कर दिया जायगा। बैकवर्ड क्लास के लिये पारसाल ८,४०,००० के स्कालरशिप्स का प्रावीजन था। इस साल बढ़ा करके ११,५०,००० कर दिया गया है। यह आप भली-भांति जानते हैं कि प्लानिंग की वजह से जो ५ वर्ष की एक शक्ल बन जाती है उसमें इधर उधर करना, बहुत घटा बढ़ा देना तो मुमकिन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बहुत पैसा बढ़ जाय। आप देखेंगे कि प्लानिंग की वजह से बजट के और प्राविजंस में बहुत कमी हुई है, लेकिन हरिजन विभाग में बहुत कमी नहीं होने पायी है, बल्कि और वृद्धि हुई है और इसमें पहले कुछ बढ़ाया ही गया है।

जहांतक प्रोपेगैंडे का सवाल है, वह हम करते हैं और हमने इस बीच में दो फिल्म भी बनायी हैं, एक "दलित कुसुम" और एक "पतित पावन"। अभी इसके चलने में थोड़ी दिक्कत इसलिये है कि १६ मिलीमीटर का प्रिंट अवेलेबिल नहीं है और फारेन एकसचेन्ज की जो दिक्कत है उसकी वजह से यह चीज है। जैसे ही वह मिल जायगी हम उसको चला सकेंगे। इस साल हमने करीब १७ जिलों में एग्जीबीशंस, मेले वगैरह में हिस्सा लिया है। पहले इस से बहुत कम हिस्सा लिया जाता था। आइंदा साल जो आने वाला है उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि करीब-करीब हर जिले में हम एग्जीबीशंस, मेले इत्यादि में हिस्सा ले सकेंगे।

इस साल एक और खास बात हुई कि सूबे भर में ५१ जिलों में गांधी दिवस मनाया गया। गांधी दिवस हमारे इस विभाग के लिये और हरिजनों के लिये खास तौर से एक बहुत मुबारक दिन है और उस दिन को हम अब तक मानते नहीं थे, अलग-अलग कोई कुछ कर ले। लेकिन इस साल हमने इक्कावनों जिलों में बाकायदा जोरशोर के साथ इस दिवस को मनाया और हर साल उसमें हमारा जोर और बढ़ता जायगा, ऐसी आशा है।

एक चीज की काफी शिकायत रही है कि नौकरियों में हमारे हरिजन भाई और पिछड़ी जाति वाले बहुत कम लिये जाते हैं, खासकर हरिजन भाई और उसकी वजह लोग शायद नहीं जानते इसलिये ऐसी शिकायत करते हैं। मैं कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जब था तो उस समय मैंने हर साल, जब तक रहा: १८ परसेंट हरिजनों को हर साल लिया। एप्लीकेशंस हमेशा १० परसेंट, ८ परसेंट, ७ परसेंट ६ परसेंट आती रहीं। उसकी वजह यह है कि हरिजनों को अब तक अखबारात पहुंचते नहीं है। यह उनको मालूम ही नहीं होता कि कौन जगह खाली है। अगर मालूम होता तो वह दरख्वास्तें दे सकते। तो मैं यह करता था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जितनी आयीं, उनमें से जो अच्छे हुये सब को ले लिया, उसके बाद मेम्बरों से, हरिजन आश्रम से और जगह से इकट्ठे करके उनको बाद को ले लिया करता था। अब हमने यह किया है कि हरिजन वेलफेयर आफिसर्स इक्कावनों जिलों में रजिस्टर रखेंगे। हमने अपने मेम्बरों से यह प्रार्थना की है और अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से कर रहा हूं कि वह हमारे साथ सहयोग करें। जिलों में जो वेलफेयर आफिसर्स रजिस्टर रखेंगे उसमें जितने हरिजन लड़के पढ़े-लिखे और नौकरी चाहने वाले होंगे उनकी फेहरिस्त होगी, एप्लीकेशंस उनकी होंगी और वह यह कोशिश करेंगे कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में उनके नाम लिखवाये जायं और बराबर उनकी मदद करते रहें, जिसमें यह शिकायत तो कम से कम न हो आफिसर्स को और रेकरूटिंग आफिसर्स को कि पर्याप्त अप्लीकेशंस नहीं मिलीं। हम क्या करें। मेरा खयाल है कि इन थोड़े दिनों में हरिजनों में इतनी शिक्षा बढ़ गयी है कि काफी क्वालीफाइड आदमी हर काम के लिये मिल सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको मालूम ही नहीं होता कि कब ऐडवर्टाइजमेंट होता है और कहां जगह

खाली हैं। तो इस कमी को हम उसी हालत में पूरा कर सकते हैं जब कि तमाम सदस्य हमारी मदद करें, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़े लिखे नौकरी के काबिल हों उनका पता उनको बता दें, हम तक भेज दें, हम अपने तरीके से भी अपने सुपरवाइजर वगैरह के जरिये से कोशिश करेंगे लेकिन माननीय सदस्य अगर हमारी मदद करेंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---कब तक भेज दें ?

श्री मंगला प्रसाद---वह रजिस्टर तो साल भर खुला रहता है, जब चाहे आप भेज सकते हैं।

इतने कटौती के प्रस्ताव आये हैं, सब में लोगों ने विवाद और सुझाव की बात कही है। मैं हर सुझाव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उन सुझावों पर चलकर के हम इस काम में काफी तरक्की कर सकेंगे। मेरा खयाल है कि हमारा जो एप्रोच अभी तक था उसमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिये और अगर थोड़ा फ़र्क होता है और सही माने में हम समझते हैं कि बगैर इनके हमारे मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, हमारे मुल्क का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, हमारे मुल्क में धन नहीं बढ़ सकता, हमारा देश शक्तिशाली नहीं हो सकता, तो हम बहुत जल्द सफल होंगे और जो छुआछूत की बीमारी और दूसरी बीमारियां, जैसे मंदिर में नहीं जाने देंगे, कुयें पर पानी नहीं भरने देंगे, हमारे अन्दर घुन की तरह लगी थीं वे दूर होंगी। मुझे आशा है कि हमारे माननीय सदस्य एक नयी भावना से इस समस्या को देखने का प्रयास करेंगे और हमको जो सुझाव देंगे उन पर चलने के लिये मैं कोशिश करूंगा ताकि उनसे पूरा-पूरा फायदा उठा सकूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में मैं आपकी आज्ञा से १ रुपये की कटौती पेश करता हूं। इस विषय पर विचार करते समय हमें इस मूल बात को सर्वदा ध्यान में रखना होगा कि भारत की समस्त शोषित और पीड़ित जातियों और वर्गों के उद्धार के साथ ही पिछड़ी जातियों और हरिजन वर्गों का भी पूर्ण उद्धार होगा।

(इस समय ११ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

कोई भी प्रयास समस्त प्रयास से अलग-अलग और एकांकी हो करके सफल नहीं हो सकता। लेकिन पिछड़ी जातियां चूंकि सदियों से और सहस्राब्दियों से पिछड़ी हैं और अनुसूचित जातियां उनमें भी सबसे पिछड़ी हैं। इसलिये इनकी ओर विशेष प्रयास की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियां चूंकि पिछड़ी जातियों में भी सबसे पीछे हैं इसलिये इनके ऊपर सबसे अधिक और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी कारण हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस महत्व को स्वीकार किया और सर्वदा उसकी आकांक्षा रही कि आजादी की प्राप्ति के बाद इनकी ओर राष्ट्र का ठोस कदम उठेगा। सरकार की ओर से जो प्रयास किये जा रहे हैं, मैं यह कभी नहीं कहता कि कोई भी उन्नति नहीं हुई, लेकिन जो प्रयास किये गये हैं, वे हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। वे क्रान्तिकारी उग्र कदम नहीं उठे जिनकी हमको आशा रही। सरकार की ओर से अभी तक इस बात की भी पूरी परिभाषा नहीं की गई है कि शिड्यूल्ड ट्राइब कौन है। पहाड़ी क्षेत्रों से, मुझे सूचना मिली है कि बहुत-सी जातियां हैं यानी थारु, बोक्सा और भोटिया वगैरह, इनके बारे में सन्देह है कि वह शिड्यूल्ड ट्राइब हैं या नहीं ? यही कारण है कि थारू जाति में जिसकी आबादी करीब ११,००० है, केवल एक ही आदमी ग्रेजुएट हो सका है और उसे भी बिलकुल साधारण फील्ड-टीचरी का काम दिया गया है। यह इस सरकार की नीति का नमूना है। इस नीति से पिछड़ी हुई जातियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है।

योजनाओं और पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध को देखिये। पहली योजना में कुल ३९ करोड़ रुपया हमारे देश में इन जातियों के ऊपर खर्च करने के लिये स्वीकृत किया गया था जिस में से केवल ३,०९,७७,००० रुपया प्रांत में खर्च करने का एस्टीमेट था। लेकिन ५ वर्ष के

[श्री झारखंडे राय]

बाद ३,०२,०८,००० रुपया खर्च हुआ। इस तरह से करीब ७ लाख रुपया बचा लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कंजूसी और किफ़ायतशारी क्यों की गई ? जितना खर्च करने की जरूरत महसूस की गई थी वह क्यों नहीं खर्च किया गया ? इसके अलावा इस द्वितीय योजना में ९० करोड़ और कहीं-कहीं ९१ करोड़ रुपया इस अनुदान के लिये रख हुआ है। इसमें से ५ करोड़ रुपया हमारे यहां खर्च होगा। इस ५ करोड़ में से कहीं-कहीं यह रकम करीब ४ करोड़ ७५ लाखरुपया बतायी गयी है। ३४७.१८ लाख रुपया शिड्यूल्ड कास्ट के लिये है और ७३ लाख रुपया बैकवर्ड क्लास के लिये है। आप देखेंगे कि यह रुपया जो ७३ लाख बैकवर्ड क्लासेज की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये है नगण्य है यानी नहीं के बराबर है।

हमारे प्रांत में पिछड़ी हुई जातियों की संख्या ४२ है। हमारी जनसंख्या में १९३१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार इनकी ५१ प्रतिशत संख्या रही है और हरिजन तथा अनुसूचित जातियों को मिलाकर उनकी संख्या अब ७० प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत तक आंकी जा रही है यानी हमारी जनसंख्या की दो तिहाई संख्या से ऊपर इन लोगों की है। इस हिसाब से यदि देखा जाय तो सरकार की योजनायें और अनुदान नहीं के बराबर हैं। इस साल १,४६,६४,५०० रुपये का अनुदान सरकार की ओर से पेश किया गया है। इसमें भी काफी कंजूसी की गई है। इस से पिछड़ी हुई जातियों को उन्नत करके उच्च जातियों के बराबर लाना है। फिर हमारा राष्ट्र कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। इन पिछड़ी हुई जातियों को उच्च जातियों के समक्ष लाने के लिये जिस जन, धन और प्रयास की आवश्यकता है, यह सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन जातियों के पिछड़ेपन का एक उदाहरण पेश करूंगा। यों तो सरकार ने इन जातियों की शिक्षा के लिये प्रायारिटी दे रखी है लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इनके आर्थिक विकास की ओर ध्यान देने की जरूरत है। केवल इनको शिक्षित करा देने से, उनके आर्थिक विकास के बगैर, वे प्रयास अधुरे और निष्प्राण रह जायंगे। हां तो मैं आपको बतला रहा था कि पिछड़ी हुई जातियां कितनी पिछड़ी हुई हैं इसका एक नमूना पिछले भुखमरी के जमाने में, जब कि एक साल पहले पूर्वी अंचल में भुखमरी फैली हुई थी, मुझे देवरिया जिले में घूम कर देखने का मौका मिला था। एक दिन एक नौजवान यादव से, जो अपनी भैंस और गायें चरा रहा था, मैंने पूछा कि तुम प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता शेरसिंह को जानते हो तो उसने जवाब दिया कि 'नहीं'। इसके बाद मैंने समझा कि जन प्रसिद्ध नेता गेंदासिंह जी के बारे में पूछूं तो मैंने उस से पूछा कि क्या तुम गेंदासिंह जी को जानते हो तो उसने जवाब दिया कि 'नहीं'। फिर मैंने उस से पूछा कि तुम महात्मागांधी को जानते हो तो उसने कहा कि हां जानता हूं। मैंने पूछा कि वह कहां हैं ? तो उसने कहा कि वह मर गये। फिर मैंने जवाहरलाल जी के बारे में पूछा कि क्या तुम जवाहरलाल नेहरू को जानते हो तो उसने कहा 'हां'। यह पूछने पर कि वह कहां हैं यह जवाब दिया कि इस समय इस संसार में नहीं हैं। यह देवरिया जिले के एक नौजवान यादव की जानकारी के मापदंड का हाल है, जो पिछड़े वर्ग का है। तो ऐसी जातियों के लिये जो रुपया शिक्षा हेतु रखा गया है वह अन्य मदों से अधिक होते हुये भी उनकी पूरी समस्या को देखते हुये बहुत ही कम है।

हरिजन सहायक विभाग का जो कार्य है उसके ऊपर भी हम एक दृष्टि डालना चाहता हूं। विविध-व्यय के लिये जो मद दी गयी है उसके अन्दर निरन्तर कमी होती गई है। सन् १९५४–५५ में २.२७ लाख और सन् १९५५–५६ में २.२६ लाख रखा गया है इसमें पहले साल की अपेक्षा कमी हुई है। सन् १९५६–५७ में यह घटकर १.६७ ही रह गई है। जो बस्तियां हैं उनमें भी रहने वालों की संख्या में कमी हुई है। "बस्तियों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है। वहां पर १९५४–५५ में २,७०२ प्राणी रहते थे। १९५५–५६ में २,१२५ प्राणी रह गये और १९५६–५७ में २,५१७ प्राणी ही रहे। इसमें दूसरे साल की बनिस्बत तीसरे साल कुछ संख्या बढ़ी है लेकिन उसमें पहले साल की अपेक्षा कमी रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बस्तियों के अन्दर रहने वालों की संख्या बराबर घटती चली जा रही है इसका क्या कारण है ?

जो नई कालोनी बसायी गयी है उसमें भी १९५४-५५ में, १९५५-५६ में और १९५६-५७ में जिस प्रकार से कालोनी की संख्या बढ़ी है उसी प्रकार से उनके कब्जे की जमीन नहीं बढ़ी है। १९५४-५५ में ७,५४० बीघा जमीन उनके पास थी। १९५५-५६ में भी ७,५४० बीघा जमीन रही। लेकिन १९५६-५७ में ८,७०८ बीघा जमीन हुई। जिस प्रकार से कालोनी की संख्या बढ़ी उस हिसाब से कम से कम १५ हजार बीघा जमीन होना चाहिये थी, क्योंकि कालोनीज ५ से १० हो गयीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कालोनी की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनकी जमीन भी उसी रफ्तार से बढ़नी चाहिये नहीं तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

प्लानिंग कमीशन ने अपने डाइरेक्टिव में इसको स्पष्ट स्वीकार किया है कि पिछड़ी जाति में जो हरिजन हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या भूमि की समस्या है। हरिजनों में भूमिहीन और मजदूरों की समस्या भूमि की समस्या है। उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुये लिखा है कि :--

"Little has been done for the direct benefit of landless agricultural workers. It is imperative that during the second plan there should be a large enough programme for giving land to the agricultural workers."

इस बात को स्वीकार किया है कि उनके लिये जो कुछ किया गया है वह नहीं के बराबर है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हदबन्दी न की जाय और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन मजदूरों में न बांटा जाय। आज हरिजनों को विशेष कष्ट है जमीन, मकान और पानी का। यह उनको मिलना चाहिये। लेकिन सरकार इन तीन मुख्य मांगों के लिये भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। हवा के बाद मुख्य वस्तु जीवन के लिये पानी है। उसका वह इंतजाम स्वयं नहीं कर सकते और सरकार पानी का कोई सफल प्रयास उनके लिये नहीं कर सकती है। यद्यपि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ५०,००० रुपये इसलिये रखा है कि जमीन खरीदी जाय और मकान आदि के लिये उनको दिया जाय, लकिन हमारे सूबे में उनकी संख्या और समस्या की विशालता को देखते हुये यह रकम बहुत थोड़ी है इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो टीचर हरिजन सहायक विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं उनका भी ग्रेड लोकल स्कूलों के टीचरों के समान किया जायगा। यह एक प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन जो कदम वे उठा रहे हैं वह बहुत मद्धिम गति से। आज इन जातियों के पिछड़े-पन का तकाजा है कि हमारे कदम तेज और दृढ़ होने चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुये हम अपने राष्ट्रीय आन्दोलन में हर २६ जनवरी को प्रतिज्ञा करते रहे हैं कि हरिजन और पिछड़ी जातियों के प्रति हम विशेष ध्यान देंगे और उनके विकास के लिये विशेष कार्य किये जायेंगे। इसी कारण संविधान में भी हमने मर्यादा बांधी, लेकिन सरकार के कदम उसके अनुरूप नहीं हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल १६ के खंड ४ में इस बात का स्पष्ट निर्देश किया गया है कि :

"16. (4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

इस बात की स्पष्ट चर्चा की गई है कि राज्यों में इन जातियों का स्थान सर्विसेज में उनकी संख्या के अनुरूप नहीं है और इसलिये उनके उत्थान के लिये कदम उठाये जा सकते हैं। लेकिन मैं यहां माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या नये कदम उठाये हैं ? आज यदि हम

[श्री झारखंडे राय]

केवल गजटेड अफसरों के बारे में ही देखें तो १५ अगस्त, १९४७ को हरिजनों की उनमें संख्या १६ थी। ३१ जुलाई, १९५६ तक ७० हो गये। बढ़ती हुई। लेकिन पिछड़ी जाति के अफसर जहां अगस्त, १९४७ में ३४ थे, १९५५ में २५ रह गये हैं और आगे बढ़ी हुयी जातियों के बारे में, जिनमें हम और आप हैं, उनकी संख्या ३,१५२ से बढ़कर ४,१८५ हो गयी। तो हरिजनों का प्रतिशत है १.४५, पिछड़ी जातियों का है .४७ और आगे बढ़ी हुई जातियों का प्रतिशत, जो मोनोपलाइज किये हुये हैं, सर्विसेज में जिनकी ठेकेदारी है, उनका हो गया है ९८.०१। अगर हम चाहें तो पुलिस के सिपाहियों में इन जातियों को उदारतापूर्वक भर्ती किया जा सकता है। इसलिये कि उनमें उच्च शिक्षा की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इन में भी १९५६-५७ में ६,००० नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन इनमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के केवल ८०० व्यक्ति हैं। क्या यह उनकी संख्या के अनुपात में हैं? ग्राम सेविकाओं में ४३१ नियुक्तियां हुईं लेकिन उनमें केवल २१ पिछड़े वर्ग की थीं। ऊंची सर्विसेज में हो सकता है कि वे शिक्षा के कारण अभी न आ पाते हों, लेकिन जो साधारण नौकरियां हैं, जिनमें बुद्धि की विशेष आवश्यकता नहीं, शारीरिक योग्यता ही जिनके लिये अपेक्षित है, उनमें उनकी संख्या के अनुपात में उनको उदारतापूर्वक लिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---आपके १५ मिनट हो चुके। आप क्या और समय लेंगे?

श्री झारखंडे राय---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---तो ठीक है, ५ मिनट और ले लीजिये।

श्री झारखंडे राय---इस विषय में केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने आज्ञा जारी की है कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये ४० प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित की जायं। मद्रास, बम्बई, पंजाब और बिहार की सरकारों ने भी कुछ कदम उठायें हैं। बिहार और बम्बई में तो बैकवर्ड क्लासेज के लिये अलग विभाग है। यहां पर केवल हरिजन विभाग है जिसके जरिये बैकवर्ड क्लासेज की भलाई और उनके विकास करने की बात की जाती है। मैं चाहूंगा कि बैकवर्ड क्लासेज की जातियों और हरिजन जातियों के लिये अलग-अलग विभाग बनाये जायं ताकि पिछड़ी हुई जातियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके।

सरकार की ओर से सरकुलर्स जारी किये गये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने जो प्रिंसिपिल्स डायरेक्टिव संविधान में दिये हैं उधर ध्यान देते हुये कुछ परिपत्र भेजे हैं। २६ अगस्त, सन् १९५० को, २२ सितम्बर, १९५३ को और अप्रैल, सन् १९५४ में स्पष्ट व्याख्या की गयी है कि :---

"Interests of the Backward classes in general are to be borne in mind in making appointments."

सरकार ने स्वयं ही कदम धीमा कर रखा है और सरकार ने जो कदम उठाया भी उनपर अमल भी ठीक नीचे के अधिकारी और विभागाध्यक्ष लोग नहीं करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान इन चीजों की ओर जाय। हमारे संविधान में जो निर्देश है उसी स्पिरिट की ओर बढ़ें।

अब मैं कुछ मांगें आपके सम्मुख रखूंगा? मैं चाहता हूं कि सरकार नौकरियों में तत्काल ४० फीसदी इन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करे। पब्लिक सर्विस कमीशन में इन पिछड़ी हुई जातियों और हरिजन जातियों के लिये ५० फीसदी स्थान हों। टेक्निकल संस्थाओं में ५० फीसदी इनको स्थान दिया जाय। छात्रवृत्ति के कोष में पिछड़ी हुई जातियों और अनुसूचित जातियों के लड़कों को जो धन दिया जाता है उसको कम से कम १० गुना बढ़ाया जाय। कुटीर उद्योग में जब अनुदान दिया जाता है तो इन हरिजन जातियों और पिछड़े लोगों को तरजीह दी जाय। अन्तर्जातीय विवाह के लिये सरकार प्रोत्साहन दे और उस ओर ठोस कदम उठाये जायं। हरिजन विभाग और पिछड़ा हुआ वर्ग विभाग अलग कायम किया जाय जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूं। प्रदेश की सरकार एक आई०सी०एस० ग्रेड के व्यक्ति

के मातहत इस पूरी कार्यवाही का संचालन करे जो अपनी पूरी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार को सुझाव दे और जिसकी रोशनी में सरकार अन्य कार्य करे। मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जब मंत्रिमंडल बने तो इन जातियों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अन्त में, पिछड़ा वर्ग कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने में जितनी और गति अपेक्षित है वह सरकार लाये।

अब मैं हरिजन विभाग की दो एक बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। यों तो जो अनुदान छात्रों के लिये स्कालरशिप और ग्रान्ट के रूप में दिये गये वह इतने देर में क्यों दिये गये इसकी व्याख्या मंत्री जी ने की है, उसके सम्बन्ध में मैं यहां कुछ अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हरिजन छात्रावासों में काफी धांधली चल रही है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाय। छात्रावास में जो भंडारी, रसोइये, रखे जाते हैं वे ३५ रुपये महीने पर रखे जाते थे। अब उनकी तनख्वाह घटाकर २५ रुपये कर दी गयी है और वह भी जो पहले के हैं उनके लिये, जो नये होंगे उनको १५ रुपये ही मिलेंगे। आप सोच सकते हैं कि एक ही काम करने वाले व्यक्तियों में जो पुराने हैं और जो नये हैं उनमें इतना फर्क रहेगा तो फिर कैसे वे काम कर सकते हैं? यही कारण है कि छात्रावासों से आये दिन शिकायतें हर एक माननीय सदस्य को मिला करती हैं। यहां तक आज्ञा दी गयी है कि २० विद्यार्थियों के भंडारे का काम एक आदमी करे। एक आदमी २० आदमियों का काम कैसे कर सकता है? उसको सबको खिलाने पिलाने और सबका सामान लाने का काम पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे।

अन्त में यह कह कर कि सरकार उनकी समस्याओं और पिछड़ेपन की तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है, मैं एक रुपये की कटौती पेश करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस समस्या से संबंधित यह अनुदान है, वह समस्या हमारे वर्तमान समाज में अपना एक मुख्य स्थान रखती है और यही कारण है कि पूज्य बापू जी ने पूरे समाज के हित के लिये इस समस्या के हल पर खासतौर से जोर दिया और मान्यवर, मेरा यह निश्चित मत है कि पूज्य बापू के आशिर्वाद के कारण ही हमारे देश के नेताओं ने हमारे संविधान में हरिजन कहलाने वाले वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये कुछ विशेष अधिकार और विशेष संरक्षण एक सीमित काल के लिये दिये। मैं यह समझता हूं कि यह अनुदान भी उसी समय तक सदन के सामने आता रहेगा और सरकार के कार्यों में अलग से शामिल रहेगा, जब तक कि भारतीय संविधान के अनुसार हरिजन कहलाने वाले लोगों के लिये संरक्षण की व्यवस्था है। अब देखना यह है कि जितना समय इस वर्ग के लोगों की उन्नति के लिये निश्चित किया गया है, उसमें हमारी सरकारें और खासतौर से हमारा समाज कहां तक सफल हुआ है।

मान्यवर, यह एक निश्चित राय है कि इस समय में यह निर्धन, दलित समाज के लोगों की उन्नति हुई है और इस समाज के लोगों की ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि समाज की एक बहुत बड़ी बुराई को हमने किसी हद तक दूर किया है लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समस्या को हम कितने दिनों में हल करना चाहते हैं। इस बात से कोई भी साहब इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज से अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता का विनाश हो चुका है। प्रमाण के लिये कुछ समाज सेवियों के प्रयत्न से और सरकार की लगातार कोशिशों से बनारस का विश्वनाथ मंदिर हरिजनों के लिये खुला। मान्यवर जानते हैं कि इस माननीय सदन के एक सम्मानित सदस्य ने कामरोको प्रस्ताव रखा कि इस कार्य से जिसके द्वारा हरिजनों ने विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया है, समाज के कुछ विशेष लोगों के हृदय को कष्ट पहुंचा है अथवा उनकी भावना को चोट पहुंची है, इसलिये सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी समाज में इस प्रकार के लोगों का काफी मत है जो अस्पृश्यता में विश्वास रखते हैं या समाज में जो ऊंच और नीच अथवा सामाजिक असमानता है, उसको बनाये रखने में जिनका यकीन है। इसलिये मैं सबसे पहले यह अनुभव करता हूं कि सरकार जिस गति से इस कार्य

[श्री महीलाल]

को कर रही है, उसमें एक विशेष प्रगति और खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है । मेरा हरगिज यह मत नहीं है कि इस समस्या के लिये केवल कानूनों का सहारा ही लिया जाय। मेरा मत यह भी नहीं है कि इस समस्या का हल करते समय देश की बाकी समस्याओं को भुला दिया जाय लेकिन मैं इतना अवश्य मानता हूं कि दूसरी समस्याओं का परिहार, या यों कहिये कि दूसरी समस्याओं का हल भी आसानी से हो सकता है, अगर हमारे सामने यह समस्या न हो। उदाहरण के तौर पर हमारा लक्ष्य है कि हम अपने यहां वर्ग और जातिविहीन समाज की रचना करें, हमें यह देखना है कि इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं । मैं नहीं जानता कि मेरे मत से कितने लोग सहमत होंगे लेकिन मेरी यह निश्चित राय है कि हमारे यहां समाज में जातीयता का बोलबाला हुआ है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सन् १९४७ के पहले की आप शिक्षा संस्थाओं में उठा कर देखें कि कितनी शिक्षा संस्थायें ऐसी थीं जो किसी जाति या उपजाति के नाम पर चलती थीं और आज ४७ के बाद जाति और उपजाति के नाम पर शिक्षा संस्थाओं में कितनी वृद्धि हुई है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि समाज में जातीयता के प्रचार में लोग शक्ति लगा रहे हैं और जिस तेजी से लोगों के दिमाग में जातीयता बढ़ी है उसके विरुद्ध उतनी ही तेजी से इस सरकार को अपना कदम उठाने की जरूरत है । इस कार्य को करने के लिये सरकार को क्या करना है, यह प्रश्न खास तौर से विचाराधीन है ।

मैं हरिजन समस्या को आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से लेता हूं । सामाजिक समस्या इस नाते एक मुख्य समस्या है कि आज भी आप गांवों में जाइये वहां केवल इस नाते कि एक मनुष्य किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष का व्यक्ति है इसलिये कुआं होते हुये भी प्यासा रह जाता है । जहां तक आर्थिक समस्या का सम्बन्ध है वह प्रत्यक्ष है । किसी गांव में या शहर में आप जाकर देखें तो समझ में आ जायगा कि सब से ज्यादा कष्टमय, पीड़ित और दुखी जीवन यदि कोई बिताता है तो वह हरिजन हैं जो शहर या गांव के किसी कोने में पड़े मिलते हैं। जहां तक आर्थिक क्रान्ति की बात है, ठीक है सरकार ने उस को लाने के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और यह भी ठीक है कि उससे लाभ भी हमारे हरिजन समाज को हुआ है लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि वह आर्थिक क्रान्ति जितनी आनी चाहिये थी, या विषमता जितनी मिटनी चाहिये थी वह मिट चुकी है । इसलिये सब से पहली आवश्यकता यह है कि हरिजनों के आर्थिक उत्थान के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । परन्तु मंत्री जी मुझे क्षमा करें यदि मैं यह कहूं कि हरिजनों को कृषि भूमि दिलाने में यह विभाग एक तरह से असमर्थ रहा है । मैं चाहता हूं कि सरकार अपने सामने इस बात को रखे कि हरिजन वर्ग जो कि अधिकतर ७० प्रतिशत से भी अधिक कृषि कार्य से ही अपना जीवनयापन करता है, जिसका मुख्य धंधा ही कृषि है उसको मुख्य रूप से कृषि सम्बन्धी सुविधायें दिलाई जायं । मैं यह भी चाहता हूं कि तमाम विभागों और इस विभाग के अधिकारियों व मंत्री जी को भी अपना ध्यान दफ्तर के काम को छोड़कर देहात में बसे हुये इन गरीब लोगों के क्षेत्र में भी देना चाहिये। ज्यादातर इन लोगों का समय लखनऊ के दफ्तरों में बीतता है, अच्छा हो कि वह अपना समय हरिजन समस्या को समझने और हरिजन प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके बीच में बितायें और जो सुझाव उनकी तरफ से आयें उनको कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

तीसरी बात जो मैं बहुत आवश्यक समझता हूं वह यह है कि हरिजन विभाग का कार्य केवल यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिये कि एक दफ्तर खोल कर छात्रवृत्तियां बांट दें, कुछ लोगों के लिये दस्तकारी से संबंधित कुछ रुपया दे दें । कुछ लोगों को मकान बनाने के लिये रुपया दे दिया जाय इससे समस्या का हल हरगिज नहीं हो सकता । चाहिये यह कि यह विभाग अपने ऊपर केवल यह कार्य ले और देखें कि दूसरे विभाग इस वर्ग के लिये क्या-क्या कार्य कर रहे हैं । १८ प्रतिशत सर्विसेज में संरक्षण है । लेकिन यह विभाग यह नहीं देखता कि कितने विभाग ऐसे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से दो मिनट चाहूंगा, नहीं तो मेरी बात अधूरी रह जायगी अगर आप कृपा नहीं करेंगे । यह विभाग यह नहीं देखता कि कौन सा विभाग ऐसा है जो १८ प्रतिशत सर्विस के कोटे को पूरा करता है । इस विभाग का मुख्य कार्य

यह होना चाहिये कि यह देखे कि जो अधिकार इस वर्ग को मिले हैं उनको दिलाने में यह विभाग कहां तक सफल होता है। इस बात से भी माननीय मंत्री जी इन्कार नहीं कर सकते कि कोआपरेटिव विभाग के द्वारा जो सुविधायें लोगों को मिलनी चाहिये वह हरिजन वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। उदाहरण के लिये अगर वह कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उनको सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर नहीं मिलते। अगर कुछ हरिजन लोग अपनी दस्तकारी की उन्नति के लिये इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट से अनुदान चाहते हैं तो वह नहीं मिलता और हमारा यह विभाग निष्क्रिय बैठा रहता है। चाहिये यह कि इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट को जा कर दबाये। प्लानिंग को लीजिये। उसके द्वारा जो सुविधायें मिलती हैं वह हमारे हरिजन वर्ग के लोगों को नहीं मिलती हैं। कृषि विभाग को लीजिये, उसके द्वारा समाज के दूसरे लोगों को जो सुविधायें मिलती हैं वह हरिजन वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। मेरी निश्चित राय यह है कि अगर यह विभाग अपनी तमाम कार्य शैली को बदल कर अपना कार्य केवल यह समझे कि हम सरकार के अन्य विभागों से वह अधिकार दिलाने में मदद करेंगे जो अधिकार हरिजन वर्ग के लोगों को मिलने चाहिये तो सम्भव है कि यह समस्या जितना समय चाहिये उससे कुछ कम समय में ही हल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और उन नयी बातों के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, उदाहरण के लिये मकानों के लिये मुफ्त जमीन देना, शिक्षा संस्थाओं की अनुदान सम्बन्धी धनराशि मूल बजट में ही निश्चित कर देना, इसी प्रकार के जो छोटे-मोटे काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित और पिछड़ी जातियों से संबंधित जो अनुदान पेश किया है उसमें जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री हरी सिंह के खड़े होने पर) क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है, श्री हरी सिंह ?

श्री राजनारायण—हमारा है जेल वाले अनुदान के संबंध में तो वह आज कैसे आ गया। वह बाद में आयेगा।

उपाध्यक्ष—नहीं, वह आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप हरिजन हैं या कुछ और ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारा समय अब से शुरू हो रहा है। बीस मिनट हमारे....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि राजनारायण जी भी क्या हरिजन हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस देश और विश्व में अगर कोई हरिजन है तो मैं अपने को किसी से कम हरिजन नहीं समझता हूं और मुझे हरिजन होने का गौरव भी है। मैं समझता हूं कि हरिजन का क्या अधिकार है, उसको भी अच्छी तरह समझता हूं और उस अधिकार की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्नशील भी हूं और लड़ाई भी लड़ रहा हूं। उसकी प्राप्ति के लिये यह दाढ़ा भी नोचा गया, गर्दन में ढड़ा फंसा कर जान मारने की भी कोशिश हुई, जेलखाने से जबरदस्ती उठा कर दूसरी जगह फेंक भी दिया गया। इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्य जानते भी होंगे। अभी हरिजन मंदिर प्रवेश, विश्वनाथ मंदिर प्रवेश की भी चर्चा हुई। उस घटना को जानते हुये अगर कोई आंख मूंद ले तो "मूंदहु आंख कतहुं कोई नाहीं" उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्री जी ने एक पुस्तिका का वितरण कराया है २ मार्च,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

१९५८ को। मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोधी दल का इस समय स्थान है वह स्थान माननीय मंगला प्रसाद जी लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करेगी सरकार इस पर उनकी टिप्पणी नहीं। सरकार करने की पोजीशन में है और विरोधी दल को यह स्थान प्राप्त है कि वह कहे कि क्या करना चाहिये। इसलिये सरकार को आंका जायगा कि उसने क्या किया? और विरोधी दल बराबर यह सुझाव देगा कि यह करना चाहिये, वह करना चाहिये। जितनी इसके पूर्व बातें इस अनुदान पर कही गईं मालूम होता है मंत्री जी कहीं से पढ़ लिये और उठाकर के टिप्पणी में लिख मारा कि जातिविहीन और वर्गविहीन समाज होना चाहिये, हरिजनों के मुकदमों में सहायता देने के लिये एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये, उनके लिये पीने के पानी के कुयें बनने चाहिये, मकान की व्यवस्था होनी चाहिये, खेती के लिये जमीन मिलनी चाहिये। यह सब मंत्री जी ने लिख डाला। ऐसा आश्चर्य लगा हमको पढ़ करके कि कौन करेगा? इस समय करने की ताकत सरकार के हाथ में है। मैं यह पूछना चाहता हूं १० वर्ष हो गये इसके बाद क्या आज हरिजनों के पानी पीने के कुयें हैं? श्रीमन्, परसों १६ तारीख को मैं बनारस गया था चंदौली में जबकि हरिजन का एक छोटा सा बच्चा आया हमारे पास रोता हुआ, वह दर्जा ४ में पढ़ता था। वह कह रहा था कि फलाने ठाकुर साहब ने मार करके कह दिया कि जाकर तुम हमारे घर में, गोबर फेंको, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उसके मां बाप भी थे और उनकी पीठ पर डंडे पड़े थे जिसके निशान मौजूद थे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंगला प्रसाद जी से कि क्या आज हरिजनों से जबरदस्ती बेगार नहीं ली जा रही है? क्या आज उनसे जबरदस्ती मार-मार कर खेतों में काम नहीं कराया जा रहा है? आज मैं मुक्त कंठ से कहना चाहता हूं हरिजनों का सबसे ज्यादा अपकार अगर हो रहा है तो कांग्रेस बेंचों पर बैठे हुये उन हरिजन सदस्यों द्वारा हो रहा है जो कांग्रेस के समर्थन में हैं। क्योंकि गरीबी की कीचड़ में इन माननीय सदस्यों के कुछ गुलाब खिलाये गये हैं। यह कमल स्वरूप हो करके? आज हरिजन समुदाय को बराबर भरोसा देते रहते हैं कि हम तो तुम्हारे हैं। मगर हैं किसके जो मंत्री लोग हैं, जो राजनीतिक दांव पेंच में तिकड़मबाज हैं, उनकी चापलूसी में हैं। हमने एक कार्य अपने ऊपर ले लिया है। हमारे पास जितनी हरिजनों की दरख्वास्तें आ रही हैं उनकी कापियां करा करके एक डाक्टर सीताराम जी के पास भेज दिया करते हैं और एक चौधरी गिरधारी लाल जी के पास भी भेज दें यह कोशिश करते हैं और देखें कि यह क्या करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर अपने आंकड़ों को पढ़े और उसके बाद सरकार सोचे कि सन् १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में जो इस विभाग पर खर्च हो रहा है उसका प्रतिशत आमदनी के हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। १९५६-५७ में जितनी प्रतिशत आमदनी थी उसका १.३२ इस विभाग के लिये खर्च होता था लेकिन अब वह १.३० हो गया। तो सरकार को सोचना चाहिये कि चाहे लाखों में सरकार बढ़ जाय मगर देखा जाना चाहिये कि टोटल बजट जो है उसका कौन सा हिस्सा इस अनुदान पर खर्च हो रहा है। मगर मैं १ लाख या १० लाख पर नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस सदन में ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि हरिजनों का शोषण हो रहा है? आज से नहीं १० हजार वर्ष से शोषण हो रहा है। माननीय महीलाल जी ने सही बात कही, मगर उन्होंने एकांगी बात कही, जब उन्होंने यह कहा कि इस सदन के एक सदस्य ने एक काम रोको प्रस्ताव रखा था कि विश्वनाथ मंदिर में जो हरिजनों का प्रवेश हुआ है उससे बहुत से लोगों की आत्मा को ठेस लगी है, उसी समय मैंने कहा था कि बहुत से आदमी प्रफुल्लित भी हुये हैं, बहुत सी कलियां खिली हैं और उसकी चर्चा होनी चाहिये। मेरी बात नहीं कही लेकिन उनकी बात याद रही।

अब मैं माननीय मंगला प्रसाद जी से जानना चाहता हूं कि १० रोज से करपात्रीजी दान ले रहे हैं और कई लाख रुपये एकत्र भी कर लिये हैं और मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोगों ने उसमें चन्दा भी दिया है और मेरी जानकारी में मंत्रियों की इशारेवाजी भी है कि बनारस में एक और विश्वनाथ मन्दिर का निर्माण किया जाय। जब हरिजन मन्दिर

प्रवेश करा दें तो इस छोटी सी पुस्तिका में यह लिख दिया कि यह विश्वनाथ मन्दिर में हरिजन प्रदेश हो गया, लेकिन करपात्री जो जिस मन्दिर के लिये प्रयत्न कर रहे हैं उसके विरोध में क्या कहा ? मैं इस सदन में यह आवाज उठाना चाहता हूं कि एक नहीं लाखों करपात्री जी आ जायं और अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मन्दिर वे बनायेंगे तो उसमें हरिजन प्रवेश होकर रहेगा। करपात्री जी अपने घर में मन्दिर बना कर बैठें, वहां करपात्रीनाथ बनायें, लाला नाथ, कायस्थनाथ इत्यादि बनायें लेकिन अगर विश्वनाथ मन्दिर बनाते हैं तो उसमें हरिजन भी विश्व का प्राणी है ।

श्री महीलाल––आप विश्वास करें मन्दिर जब बनकर तैयार हो जायगा तो उसमें भी प्रवेश होगा ।

श्री राजनारायण––पता नहीं प्रवेश करने में हम मरेंगे या आप मरेंगे ?

मेरा कहना यह है कि अगर मंत्री जो कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं ऐसा कानून बना दिया जाता कि इस प्रदेश में जो फालतू जमीन है, जिस पर खेती नहीं हो रही है और माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी जमीन है तो वह हरिजनों को क्यों नहीं दे दी जाती ? प्रचार किया जाता है जातिविहीन, वर्गविहीन समाज का । तो आपको डेफिनिट होना चाहिये । भ्रामक बातों से काम नहीं चलने का है । एक लिमिट क्यों नहीं होती कि ३० एकड़ या ३० बीघे जमीन से ज्यादा जमीन जिनके पास होगी उनकी जमीन लेकर मजदूरों को बांट दी जाय क्योंकि वे हरिजन हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं । ब्राह्मण खेत जोतता नहीं, भूमिहार जोतता नहीं, लाला जोतता नहीं, हम, हमारे परिवार के लोग और मंगला प्रसाद जी हल छूते नहीं । मुझे अपने बचपने की याद है, २५–३० वर्ष पहले की बात कह रहा हूं कि एक रमेश चमार के हल की मुठिया मैंने पकड़ ली तो मामा ने ४ थप्पड़ मारे और कहा कि तुमने बहुत अपवित्र काम कर दिया और उस चमार की भी मरम्मत की। जब ये बातें हैं तो मंगला प्रसाद जी या राजनारायण सिंह अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं हरिजनों से करते और अपने लड़कों की शादी हरिजनों के यहां करते ? मंत्री लोग जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास दूसरे लोग आते हैं वे केवल लेक्चरबाजी ही क्यों करते हैं, व्यवहार में क्यों नहीं लाते ? जो कथनी है उसे करनी में लाया जाय ।

वह सरकार जिसके दल का नेता ब्राह्मणों के पैर धोये और चरणामृत ले वह क्या जाति-विहीन समाज बनायेगी जरा इसका खयाल कीजिये । मुझे वह घटना याद है जब काशी में राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने १०१ ब्राह्मणों के पैरों का चरणामृत पिया था और एक साथी हमारे वहां थे, जिनका नाम मैं लेना आवश्यक नहीं समझता, वे निकल भागे । उन्होंने कहा कि मैं पैर नहीं धुलाऊंगा । उनकी जगह पर सड़क पर चलने वाला एक ब्राह्मण रख दिया गया। तो केवल झूठा प्रचार हो, कपोल कल्पित बातें लिखी जायं जबकि करनी बिल्कुल उल्टी हो, हरिजनोत्थान के स्थान पर हरिजन नाश किया जा रहा हो तो मैं चाहूंगा कि जो लोग प्रतिभा सम्पन्न हैं वे अपनी बातों को व्यवहार में लायें । अर्न्तजातीय विवाह होवें और वह भी उस प्रथा के अनुसार नहीं जैसे कि रामायण काल या महाभारत काल में होते रहे हैं। प्रथाएं रही हैं। महाभारत काल के बड़े-बड़े राजाओं ने जिनको आप हरिजन और बैकवर्ड कहेंगे उनकी लड़कियों से शादियां की हैं, लेकिन अपनी लड़कियों की शादियां उनसे नहीं कीं । तो हरिजन भाई हमारी लड़कियों से शादी करें और हम उनकी लड़कियों से करें। जब तक दोनों ओर से इस प्रकार का आदान-प्रदान नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। आज तो कुछ ऐसे भी ब्राह्मण मिलते हैं जिनके सामने यह चर्चा होती है तो बड़ा विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि तुमने मेरे सामने ऐसा कैसे कहा ? ६ साल पहले का रेकार्ड देखा जाय । जब आप डिप्टी स्पीकर नहीं थे, इस सदन के सम्मानित सदस्य की हैसियत से थे, कई बार सोशलिस्ट पार्टी की ओर से इस सदन में मांग की गयी है कि अन्तर्जातीय विवाह जो लोग करें उनको सरकारी नौकरियों में प्रश्रय हो, प्राथमिकता हो । उनके लिये सरकार ने क्या प्रोटेक्शन दिया ? उनको

[श्री राजनारायण]

न तो कभी प्रिफरेंस दिया और न प्रोटेक्शन की कोई योजना बनाई । मेरा ऐसा खयाल था कि अगर सरकार एक जातिविहीन समाज की कल्पना कर रही है तो वह एक कानून बनाये जिसके अन्तर्गत जो अन्तर्जातीय विवाह करे उसको २५ रुपया, ५० रुपया महीना ही बढ़ा दिया जाय, तो मेरा इत्मिनान है कि इतने बड़े पैमाने पर जाति का रोग टूटेगा जितना कि आप डेढ़ सौ वर्ष में भी नहीं कर पायेंगे । यहां तक भी मैं जाने के लिये तैयार हूं कि अगर द्विजों की लड़कियां हरिजनों से शादी करें तो उनको ५० रुपया और अगर हरिजनों की लड़कियों से द्विजों के लड़कों की शादी हो तो उनको २५ रुपया के हिसाब से तनख्वाह दे दी जाय । इस तरह से सब काम ठीक हो जायगा । यह रुपया चांदी का ऐसा चाबुक है कि वह मजबूर होंगे और ५० रुपया महीना उनको खाने पीने के लिये काफी होगा । इसलिये यह काम न करके लगातार लेक्चर पिलाने से काम चलने वाला नहीं है ।

इस बजट साहित्य में लिखा हुआ है कि नियोजन विभाग हरिजनों के लिये कुओं का प्रबन्ध करेगा । बनारस की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैं भी सदस्य हूं । उसमें मैंने सुझाव रखा था कि दूसरे सब कामों को रोक दो, मगर हरिजनों की जिन बस्तियों में पानी पीने के कुएं न हो, उनक लिये पहले प्रबन्ध होना चाहिये । शर्म आनी चाहिये हमारी सरकार को कि आज हमारे समाज में ऐसा एक तबका बाकी है जिसको पानी भी पीने के लिये नहीं मिलता । आज भी थप्पड़बाजी होती है, उनकी गगरियां फोड़ी जाती हैं । क्या इस सरकार ने कोई ऐसा आदेश भेजा है कि जो हरिजनों की बस्तियां हैं वह जमीन गांव सभा या गांव पंचायत हरगिज हरगिज न निकाल पाये ? क्यों नहीं ऐसे आदेश भेजे जाते ? हमारे पास ऐसी दरख्वास्तें आती रहती हैं कि आज वहां के ठाकुरों और ब्राह्मणों की हमारी हरिजन बस्तियां दे दीं । अगर सरकार की इच्छा है और केवल वाग्जाल की रचना नहीं करनी है तो फौरन ऐसे आदेश भेजे जायं । गीता में कहा है कि:—

विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि,
शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः ।

यानी जो विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण होते हैं वह गाय, हाथी, चांडाल, कुत्ते सब को बराबर समझते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपके १५ मिनट पूरे हो गये ।

श्री राजनारायण—कम से कम १० मिनट और दिये जायं, क्योंकि १०,००० वर्ष का कोढ़ हम मिटाने जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब तक प्रस्तावक को २० मिनट से ज्यादा नहीं दिया गया । ५ मिनट और ले लीजिये ।

श्री राजनारायण—उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जाय ? क्यों नहीं सरकार ऐसी कमेटी बनायें कि हरिजनों के जो मुकदमे होते हैं उनका सारा खर्चा अपने ऊपर वहन करे और सरकारी वकील उनकी पैरवी करे । उसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट भी देखी जाय । यह कमीशन २८ जनवरी, १९५३ को ३४० संविधान की धारा के अनुसार राष्ट्रपति ने बैठाया और ३१ अगस्त, १९५५ को उसकी रिपोर्ट आ गयी और आज २२ मार्च, १९५८ है, ३ साल हो गये इसकी आवश्यक धाराएं और आवश्यक अंग आज तक लागू नहीं किये गये । क्यों नहीं किये गये ? माननीय झारखंडे राय जी ने बहुत सी बातें कही हैं इसके सम्बन्ध में । मगर इसमें हमारी भी बहुत सी बातों का समावेश है, जैसे अन्तर्जातीय विवाह के लिये उन्होंने कहा है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाय । उन्होंने कहा है कि जो जमीन परती, ऊसर, बंजर है वह हरिजनों और बैकवर्ड को पहले दी जाय, इनकी पढ़ाई-लिखाई की मुफ्त व्यवस्था की जाय । इन्होंने जितना कहा है उससे आगे सोशलिस्ट

पार्टी जाती है । हमारा तो यहां तक कहना है कि हरिजनों को उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था मुफ्त हो, उनके खाने का भी प्रबन्ध सरकार करे । जब उनके पास न धन है न धरती तो वे कहां से पढ़ेंगे ? हमारे सम्मानित सदस्य माफ करेंगे, हमारे कुछ बैकवर्ड सम्मानित सदस्यों ने कहा कि तुमने हरिजनों को बैकवर्ड से अलग कैसे कर दिया और इस सम्बन्ध में मनुस्मृति का श्लोक बताते हैं । सही है, उन्होंने चार ही वर्ण माने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और उन्होंने कह दिया कि पांचवां वर्ण कोई है नहीं । तो शूद्र तो सेवा करने के लिये है । अबकी जेल में काफी मौका मिल गया मनुस्मृति को पूरा पढ़ने का । उन्होंने लिखा है कि एक कौवे को मारने में जितना अपराध होता है, ब्राह्मण अगर शूद्र की हत्या करे तो उतना ही अपराध है । फिर लिखा है कि अगर शूद्र धन कमाये तो ब्राह्मण को हक है कि उसका धन छीन ले और अगर वह धन संचय करे तो राजा को अधिकार है कि उसका देश निकाला कर दे ।

एक सदस्य—मनुस्मृति अभी है ?

श्री रामनारायण—अब जो संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कमलापति जी गये हैं, वहां पर यह मनुस्मृति पढ़ायी जायगी । हमने कहा था कि यहां पर निश्चय हो जाना चाहिये कि मनुस्मृति का वह भाग हरगिज न पढ़ाया जाय क्योंकि वह संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है ।

"एक साथ नहिं होय गोपाला, हंसब, ठठाब, फुलाउब गाला" ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंगलाप्रसाद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह हरिजनों की हालत सुधारने के लिये ये काम नहीं करते, उनके मकान की व्यवस्था, उनके लिये खेती की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, तो उनका सारा विभाग बेकार है । नौकरियों में जो उनके लिये सुरक्षित जगहें हैं वे पूरी हों । अगर ये हरिजनों की कानूनी सहायता नहीं करते तो उनका पूरा विभाग बेकार है । हमारे इंडियन पेनल कोड में एक धारा है कि अगर यहां का मुकदमा किसी दूसरे सूबे में चल रहा हो और सूबे की सरकार चाहे तो उसको अपने सूबे में ले सकती है । जब यह बाकायदा अधिकार दिया हुआ है तो क्यों नहीं माननीय मंत्री जी ऐसे मुकदमों को जो हरिजनों पर जमीन सम्बन्धी मामलों को लेकर गलत तरीके से दूसरे सूबों में चल रहे हैं उनको अपने सूबे के उसी जिले में ले आते ? यह भी वह करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

एक बात मैं और कह दूं कि किसान पंचायत ने एक फैसला किया है कि अगर बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट जो बैकवर्ड के हित में है, हरिजनों के हित में है, उसको सरकार जल्दी से जल्दी लागू नहीं करेगी तो २ अक्तूबर से देशव्यापी आन्दोलन किया जायगा । मैं फिर माननीय मंत्री जी को सचेत करता हूं कि सरकार उसको लागू करे ताकि यह परिस्थिति न पैदा हो कि २ अक्तूबर से सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो और बैकवर्ड कमीशन के आवश्यक अंगों को लागू करने के लिये किसान पंचायत को कोई ऐसा कदम उठाना पड़े ।

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार प्रति वर्ष हमारे इस हरिजन अनुदान को बढ़ाती जा रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना धन हरिजनों के उत्थान के सम्बन्ध में रखा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग उससे दूनी धनराशि रखी हुई है । हम आशा करते हैं कि इस दूनी धनराशि से हरिजनों का बड़ा कल्याण होगा । प्रस्तुत अनुदान में बहुत सी विशेषतायें हैं और उनके कारण ही हम इस अनुदान का समर्थन करते हैं । गृह-निर्माण की समस्या को लेकर हरिजन विभाग ने बहुत काफी गृह-निर्माण की व्यवस्था की है । लेकिन सब से बड़ी समस्या हरिजनों की यह है कि हरिजनों के पास भूमि नहीं है । इसके लिये भी इसमें व्यवस्था की गई है । इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हरिजनों

[श्री श्रीनाथ]

के स्कूलों के अध्यापकों को जो वेतन मिलता था वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों से कम मिलता था लेकिन अब इस अनुदान में व्यवस्था की गई है कि इनको भी उनके समान वेतन दिया जाय । यह बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का है और इसके लिये काफी धनराशि रखी गयी है ।

इसके साथ ही साथ बहुत से छोटे-मोटे ऐसे कार्य हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि इसमें प्रगति हुई है । लेकिन एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे हरिजनों की समस्यायें जो कुछ भी हैं और जितनी धनराशि हम उनके ऊपर खर्च करते हैं उससे उनका उत्थान होता है, उनकी प्रगति होती है । हमने धनराशि में भी वृद्धि की है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनिस्बत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धनराशि दुगनी रखी गयी है लेकिन हम देखते हैं कि इस अनुदान में मोमिन अंसार और विमोचित तथा बैकवर्ड जातियों को भी शामिल कर दिया गया है । उन सारी कौमों को शामिल तो कर दिया गया है लेकिन इस हिसाब से हम देखते हैं कि उस अनुपात से धनराशि की वृद्धि नहीं हुई है ।

अब बहुत बड़ी संख्या पिछड़ी हुई जातियों की है, मोमिन अंसार की है और क्रिमिनल ट्राइब्स जो पहले हरिजनों की सूची में नहीं आती थी लेकिन अब शामिल कर ली गई है । पहले सारी धनराशि हरिजनों पर ही खर्च की जाती थी लेकिन अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के बाद जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने बताया कि वह कार्यान्वित नहीं की गई, ऐसी बात नहीं है । यह सब जातियां इसमें शामिल कर ली गई हैं लेकिन जो धनराशि बढ़ी है वह इस अनुपात से नहीं बढ़ी है । इससे हरिजनों की समस्या को हल करने में ज्यादा देर लगेगी । इसलिये जितनी धनराशि बढ़ सके उतना ही हम प्रगति में अपना योग दे सकेंगे ।

श्रीमन्, हमारे सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं और हरिजनों की समस्या बड़ी जटिल समस्या है । इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय और इसको सामने रखकर उपाय किया जाय। अगर ऊपर-ऊपर से काम कर दिया जायगा तो हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है । हरिजन समस्या बुनियादी समस्या है और इसके लिये बुनियादी तथा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है । उनका सामाजिक स्तर क्या हो, राजनीतिक स्तर क्या हो, और आर्थिक स्तर क्या हो, इसके लिये ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।

हमने जो थोड़ी बहुत भूमि की व्यवस्था हरिजनों के लिये की है और मकानों की भी व्यवस्था की है वह ठीक है, लेकिन इससे सारी समस्या का हल होने वाला नहीं है । जहां तक शिक्षा का सवाल है, स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है । आजमगढ़ जिले में शिक्षा संस्थाओं में से ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जिनमें १/४ हरिजन हैं और जिनको सहायता दी जाती है और चन्द ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जो हरिजन विद्यार्थियों पर ही निर्भर करती हैं । जो दूसरी जाति के विद्यार्थी होते हैं उनकी फीस माफी का सवाल आता है । उनसे शिक्षा संस्था का नुकसान होता है । जहां हरिजनों की संख्या अधिक रहती है वहां सरकार जो फीस देती है वहां उस संस्था को उससे काफी मात्रा में सहायता हो जाती है । हमने बताया कि शिक्षा संस्थाओं में हरिजनों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी है और वे शिक्षा संस्थायें भी उनके ऊपर निर्भर करती हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं लेकिन हम दूसरी ओर भी देखें कि जिन हरिजनों को हम शिक्षा दे लेते हैं तो शिक्षा पाने के बाद कौन सा साधन उनके पास होता है जिससे वह अपनी रोजी चला सकें । हम देखते हैं कि शिक्षा पाने के बाद रहन-सहन का स्तर कुछ ऊंचा हो जाता है । शिक्षा पाने के बाद लड़के किसी रोजगार में लग जाते हैं तो उनका रहन-सहन और ऊंचा हो जाता है । लेकिन क्या शिक्षा पाने के बाद हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट या बी० ए० की डिगरी हासिल करने के बाद हरिजन लड़के मजदूरी करने जायेंगे ? क्या वह उस काम को करने के लिये तैयार होंगे जो उनके बाप दादा करते आये हैं या जो उनका खान्दानी पेशा रहा है उसको करने के लिये वह तैयार होंगे ? हम देखते हैं कि शिक्षा पाने के बाद जब रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है तो वह रहन-सहन के अनुसार ही किसी व्यवसाय को चाहता है । हरिजन लड़कों के पास कोई साधन नहीं है । उनके पास धन नहीं है और अन्य कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे वे अपना जीवन यापन

कर सकें । अन्य रोजगार वह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास धन नहीं है । दूसरी तरह का भी उनके पास कोई साधन नहीं है । व्यवसायी बुद्धि भी उनके पास नहीं है । काम करने का तरीका भी नहीं जानते हैं जिससे रोजी कमा सकें । इसलिये उनके सामने एक नौकरी का ही सहारा रह जाता है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकते हैं और रोजी कमा सकते हैं । नौकरी ही एक ऐसी है जिस पर उनका जीवन निर्भर करता है । तो क्या हम उनको नौकरी में उचित स्थान दे पाते हैं ? हम देखते हैं कि १८ फीसदी का संरक्षण रखा हुआ है कि इतनी जगहें हरिजनों को अवश्य दी जायंगी । लेकिन हम सरकारी विभागों को अपने उत्तर प्रदेश में देखें कि क्या एक विभाग में भी हरिजनों को अपने संरक्षण के अनुसार स्थान प्राप्त है ? यह कहा जाता है कि हमको योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं । मानता हूं कि योग्य व्यक्तियों की कमी है लेकिन क्या चपरासी के लिये भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलते ? क्या चौकीदारी के लिये भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलते ? हम देखते हैं कि चपरासी या चौकीदार ऐसे निम्न स्तर का काम करने वाले हरिजनों को भी अयोग्य ठहराकर या इनके लिये कोई काम न देने के विचार से उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है या रखा ही नहीं जाता है । इस प्रकार की समस्या उनके लिये आज नौकरी की बनी हुई है । मैं समझता हूं कि जब तक हम हरिजनों के लड़कों की तरफ काफी ध्यान नहीं देंगे तब तक हम इन सर्विसेज में हरिजनों को उचित स्थान नहीं दे पायेंगे और जब तक हम उनको नौकरियों में अधिक स्थान नहीं देंगे तब तक हम उनकी समस्याओं को भी हल नहीं कर सकेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने एक साक्षात्कार में बतलाया कि शहर के हरिजनों में और गांव में रहने वाले हरिजनों में काफी अन्तर है । शहर के अन्दर जो हरिजन लोग रहते हैं उनको तो रोजगार मिल जाता है लेकिन जो गांवों में रहते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है । इसलिये शहर में उनके लिये गृह निर्माण या किसी अन्य प्रकार की सुविधा के लिये कुछ नहीं किया जायगा । मैं देखता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना में या पहली योजना में कोई भी प्राविधान इस प्रकार का नहीं है । मैं समझता हूं अगर ऐसी नीति सरकार की है और ऐसा विचार भी है तो यह बिलकुल गलत है । शहर में रहने वाला अगर रिक्शा खींचता है तो क्या वह बहुत बड़ी रकम पा लेता है या उससे कुछ उसका स्तर ऊंचा उठने वाला है, या उसकी किसी प्रकार से समस्या हल हो जायगी ? मैं देखता हूं कि रोजगार की दृष्टि से अगर यह कहा जाता है कि शहर में रहने वाले हरिजन की समस्या गांवों में रहने वाले हरिजनों की समस्या के मुकाबले अच्छी है और शहर वालों की अवस्था अच्छी है तो मैं समझता हूं कदाचित यह चीज नहीं है । हरएक प्रकार से शहर में रहने वाले या गांव में रहनेवाले हरिजनों की समस्या बराबर है और दोनों को समान स्तर पर उठाने की जरूरत है । हमने बहुत सी कालोनीज खोल रखी हैं । वहां पर टैक्नीकल शिक्षा भी देते हैं और हरिजनों को अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है । बख्शी का तालाब जो है वहां पर भी ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन वहां से निकलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह दूसरी जगह से निकले व्यक्तियों के मुकाबले में निम्न स्तर के माने जाते हैं । उनको रोजगार नहीं मिलता है और उनको काम नहीं दिया जाता है । मैं समझता हूं कि हरिजन विभाग के द्वारा जो संस्थायें चल रही हैं उनके विद्यार्थियों को उसी स्तर का माना जाय जो दूसरे संस्थाओं के माने जाते हैं और उनको उसी प्रकार नौकरियों में समान अधिकार दिये जायं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, १५ मिनट में इतने महत्वपूर्ण विषय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता, इसलिये मैं केवल २,१ मुख्य बातों के भीतर ही अपने को सीमित रखूंगा । इसके अलावा मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा बल्कि माननीय मंत्री जी को यह मौका दूंगा कि वह जनता को कुछ आवश्यक सुचनायें देकर अपनी ओर से बतावें कि सरकार ने पिछले ११,१२ वर्ष में हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के साथ कहां तक न्याय किया है । वे अपने श्रीमुख से इस बात को बतावें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक कृपा की है । उन्होंने रिपोर्ट में पूज्य बापू का नाम लिया

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

है और अभी उधर से जो सबसे पहले माननीय सदस्य बोले उन्होंने भी पूज्य बापू का नाम लिया। इसलिये मैं यह साहस करता हूं कि पूज्य बापू जी की एक बात की ओर उनका ध्यान दिलाऊं और वह यह है कि जब भारत स्वाधीन हो उस समय पहला राष्ट्रपति कोई हरिजन हो। यह उन्होंने लिखा था, कहा था और उनकी यह इच्छा थी। उनकी इच्छा थी कि स्वाधीन भारत में पहला प्रधान मंत्री कोई हरिजन महिला हो और पंडित जवाहर लाल नेहरू उसके प्राइवेट सेक्रेटरी हों। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पूज्य बापू की इस आशा, उनके इस बचन और उनकी इस वाणी को कहां तक निभाया गया? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले ११-१२ वर्ष में हमारे प्रदेश में कितने राज्यपाल हरिजन हुए हैं, वह बतावें। माननीय मंत्री जी यह बतावें कि पिछले ११-१२ वर्षों में हरिजनों में से कितने मुख्य मंत्री हुये हैं?

एक सदस्य— मंत्री भी पूछ लीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री मुझे मालूम है। लेकिन अगर आप मुझे कहने के लिये मजबूर करते हैं तो अभी-अभी माननीय राजनारायण जी के सम्बन्ध में उधर से जो प्रश्न उठाया गया उसका उत्तर मैं दे दूं। वह यह है कि हरिजन विभाग के माननीय मंत्री महोदय परिगणित जातियों में से किस जाति के हैं? क्या हरिजन विभाग का मंत्री सवर्ण नहीं है? हम हरिजन हों अथवा पिछड़ी जाति के, लेकिन यदि हम दूसरे के घर पर ढेला फेंकने के पहले यह समझ लें कि हमारा घर कांच का बना हुआ है, यदि दूसरे भी ढेला फेंकने लगें तो क्या होगा, तो अच्छा है। लिहाजा अच्छा हो कि इस तरह की बातें कहने के लिये आप मुझे उत्तेजित न करें जिससे कि आपकी अन्य तमाम बातों की पोलें खोली जायं।

माननीय मंत्री जी तथा मुख्य सचेतक जी कृपा कर जरा बतावें कि हमारे प्रदेश में कितने कमिश्नर हैं, कितने अतिरिक्त कमिश्नर हैं और उन में कितने हरिजन हैं? ११ साल में हरिजनों की नियुक्तियों में आपने कितनी प्रगति की है जिसका आप बार-बार नाम लेते हैं। मैं केवल आलोचना नहीं कर रहा, आप से सूचना चाहता हूं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और कितने अतिरिक्त जिलाधीश हैं और उन में हरिजन और पिछड़ी जातियों के कितने हैं, और कई प्रश्न हैं। कृपा कर आप बतावें कि कितनी प्रगति की है, कहां तक प्रगति हुई है?

एक-एक को लेकर चलता हूं तो बड़ी लम्बी कहानी हो जायगी, इसलिये संक्षेप में कहूंगा कि गजेटेड अफसर प्रदेश भर में कितने हैं और उन में हरिजन और पिछड़ी जातियों के कितने हैं यह सरकार बतावे और यह बतावे कि उनका अनुपात क्या है। इसके अलावा मैं यह भी जानता हूं और मुझसे कहा गया है कि जितने कलेक्टर हैं ५१ जिलों में उनमें से २७ एक विशेष जाति के हैं। लेकिन मैं स्वयं इस तरह की बातें कहना पसन्द नहीं करता और इसलिये उसको नहीं कहता। मेरे लिये इतना ही काफी है कि हरिजन कितने हैं उनमें और पिछड़ी जातियों के कितने हैं। बाकी कौनसी बिरादरी के हैं इस तरह के आक्षेप और बातें मैं अपनी ओर से उठानी पसन्द नहीं करता। वह उस तरफ से कही जायं, तो वह सोचें कि वह कांग्रेस के सिद्धांतों का कितना पालन करते हैं। इधर से कही जायं तो ये लोग जानें, मैं इस तरह की आलोचना न करता हूं और न करना पसन्द करता हूं। मैं आरोप लगाना या तीव्र बातें नहीं कहना चाहता हूं जब तक कि ऐसा करने के लिये मुझे उत्तेजित या प्रेरित न किया जाय। मैं तो केवल सूचना मांगता हूं। अभी-अभी उस दल की ओर से जिन माननीय सदस्य ने मंत्री जी के पीछे खड़े होकर जो भाषण दिया है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें और उसकी प्रतियां छपवाकर मौदहा में बंटवा दें और फिर देख लें कि क्या होता है। जनता स्वयं बतला देगी। जो बातें कही गयीं हैं क्या उनका उत्तर आप सच्चाई के साथ दे सकते हैं, हर पार्टी में अनुशासन होता है। उस अनुशासन के डंडे का उल्लंघन करके जब इस तरह की आलोचनायें उधर से होती

हैं तब यही कहना पड़ेगा कि सत्य का जादू सर पर चढ़कर बोल जाता है । तो असल बात क्या होगी, इसका विचार मंत्री जी स्वयं कर लें, सदस्यगण कर लें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कर लें ।

क्या चपरासियों के पद की योग्यता भी हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों में नहीं हैं ? क्या उनमें १८ फीसदी सब विभागों में हैं ? आपकी दो पंचवर्षीय योजनाएं चलने के बाद भी अगर उनमें इतनी योग्यता नहीं हो पाई, स्वाधीन भारत के ११ वर्ष के आपके शासन के बाद तो फिर क्या आपके लिये यह शोभनीय है या गर्व की बात है ? आप अपने मुख से कहते हैं कि चपरासी की भी उनमें योग्यता नहीं है और यह भूल जाते हैं कि यह बात आपके विरुद्ध है । आप ऐसा कहकर अपने केस को गन्दा कर लेते हैं । हमारी आलोचनाओं की ओर आप ध्यान न दें, मैं तो आलोचना करता भी नहीं । मैं तो आपसे और आपके सूचना विभाग से सूचना चाहता हूं । मेरे इन प्रश्नों का उत्तर छपवा कर मौदहा में बंटवा दीजिये और उसके नतीजे देख लीजिये कि आपने कितना काम किया है ।

मंत्री जी ने कहा कि नुक्ताचीनी करने वाले कुछ भूल जाते हैं । ठीक है, मनुष्य से भूल होती है । लेकिन मैं मंत्री जी से पूंछूंगा कि आत्म-प्रशंसा करने वाले या सरकार की प्रशंसा करने वाले भी कभी भूलते हैं या नहीं ? एक उदाहरण यही है कि अभी माननीय मंत्री जी स्वयं भाषण देना भूल गये थे, वे बिना भाषण दिये ही बैठ गये । ऐसी हालत में दूसरों की भूलों पर आक्षेप करना कोई अच्छी सफाई नहीं है ।

मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट के प्राक्कथन में दूसरे पृष्ठ पर कहा है कि इन पिछड़े हुये भाइयों के दुखदर्दों पर पश्चाताप करें । मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पूज्य बापू का उन्होंने इस पैरा में उल्लेख किया है और जिनकी तस्वीर यहां हमारे सामने टंगी है, उन्होंने पश्चाताप शब्द का प्रयोग नहीं किया था । उन्होंने प्रायश्चित् शब्द का प्रयोग किया था और मंत्री जी मानेंगे कि वह शब्द अधिक उपयुक्त है और सवर्णों को जिन्होंने यह पाप किया है उन्हें पश्चाताप नहीं बल्कि प्रायश्चित करना चाहिये । एक नागरिक की हैसियत से, दुर्जन होते हुये भी, मुझे अधिकार है कि यह कहूं कि हरिजनों के और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ न्याय कीजिये । सामाजिक न्याय कीजिये । आप बतलाये कि आपने कितना न्याय किया है ?

उन्होंने यह भी कहा कि पहले केवल कुछ हजार हरिजन बच्चे पढ़ते थे और इस समय हम लगभग ६ लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और हमारी सफलता का अन्दाजा आप इस पैमाने से नाप सकते हैं । मैं इस पैमाने को स्वीकार करता हूं मगर कृपाकर वह यह बतावें कि पढ़ने योग्य हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के बालकों की कुल संख्या कितनी है और ६ लाख उसका कितना प्रतिशत है ? यह बतलाकर जनता की अदालत में छोड़ दीजिये कि आपका पैमाना आपके कर्तव्य पालन के बारे में क्या बताता है ।

मंत्री महोदय ने कहा कि वह रूढ़िवाद को मिटाना चाहते है । कैसे ? प्रेम, शान्ति और अहिन्सा के साथ । बड़े सुन्दर शब्द है और मैं भी इन शब्दों का मानने वाला हूं । लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जहां बुराइयों के निराकरण की बात होती है, छुआछूत को दूर करने की बात होती है, अन्याय और अत्याचार को दूर करने की बात होती है और शोषण को मिटाने की बात होती है वहां प्रेम, शान्ति, अहिन्सा और जनतंत्र चारों के चारों ढाल बनकर आगे आ जाते हैं कि ये हमको नहीं करने देते हैं और इसलिये हम नहीं कर पाते हैं । लेकिन जब विद्यार्थियों और मजदूरों पर गोली चलाने की बात होती है तो ये चारों चीजें किस कन्दरा में घुस जाती हैं, कहां चली जाती हैं ? सही बात यह है, जैसा कि पूज्य बापू जी के परम अनन्य शिष्य सन्त विनोबा जी का कहना है कि क्रान्ति धीरे-धीरे नहीं होती । उन्होंने कहा था कि ५ वर्ष में अगर भूमि समस्या का हल नहीं हुआ तो खूनी क्रान्ति होकर रहेगी ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

यह पालीवाल का कहना नहीं है, यह बापू के उत्तराधिकारी का कहना है। मंत्री जी हिसाब लगाकर बता दें कि जिस हिसाब से वह हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से १०० वर्ष में भी उनके साथ पूरा न्याय हो सकेगा ? ये दोनों मिलकर, जिनकी संख्या ७० फीसदी के लगभग होती है, क्या इस अन्याय को सहन करते रहेंगे अगर हम विरोधी दल वाले भी आपसे मिल जावें ? इस प्रकार की समस्याएं मनुष्यों ऊपर रहा करती हैं। इस तरह की समस्याएं ऐसे सामाजिक भूकम्प पैदा करती हैं जिसे इनको कोई नहीं रोक सकता है। आपको क्रान्तिकारी तेज और ओजस्व के साथ काम करना चाहिये। हम छोटे मोटे सुधारों से या १० लाख रुपया बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। २, ४ चपरासी बढ़ा दिये या और कुछ नियुक्तियां कर दीं, इनसे समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं एक ही बात और कहूंगा और वह यह है कि कृषि के बारे में आपकी रिपोर्ट के ७ वें पेज पर अनुसूचित जातियों के लिये ५६-५७ में डेढ़ लाख रुपया रखा गया है। हमारे प्रान्त में एक लाख गांव हैं। इन एक लाख गांवों के लिये डेढ़ लाख रुपया रखा गया है जो कृषि के विकास के लिये है। क्या इस धनराशि में एक लाख गांवों का कृषि विकास हो जायगा ? यानी डेढ़ रुपया फी साल फी गांव पड़ा, यानी दो आना फी माह फी गांव, यानी सवा पाई प्रतिदिन फी गांव पड़ा। माननीय मंत्री जी किस तरह से इतने धन से हरिजनों की खेती का सुधार कर सकते हैं ? मैं बड़ी आतुरता के साथ उनके उत्तर को सुनूंगा और अगर उनका उत्तर सही होगा तो मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही अपने कुछ सुझाव भी मंत्री जी के सामने रख देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है तथा महत्वपूर्ण समस्या है। काफी समय से हरिजन उत्थान की समस्या चलती रही है लेकिन जिस दशा में और जिस गति से चल रही है अभी उससे पूर्ण संतोष नहीं हो सका है। सरकार हरिजन उत्थान की कोशिश कर रही है और चाहती है कि लोग आगे बढ़ें लेकिन फिर भी जितनी दशा सुधरनी चाहिये थी, उतनी नहीं सुधर सकी है। यदि हम आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक कार्यों का अवलोकन करें तो हमें मालूम होगा कि बौद्धिक दशा में अवश्य ही हम थोड़े आगे बढ़े हैं। लेकिन आर्थिक दशा ज्यों की त्यों है। कारण यह है कि देश गरीब है और बेरोजगारी की समस्या उसके सामने है। जब अभी उसको ही हम नहीं संभाल पाये हैं तो फिर इन गरीबों का प्रश्न तो दूर ही रह जाता है। तीसरी समस्या हमारी सामाजिक है जिसमें अस्पृश्यता का सवाल काफी बड़ा है और उसने उसके उत्थान में काफी बाधा पहुंचाई है। आर्थिक दशा सुधरने पर सामाजिक दशा सुधर जायगी, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। क्योंकि हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा बना हुआ है जो हमें संकीर्णता से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। आज दूसरे वर्गों में भी गरीब आदमी हैं लेकिन उनके साथ और हरिजनों के साथ व्यवहार का तरीका दो तरह का है। कानून पास हो गया और पुलिस के हाथ में भी दे दिया गया लेकिन क्या आपने देखा कि कितने केसेज इस सिलसिले में रजिस्टर हुए हैं जब कि कितनी ही जगहों पर हरिजनों पर अत्याचार किये गये हैं ? यह समस्या कानून से हल होने वाली नहीं है। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बारे में क्या-क्या क्रियात्मक कदम उठाये गये हैं, वे इसको देखें। जिलों में आज भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं और आज भी अमानुषिक व्यवहार हरिजनों के साथ हो रहा है। उसके लिये आवश्यक है कि इसको दूर किया जाय। रोजगार की व्यवस्था के लिये जैसा कि कभी कहा गया, कुछ विशेष कदम नहीं उठा। कृषि की उन्नति के लिये विशेष कोई कार्य अभी नहीं हुआ है और आज उनके रहने की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं हो पायी है। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उन्होंने ४०, ४५ वर्ष तक इस वर्ग में काम किया है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम इस कार्य के लिये नहीं उठा। हमारे सामने पूज्य गांधी जी की तसवीर है और महर्षि दयानन्द के बाद वही हस्ती

है जिसने हार्दिक इच्छा और प्रेम से हमको आगे बढ़ाने की कोशिश की और हमको अपना अंग समझा। उसी प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जो की ही नहीं बल्कि समाज की तवज्जह जब इस वर्ग की तरफ होगी तभी यह समाज में आगे बढ़ सकेगा। जहां तक सहयोग और सम्पर्क की बात है, सहानुभूति के साथ इस समस्या को नहीं उठाया गया है। दूसरे मैं तो यह भी महसूस करता हूं कि समाज की सहमति से ही इस समस्या को हल करना चाहिये। गो कि इस विषय पर मुझे बोलने की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आज उन्हीं लोगों को इस विषय पर बोलना चाहिये जो गैर हरिजन हरिजनों के विशेष हितैषी हैं, और जो उनसे प्रेम करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो सहानुभूति उनको है, उसको हम देखें और सोचें, हमको तो आज्ञा मिलती रहे, उतना हम उनकी सेवा का कार्य करते रहें। मैं तो अपना कर्त्तव्य अदा करने के नाते से यहां बोल रहा हूं। मैं सोचता हूं और समझता हूं कि हरिजनों की उन्नति के लिये कोई ठोस कार्य-क्रम बनेगा। माननीय मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने हमको यह उत्तर दिया था कि मैं एक ही वर्ष के अन्दर कोई ठोस कार्यक्रम सामने लाऊंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी होगी, जब माननीय मंत्री जी इस ओर आगे कदम बढ़ावेंगे और उत्साह-पूर्वक इस कार्य को करेंगे। इस कार्य के करने में बड़ी भारी दिक्कतें और परेशानियां हैं, इस बात को मैं मानता हूं और इसका एहसास करता हूं, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, जो जल्दी ही हल हो जाय, बड़ी दिक्कतें हैं।

जहां तक सर्विसेज का सम्बन्ध है, जब माननीय पंत जी यहां मुख्य मंत्री थे, इस बारे में मेरी उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत का जो रिजर्वेशन है, उसको कार्यान्वित किया जायगा और उसकी रिपोर्ट जिले से मंगायी जायगी यानी हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस बात की रिपोर्ट देगा कि उसने अपने यहां इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जिले से यह रिपोर्ट मंगवाती है? क्या सरकार यह चाहती है कि किसी तरीके से भी हो, यह १८ प्रतिशत हर तरह से पूरा होना चाहिये? जहां तक चपरासियों की बात है, उसमें भी इनको उतना स्थान नहीं मिल पाया है और यह कहा जाता है कि उसके लिये भी योग्यता नहीं है, जितनी होनी चाहिये। बलर्की में भी स्थान नहीं मिल पाया है।

अभी यह कहा गया कि इस तरह से कैसे उनकी हालत सुधर सकती है। जहां तक हालत सुधारने की बात है, इस तरह के दो-एक छोटे मोटे अनुदान देकर उनकी हालत नहीं सुधारी जा सकती है। हां, यह जरूर है कि इस तरह के अनुदानों से या दूसरे अनुदानों से उनका उत्साह बढ़ता है, लेकिन आज विशेष आवश्यकता इस बात की है कि उनके रहने के लिये मकानों की व्यवस्था हो। आज जिस तरह की गन्दी बस्तियों में वे रहते हैं, आप चल कर देखें तो वहां बैठ कर खाना भी नहीं पसन्द करेंगे, मैं भी पसन्द नहीं कर सकता हूं। आज उनके मकानों की दशा यह है कि एक एक घर में ८—८ और १०—१० आदमी रहते हैं। आज उनके रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है और जब यह हालत उनकी है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या को हल किया जाय? आज जब आप मकानों के लिये या मरम्मत के लिये कोई अनुदान देते हैं, तो वह भी मकान बन जाने के बाद ही देते हैं। आज बहुत कुछ मकान बनवाये भी गये हैं, जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज मकानों के लिये जिस तरह इमदाद दी जाती है, वह ठीक नहीं है। जब उनकी गरीबी की दशा है तो वे मकान बनाने के लिये सामान कहां से ला सकते हैं, अगर उनके पास पैसा न हो। सरकार की तरफ से इस तरह का इन्तजाम होना चाहिये कि उनको सामान और मैटिरिअल के लिये पहले रुपया मिला करे और बीच में भी मिले। यदि उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो मकान कैसे बन पायेंगे? आज उनके लिये कोई बारात ठहराने का, सभा करने का या मिलकर बैठकर बातचीत करने का कोई स्थान नहीं है। बारिश होती है तो बेचारे वर्षा में पड़े रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कोई चौपाल या सामूहिक

[श्री रामदास आर्य]

स्थान उनका हो जहां पर उनकी मीटिंग हो सके, बारात आदि ठहरने का प्रबन्ध हो सके या उनके मेहमान आदि ठहर सकें। यदि ऐसा हो जाय तो हरिजन सरकार के कृतज्ञ होंगे और दिखाई भी देगा कि वाकई कोई काम सामूहिक रूप में उनके लिये हुआ है। इस तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी माननीय मंत्री जी के मुख से यह सुनकर खुशी हुई कि वह हरिजनों के लिये यह आयोजन करने जा रहे हैं कि जो लोग मकान बनाना चाहें उन को जमीन मकान के लिये दी जाय और केन्द्रीय सरकार भी उसमें उनकी सहायता करेगी। यदि यह योजना कार्यन्वित हुई तो अवश्य ही इस से हरिजनों को लाभ होगा। इस के अलावा मैं यह चाहूंगा कि यदि उनके लिये कोई रोजगार की व्यवस्था की जाय तो बहुत अच्छा होगा और उस के लिये वह सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद देंगे। केवल भाषण से या कहने मात्र से काम नहीं चलता है, ठोस काम उनके लिये होना चाहिये।

प्रचारकों के विषय में भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रचारक रखते समय चूंकि उनका सम्बन्ध जनता से होता है इसलिये वहां के जो एम० एल० ए० हों उनसे भी मशवरा लेना चाहिये, वह समझ सकते है कि कौन आदमी ठीक से काम कर सकेगा और काम को आगे बढ़ायेगा। इसलिये प्रचारकों की नियुक्ति बहुत देखभाल कर होनी चाहिये। जो स्टाफ है उसमें भी कमी है, उस का भी सुधार होने की आवश्यकता है। हरिजन अफसरों की भी ठीक से ट्रेनिंग होना चाहिये और अधिकारी उनकी समस्याओं से वाकिफ होने चाहिये। ९–१० दिन की ट्रेनिंग बहुत कम है। जो हरिजन कल्याण अधिकारी हों वे ऐसे हों कि जो कलेक्टर, से मिलकर काम कर सकें और जिनका जनता पर असर हो और काम कर सकते हों उनके अधिकारों में वृद्धि की आवश्यकता है। हरिजन समस्या प्रेम और मोहब्बत से ही सुधर सकती है। विरोधी दल वालों ने जो विचार व्यक्त किये हैं वह ठीक हैं लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि क्रियात्मक कार्य की आवश्यकता है और जो बातें कही गई हैं उनको अमली जामा पहनने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी हरिजनों के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार करेंगे ताकि प्रदेश की हरिजन तथा पिछड़ी वर्ग की जनता पूर्णरूप से सन्तुष्ट हो सके।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गरीबदास (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष, आज का विषय जिस पर यह वाद-विवाद चल रहा है इस प्रान्त के करोड़ों निवासियों की समस्या है जिनका हजारों वर्षों से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा हर प्रकार के पहलू से शोषण किया गया है। आज भी देहात में जब कि स्वतंत्रता हुए ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं गरीब आदमी, जिनको शेड्युल्ड कास्ट कहा जाता है, जिनको अनुसूचित जातियां कहा जाता है उनको आज भी कुएं पर चढ़ कर पानी भरने का अधिकार समाज के जरिये नहीं है। गवर्नमेंट के कागजों में, सरकार के अखबारों में कुछ भी होता हो लेकिन जहां तक रचनात्मक कार्य का प्रश्न है आज भी देहात में अगर कोई मेहतर, कोई भी अछूत कहा जाने वाला आदमी सर्वण हिन्दू के मुकाबले में कुएं की जगत पर चढ़ जाता है तो ६० हाथ गहरा पानी दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है और उसको किसी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं। आज भी ग्रामीण जनता इन तमाम बातों से पीड़ित है। चारपाई पर आदमी नहीं बैठ सकता है। अछूत आदमी चबूतरे पर भी नहीं बैठ सकता है सवर्ण हिन्दू के मुकाबले में, यह छिपी हुई बात नहीं है, यह निर्विवाद है। जिसको देहात का अनुभव नहीं है, जो शहर का रहने वाला है या जो मौखिक बात को महत्ता देता है वह कुछ भी कहे लेकिन आज भी देहात के रहने वाले अछूत को ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है। वह इच्छा से अपना वोट भी नहीं दे पाता है। मैं जानता हूं कि देहात में जब ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ तो कई जगह ऐसे वाकयात हुए जहां पर अछूतों के ऊपर इस नाम पर अत्याचार किये गये कि हमको वोट नहीं दिये। जीतने वाली पार्टी भी कहती है कि हमको वोट नहीं दिये और हारने वाली पार्टी भी कहती है कि हमको वोट नहीं

दिये । इसलिये अछूत दोनों तरफ से पिसता है । यह दशा आज हमारे देश में है । फिर भी हमारे राज्य में गवर्नमेंट उनके लिये बड़ी प्रशंसा का पात्र बनती है कि अनुदान दिया जाता है । यह अनुदान जो दिया गया है यह साढ़े चार करोड़ पिछड़ी हुई, दबी हुई जातियों के लिये, जिनको पिछड़ा वर्ग या शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं वह पांच आने एक साल में पड़ता है । एक व्यक्ति के ऊपर डेढ़ पैसा एक महीने में होता है । डेढ़ पैसे में तो एक दियासलाई भी नहीं खरीदी जा सकती है । इस गिरे हुए समाज को, जिसके पास खाने के लिये अन्न नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है, ऐसी अवस्था में डेढ़ पैसे माहवार प्रति व्यक्ति देकर खिलवाड़ किया जा रहा है । हां, यह जरूर है कि सूअर पालने के लिये, मुर्गी पालने के लिये, सौ-पचास रुपये जरूर दे दिये जाते हैं । इनकी गर्दन में जो समाज द्वारा पहनायी गयी बेड़ियां हैं, जो समाज द्वारा गिराये गये हैं, वह कहीं इस काम को छोड़ न बैठें, इसलिये ये रुपये दे दिये जाते हैं । आज गांवों में.....

हरिजन कल्याण मन्त्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—साढ़े चार करोड़ कहां के फीगर्स हैं ?

श्री गरीबदास—आप की यू० पी० के फीगर्स हैं । बैकवर्ड और शेड्युल्ड कास्टस् को मिला कर, यह अनुदान मिला हुआ है ।

तो मैं यह कह रहा था कि ऐसी दशा में अछूतों और पिछड़ी हुई जातियों का कोई सुधार नहीं होता बल्कि सरकार दुनिया में यह दिखाना चाहती है कि हम भी गिरे हुए समाज को उठाने की कोशिश करते हैं । इनको सदियों से सताया गया और हजारों वर्षों से तबाह और बरबाद किया गया, जिनकी असमत पर आक्रमण किये गये, हर प्रकार से परेशान किया गया और सब से बड़ी बात यह है समाज ने समय-समय पर पददलित किया । पुराने समय में पुराणों और ग्रन्थों में शूद्र कहे गये, अतिशूद्र कहे गये और अस्पृश्य कहे गये । इतनी उपाधियां देने पर भी हमारा समाज प्रसन्न नहीं हुआ तो उसने एक बहुत बढ़िया डिग्री दी जिसको वर्णशंकर कहते हैं । ऐसे समाज को वर्णशंकर कहते हैं जिसकी संख्या लगभग ४ करोड़ के यू० पी० में हैं । जैसा कि हमारे कुछ सदस्यों ने बयान भी किया है कि पुराने समय में उनके साथ क्या-क्या अत्याचार किये गये, यह पुस्तकों द्वारा साबित होता है । कैसे मनुजी ने ४ वर्ण बनाये, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, और शूद्र । आज की सरकार कहती है कि हमने वर्ण विहीन समाज की व्यवस्था की है । मैं तो यह कहूंगा कि वर्णविहीन नहीं बल्कि मनु से भी अधिक जातीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है । यह हरिजन लिखे जाने वाली जो बात है यह क्या पांचवां वर्ण नहीं बनाया जा रहा है ? मैं तो कहूंगा जो भी सज्जन चाहे वह सरकार में हों, चाहे सदन में हो या चाहे बाहर हों जो हरिजन शब्द इस्तेमाल करता है उस हमारे समाज के लिये जिसके आज जीभ नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, जो देहात में एक बासी रोटी के ऊपर दिन भर टट्टी उठाता है, जो झूठा भोजन खाता है, यहां तक है इस प्रदेश के अन्दर कि गोबर के अन्दर मिला हुआ अन्न शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी खाता है ऐसे निर्बल समाज के लिये जो हरिजन शब्द का प्रयोग करता है वह जातीयता को विशेष बढ़ावा देता है । सरकार ने यहां तक किया कि इस नाम से एक विभाग भी खोल रखा है । क्या इतिहास में यह चीज नहीं लिखी जायगी कि बीसवीं सदी में जब भारत स्वतंत्र हुआ यहां पर एक नई जाति उत्पन्न हुई जो हरिजन कही जाती थी ? मैं कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद समय आने पर यह शब्द नाकाबिले बरदाश्त होगा । श्रीमन्, मुझे कुछ और समय दिया जाय, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी आपके दो मिनट हैं ।

श्री गरीबदास---आज किस रामराज्य की स्थापना की बात सरकार करती है ? मै श्रीमन्, कहूंगा कि रामायण में इसका क्या अर्थ होता है उसको भी देख लिया जाय । रामायण में कई ऐसी चौपाइयां हैं जिनसे पता चलता है कि शूद्रों की क्या व्यवस्था थी उस रामराज्य में--

"पूजिय विप्र सकल गुनहीना, शूद्र न गुनगन ज्ञान प्रवीना ।"

इसी प्रकार से :--

"जे बरनाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच, किरात, कोल कलवारा ।"

मैं बीसों चौपाइयां बता सकता हूं लेकिन समय कम है, जिनमें साफ जिक्र है कि यह शूद्र हैं, यह गिरे हुए हैं, इनके साथ हमेशा गिरा हुआ बर्ताव होना चाहिये और वही आज रामराज्य की बात सुनता हूं तो मुझे याद आता है कि उसी रामराज्य में शम्बूक सरीखे ऋषि का रामचन्द्र जी ने इसीलिये वध किया था कि वह शूद्र था और तपस्या करने का अधिकार नहीं था । तो ऐसे रामराज्य की बात सुनकर हमारा हृदय कांप उठता है । राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी का जिक्र किया गया कि उन्होंने ब्रह्मणों के चरण पूजे और वहीं माननीय जगजीवन राम जी को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया गया, काले झंडों से उनका बहिष्कार किया गया ।

अब विश्वनाथ मन्दिर की बात कही जाती है । मैं कहूंगा कि रामराज्य तो वही है जिसे करपात्री जी ला रहे हैं, जैसा रामायण में लिखा हुआ है । यह धृष्टता है उन लोगों की जो जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं । मैं तो कहूंगा कि ऐसे मन्दिर में नहीं जाना चाहिये अछूतों को क्योंकि वहां जा कर वे रामराज्य को गन्दा करेंगे । जो रामराज्य की व्यवस्था है उसके विपरीत वे जायं इसकी मैं जरूरत नहीं समझता ।

दूसरी ओर चोटी पर आप देखें । एक तरफ भारत के प्रधान मन्त्री को देखिये और दूसरी ओर सवेरे निकलिये तो दरवाजे पर उसी जाति का आदमी भीख मांगता मिलता है । राज्यपाल को देखिये और रसोइये को देखिये रसोईखाने में, दोनों एक ही जाति के होंगे । यह तो जातिवाद है । मैं देखता हूं कि यह जो रिजर्वेशन की बात है १८ फीसदी, इसे चाहे आप १०० फीसदी कर दीजिये, उससे कोई फायदा नहीं होगा । वह तो सिर्फ मौखिक है, केवल किताबों में लिखा हुआ है । यदि सरकार रिजर्वेशन करना चाहती है तो उन अल्पसंख्यकों का रिजर्वेशन होना चाहिये जो दिल्ली से ले कर गांव समाज तक अधिकार किये हुए हैं जिनकी आबादी बहुत कम है .....

श्री हरीसिंह---रिजर्वेशन की बदौलत ही आप यहां विराजमान हैं ।

श्री गरीबदास---समय कम है वर्ना मैं जवाब देने की कोशिश करता । इस बात का ज्वलंत उदाहरण रखूं, आज यह ढोल पीटा जा रहा है कि समता और समानता का । इसमें आप देखिये .....

श्री उपाध्यक्ष---नया विषय अब मत लीजिये । समय नहीं है, अब आप बैठिये, आपका समय खत्म हो गया ।

(कुछ ठहर कर)

मैं सोचता हूं कि काफी संख्या में लोग बोलने वाले हैं । मेरा निवेदन है यदि समय १० के बजाय ७ मिनट कर दिया जाय तो मुनासिब होगा ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई विशेष भाषण होगा तो उसके लिये समय बढ़ा दिया जायगा, वैसे ७ मिनट का समय काफी है । इसमें काफी सदस्यों को बोलने का मौका भी मिलेगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि ज्यादातर बोलने वाले पिछड़े वर्ग की तरफ से हैं और पीछे वालों को हमें आगे बढ़ाना है। और उन्हीं का टाइम काट लेंगे....

श्री उपाध्यक्ष--आज प्रश्न नहीं थे। एक घंटा तो यों ही बढ़ गया। इस समय ३ बज रहे हैं। इस समय यह प्रश्न न लेकर बाद में इस पर विचार किया जायगा।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समाज जो हजारों साल पहले से मुख्तलिफ वर्गों में बटा हुआ है जिसकी एक बड़ी संख्या को शूद्र या पिछड़ी जातियों के नाम से पुकारा जाता था और जिसको बरसहा बरस से कुचला जा रहा था उसकी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में पूज्य बापू ने जन्म लिया। उन्होंने देश की सियासी आजादी के लिये लड़ने के साथ-साथ सामाजिक सुधार के लिये भी ऐसी रहनुमाई की जिससे आज वह पिछड़ा हुआ वर्ग अपने आप को आगे ले जाने के लिये अपने अन्दर एक ताकत पाता है, एक हौसला पाता है। पूज्य बापू की ही रहनुमाई का करिश्मा है कि जिस देश में कुछ विशेष जातियों को कुएं पर चढ़ने का हक नहीं था, किसी ऊंचे स्थान पर जिनका मुकाम नहीं था उन सारी चीजों को खत्म करके उनके कल्याण और तरक्की के लिये, उनको आगे बढ़ाने के लिये और देश व प्रदेश में इंसानियत के नाते सबको बराबरी का हक दिलाने के लिये न सिर्फ सामाजिक तौर पर ही बल्कि सरकारी तौर पर भी तहरीकें चल रही हैं। मैं यह मानता हूं कि हरिजन कल्याण के लिये, पिछड़ी जातियों की तरक्की के लिये जितनी बड़ी रकम की जरूरत है, कुछ आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आज हम उतनी बड़ी रकम इस मद में नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारी यह छोटी-मोटी रकम देश के लिये एक नमूना है। हम समाज के सामने एक नमूना रखना चाहते हैं कि आओ, इस रास्ते पर चल कर इन पिछड़ी और कुचली हुई जातियों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसमें न तो सरकारी पक्ष की बात है और न विरोधी पक्ष की बात है। पूरे प्रदेश और समाज की बात है, हम सब को कंधे से कन्धा मिलाकर इन पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। यह बिलकुल दुरुस्त है कि इस मैदान में जितना काम १० वर्षों में हो जाना चाहिये उतना नहीं हुआ लेकिन इस काम के न होने की जिम्मेदारी तनहा सरकार पर नहीं है। मुझे यह कहने में माफ रखा जाय कि अगर यह कोई कसूर की बात है, कोई गिरफ्त की बात है तो इस गिरफ्त में सरकारी पक्ष से कम विरोधी पक्ष नहीं आता है, इसलिए कि हम सदन में चाहे हरिजनों के कल्याण की बात करें, चाहे पिछड़ी जाति को तरक्की देने का दावा करें लेकिन अमली तौर पर, अमली जिन्दगी में हममें का कोई भी आदमी अपनी हासिल की हुई जगह को छोड़कर अपने पिछड़े भाई को आगे बढ़ाने का कोई भी रास्ता जो अख्तियार करना चाहिये, उसके लिए तैयार नहीं है। आज यह बात तो ठीक है कि कोई आदमी यह कह सकता है कि यह बात तो बड़ी ही अच्छी है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि अब सभी जिलों में हरिजन सहायक अफसर मुकर्रर किये जा चुके हैं, लेकिन क्या यह बात पूछने की इजाजत दी जायगी कि इन हरिजन सहायक अफसरों में कितने हरिजन या पिछड़ी जाति के लोग है और जब तक ऐसी नौकरियों में हरिजन और पिछड़ी जाति के आदमी न आयें तब तक न सिर्फ रुपये की कमी-बेशी की वजह से हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियों की तरक्की नहीं हो सकती है बल्कि उनको ऊपर भी नहीं उठाया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम हरिजनों का कल्याण करें और पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ायें तो हमें बड़ी नौकरियों में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को लाना होगा।

हममें का हर शख्स जानता है कि हमारे समाज में आज भी जाति-पांति की वजह से जो शख्स किसी नौकरी में पहुंच जाता है वह अपनी जाति-बिरादरी के लोगों को वहां लाने की कोशिश करता है। उसका नतीजा यह है कि १० साल की चीख-पुकार के बाद भी हरिजनों के रिजर्वेशन

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

के मुताबिक हम उनको किसी शोबे में भी १८ फीसदी तक नौकरी देने में नाकामयाब रहे और पिछड़ी जाति के आदमियों को उस तनासुब से आज सरकारी कर्मचारियों के शुमार में हम नहीं पा सकते। तो अपने समाज की जहेनियत को बदले बगैर सिर्फ सरकारी अनुदान के सहारे हरिजनों का कल्याण हो जाय या पिछड़ी हुई जातियां ऊपर उठ आयें, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने को मजबूर पाते हैं। हममें का हर एक आदमी हरिजनों और पिछड़ी जातियों के नाम लेकर बहुत कुछ कहता रहता है, लेकिन अमल में उसका क्या ढंग है उसे इसी सदन में देखा जा सकता है। अगर गवर्नमेन्ट के अन्दर गवर्नमेंट के मुकर्रर किये हुए लोगों में हरिजनों की तादाद कम है, पिछड़े लोगों की तादाद कम है तो हमारी सियासी पार्टियों के अन्दर जो लोग नेता और उपनेता हैं उनमें कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं? तो हमारा जो समाज का ढांचा है जिसे बदलने के लिए बापू ने नारा दिया था, हम जब तक उसे अपना नहीं सकते हैं, तब तक हमारी जहनियतों में तब्दीली नहीं होती तब तक न हरिजनों का कल्याण हो सकता है और न पिछड़ी हुई जातियां तरक्की पा सकती हैं।

आखिर में एक बात गुजारिश करना चाहता हूं और मंत्री जी की एक बड़े ही खौफनाक खतरे की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हमारे समाज में पिछड़ी जातियों और हरिजनों का तबका तो है ही, लेकिन मुलाजमतों में लिये जाने का जो तनासुब है, मुझे डर लगता है कि कहीं मुसलमान नामी एक नया हरिजन समाज तो हम इस मुल्क में पैदा नहीं कर रहे हैं। आज मुलाजमतों में देखा जाय तो उनकी तादाद रोज बरोजन सिर्फ कम होती जा रही है, बल्कि खत्म होती जा रही है। तो एक दिन आने का अन्देशा किया जाता है कि जब एक नया समाज पैदा हो जायगा हरिजन नाम का और वह मुसलमान नामी होगा।

इसके साथ-साथ एक बात मैं और गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में जो तहरीक सरकारी तौर पर चलायी जा रही उसका मतलब यही नहीं है कि हमने इतना रुपया रख दिया है बजट में ताकि हरिजनों का कल्याण हो सके। इसलिये कुछ भाई जो रुपये की कमी बेशी का सवाल उठाते हैं मैं समझता हूं कि उनका खयाल सही नहीं है। हम तो सरकारी तौर पर कानून बनाकर, छुआछूत के खिलाफ कानून बनाकर समाज की रहनुमाई करते हैं कि इसे खत्म होना चाहिये। हम हरिजनों और पिछड़ी जातियों की तरक्की के लिये अपनी सई भर थोड़ी सी रकम रख कर पूरे समाज की रहनुमाई करना चाहते हैं कि वह अपने आपको बदल कर ऊंच नीच का भेद भाव मिटा कर हमें सोशलिस्ट समाज बनाने में कामयाबी हासिल करने दे। बस इतना ही मैं गुजारिश करना चाहता हूं।

श्री गयाबख्श सिंह (जिला सुल्तानपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। एक शेर याद आता है---

'सबा मुझ को ले चल उड़ा कर मदीने,
दिले मुजतरिब की कहानी कहूंगा,
उम्मत के रौजे की खिड़की पकड़ कर,
मुहम्मद से अपनी जबानी कहूंगा।'

ऐ हवा मुझे मदीने ले चल। वहां मैं हजरत मुहम्मद सल अल्लाह अलेहुसल्लम से अपनी कहानी कहूंगा। इतनी अहमियत का मसला इस सदन के सामने पेश है कि मैं समझता था कि कैबिनेट के हर माननीय मिनिस्टर को मौजूद होना चाहिये था। अभी हरिजनों की संख्या बतायी गयी है कि कितनी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनसंघ की परिभाषा में कोई शब्द 'हरिजन' नहीं है।

एक सदस्य---जन संघ के नेता नहीं हैं।

श्री गयाबख्श सिंह---एक आवाज आयी कि जनसंघ के नेता नहीं हैं। शायद मेरे भाई ने सुना नहीं, मैंने कैबिनेट के मिनिस्टरों को कहा था। पूज्य बापू ने हरिजन शब्द को उच्चरित

किया था। मैं भी एक वर्ग विशेष के लोगों को पूज्य बापू के शब्दों में 'हरिजन' कहूंगा। देखना हमें यह है कि हरिजन कहां रहता है, क्या करता है? समाज के हर तबके में तो उनका समावेश है। अभी आपत्ति उठायी गयी और सही है, जिसका किस्सा हो अगर उसी की जबानी हो तो अच्छा मालूम पड़ता है। हरिजन अधिकारी जिले जिले में मुकर्रर हैं। अगर उनमें से अधिकांश हरिजन होते और यदि सम्भव होता तो सब होते तो बड़ा ही अच्छा होता। अभी मेरे पहले जो माननीय वक्ता बोल रहे थे शायद वे यह कहना भूल गये कि जो इस विभाग के मिनिस्टर हैं वे भी शायद हरिजन नहीं है, अगर वे हरिजन होते तो और भी अच्छा होता।

मैं जब सदन में बातें सुनता हूं तो थोड़ा सा दुःख भी होता है। जेलों में जाकर देखिये। मुझे भी कुछ दिन हुये जब मुल्क के दुर्भाग्य से कहिये, मेरे सौभाग्य से कहिये, जेल जाने का इत्तफाक हुआ। वहां मैंने देखा कि मेहतरों को तनख्वाहें दी जाती हैं, रजिस्टर पर उनका नाम लिखा हुआ है मगर वह काम वनमानुष या और छोटी-छोटी जातियों से लिया जाता है। जेलों में आज भी वही रवैया है। अगर मंत्री महोदय वहां जा कर देखें तो उनको मालूम होगा। मगर दुःख है कि उनके आने की इत्तला हो जाती है, फूल मालाएं सुसज्जित होती हैं और रसगुल्लों की दावत हो जाती है। सरप्राइज विजिट अगर की जाय तो सही चीज देखने में आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन चीजों पर परदा है, अगर यह चीजें अधिकारियों की निगाह के सामने नहीं हैं तो बाअदब मुझे यह कहने की इजाजत होगी कि यह इंकाम्पीटेंसी की झलक मालूम होती है क्योंकि जानना चाहिये और अगर जानते हुये निराकरण नहीं होता है, इलाज नहीं होता है और उसकी रेमेडी नहीं होती है तो "अहं वदामि ददामि न" यह शब्द मैं कहूंगा। इसके माने यह हैं कि खाली कहा जाता है लेकिन उसको चरितार्थ करने की कोशिश नहीं की जाती है।

हरिजन अधिकांश गांवों में रहते हैं, वह चमार हैं, पासी हैं। मैं वर्गीकरण करना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं पहले ही बतला चुका हूं कि जनसंघ इसमें विश्वास नहीं रखता है। क्या सरकार ने दस साल में कोई अपनी स्कीम चलायी? देहातों में बच्चा पैदा होते समय चमार की स्त्री आकर बच्चे को प्रथम बार दूध पिलाती है और अपने कुरूप बने हुये हंसिये से बच्चे का नार छीलती है। आज हमारी सरकार ने यह कर रखा है कि स्प्रिट में कैंची डुबो कर नार छीला जाता है और वह सफेद कपड़े पहने होती है और उसके सिर पर भी सफेद कपड़ा बंधा होता है। क्या इससे हरिजनों का कोई उत्थान हो जायगा? आज कितने ही लोगों की देहात में रोजी छीनी जा रही है। मसलन सरकार ने एक अस्पताल खोल दिया तो बीसियों हरिजनों के परिवारों की रोजी छिन जाती है।

श्री हरीसिंह—कितने प्रार्थना-पत्र आपके पास आये हैं कि उनकी रोजी छीनी जा रही है?

श्री गयाबख्श सिंह—यह तो बुद्धि से अगर परखा जाय तो समझा जा सकता है क्योंकि जहां एक अस्पताल खुल गया तो वहां की बीसियों दाई बेकार हो गईं। मेरे पास दरख्वास्तें नहीं आई हैं लेकिन नमूना मौजूद है। बच्चों के नार अस्पताल वाली दाई से छिनवाये जायंगे।

श्री महीलाल—यह दाई की भावना है या आपकी।

श्री उपाध्यक्ष—आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री गयाबख्श सिंह---यह तो उन्हीं की भावना होगी जिनकी तरफ से आवाज आ रही है। बहरहाल, थोड़ा सा अनुदान दे दिया तो आप समझते हैं कि हरिजन कल्याण हो रहा है। हरिजनों को कुएं बनाने के लिये थोड़ा सा अनुदान दे दिया तो उससे क्या हो सकता है?

आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने तालाब में जो मछलियां थीं उनका ठेका ठेकेदारों को दे दिया है। इससे किस का नकसान हुआ है? मल्लाहों का, क्योंकि वह दस हजार, पंद्रह हजार रूपया कहां से लायें जो ठेका ले सकें? इससे उनकी रोजी छिन गई। आज आपके यहां बड़े-बड़े ठेके दिये जाते हैं और ऐसे लोगों को दिये जाते हैं जो कारीगर पंजाब तथा बंगाल आदि से लाते हैं और आपके यहां के कारीगर कन्नी बसूली लिये फिरते हैं।

आपने फीस माफी के लिये थोड़ा सा अनुदान दे दिया लेकिन उनको नौकरी कहां मिलती है? जब साल खत्म हो जाता है तब कहीं ग्रांट मंजूर होती है। किताबें तब आती हैं जब पढ़ाई खत्म हो जाती हैं और किताबों के अभाव में लड़के बेचारे फेल हो जाते हैं। इस व्यवस्था से क्या फायदा ह? संख्या को देखते हुये आज का यह अनुदान काफी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त हो गया।

श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)---मान्यवर, मुझे इस वक्त थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उधर से हरिजनों के हित की बहुत सी बातें कहीं गईं लेकिन उनसे यह तकलीफ गवारा नहीं की गई कि वह आज इस अनुदान के लिये अपना पूरा वक्त तो दे सकते। शुरू में तो बहुत सी बातें कह गय लेकिन अब वह दिखाई नहीं पड़त हैं। यह उनके हरिजन प्रेम का प्रतीक है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हममें से बहुत से लोग यहां सामान्य नियमों का पालन भी नहीं कर सकते।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हरिजन सेवा की दिशा में बहुत सा काम किया गया और किया जा रहा है। यह काम कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया है। आज बहुत सी बातें हरिजन उत्थान के लिये कही जा रही हैं। एक बात यहां पर बड़ी अजीब कही गई। मुझे आशा नहीं थी, माननीय पालीवाल जी ने जो बात हरिजनों के बारे में कही कि मौदहा में श्रीनाथ जी की स्पीच को बटवा दें तो मैं कहता हूं कि यहां पर हरिजन कल्याण का सब कार्य होते हुये भी यह हमारी ही हिम्मत है कि जो इस तरह से सच्ची बात कहते हैं। हमारा दृष्टिकोण संकुचित नहीं है कि हम मुंह देखकर बात कहें। देश या समाज के हित की जो बात होगी वही कही जायगी। जो सच्ची बात होगी वह सच्ची तरह से ही कही जायगी। यदि थोड़ी सी बातों को लेकर हम सच्ची बात कहते हैं तो उसमें कोई अन्तर नहीं आता है। हम उस तरह से कोई बात प्रचार के लिये नहीं करना चाहते हैं जिस तरह से कि दूसरे लोग प्रचार के लिये बात करते है। यह बिलकुल सत्य बात है कि हरिजनों की समस्या हजारों वर्ष पुरानी है। वह आज की समस्या नहीं है। हम सब देखते हैं कि हरिजनों के लिये बौद्धों ने प्रबन्ध किया। हमारे साधु-संतों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। ईसाइयों ने भी अपने तरीके से इनके लिये कार्य किया। मुसलमानों ने भी अपने तरीके से काम किया। इस बात को हम सब जानते हैं लेकिन यह समस्या फिर भी उलझती गई। क्या हम सब इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि इस दिशा में जितना कार्य कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया है? क्या आज यह देखने को नहीं मिलता है कि धारा सभाओं के अन्दर उस वर्ग के इतने अधिक संख्या में सदस्य उपस्थित हैं जितने कभी नहीं रहे? क्या यह सब इस बात का द्योतक नहीं है कि इस दिशा में पर्याप्त कार्य हुआ है? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि जो लोग आज हरिजन कल्याण के प्रचार का दम भरते हैं वह जब किसी काम को अमली जामा पहनाने का समय आता है तो पीछे हटते है और डरते हैं? इसलिये इस बात को केवल सरकार के ऊपर थोप देना कि सरकार सब कुछ करे यह अनुचित होगा। हरिजनों की समस्या एक सामाजिक रोग है। हरिजनों की समस्या सैकड़ों वर्ष की है। हम सब

को मिलकर उसको सुधारना होगा। मान्यवर, हरिजन सेवा के लिये प्रदेशीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हर जिले के लिए एक हरिजन कल्याण अधिकारी रखा हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समाज सेवक की मियाद ४ महीने की है। उस मियाद को बढ़ाना चाहिये और कम से कम एक साल के लिये उनको रखा जाय। हर ४ महीने के बाद उनको कह दिया जाता है कि उनका काम समाप्त हो गया और फिर उनको नियुक्त किया जाता है। इसलिये अच्छी प्रकार से काम तभी हो सकता है जब उनको साल भर के लिये रखा जाय।

शिक्षा के लिये वजीफा दिया जाता है और यही नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी शिक्षा के लिये जो लोग विदेश जाते हैं उनका सब खर्चा सरकार वहन करती है। बहुत से विद्यार्थी आज विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इधर कुछ वजीफों में कमी की गई है। इसके दो रूप कर दिये गये हैं। जो लड़के अपने घरों पर रहते हैं उनको कुछ और जो लड़के छात्रावासों में रहते हैं उनको कुछ और दी जाती है। जो लड़के होस्टल में रहते हैं उनको शायद ४० रुपया मासिक मिलता है। मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के छात्रावासों में जाकर रहें और सबके साथ मिल कर रहें। लेकिन साथ ही साथ इससे नुकसान भी है। हरिजनों के अपने छात्रावास खुले हुये हैं। उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे तो जो संस्थायें चलती हैं वे भी अपना कार्य करती हैं। इस तरह से उनके ऊपर असर पड़ेगा। मैं समझता हूं यह विषमता अगर हुई है तो यह मिटनी चाहिये।

मान्यवर, हरिजनों के मकान बनाने और उनकी बस्ती बसाने के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया है और आज मुझे मालूम हुआ है कि उनको जमीन मुफ्त दिये जाने की योजना है। यह अच्छा है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो योजना बने उस पर कार्य अच्छी प्रकार से होना चाहिये। मेरठ में एक हरिजन बस्ती योजना बनायी गयी, लेकिन अभी तक उस पर बहुत कम काम हुआ है। मै चाहूंगा कि अगर वह बस्ती बसानी है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाय ताकि वह बस्ती बसे और उन लोगों का काम हो।

संरक्षण की बात कही गयी। संरक्षण धारा सभाओं में है और नौकरियों में संरक्षण होते हुए भी वह पूरा नहीं होता। मैं यह चाहता हूं कि उसको पूरा करने की दिशा में काम हो। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि हरिजनों को व्यापार में भी संरक्षण दिया जाना चाहिये। क्या वजह है कि उनको मोटरों के परमिट और लाइसेंस आदि के लिये संरक्षण नहीं दिया जाता? यह उनकी आर्थिक स्थिति को उठाने के लिये आवश्यक है। मान्यवर, अभी एक भाई ने कहा कि उनका विचार है कि हरिजनों का संरक्षण धारा सभाओं तथा नौकरियों में समाप्त कर दिया जाय। मैं कहूंगा कि अगर आपने सोच लिया कि उनका कल्याण हो गया और वह अपना काम चला सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा विचार है कि अभी १० क्या २० साल तक इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको उन लोगों को संरक्षण देना होगा और हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार से साफ इस बात को कहना चाहिये कि यह संरक्षण बढ़ाया जाय और इस के लिये हम सब लोग जोर लगावें, क्योंकि अगर आप संरक्षण हटा देंगे तो जो तरक्की अब तक उनकी हो पायी है वह रुक जायगी।

श्री मूल चन्द (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है उसके आंकड़ों को देखते हुए मुझे एक विचार आता है कि मैं उनको बधाई दूं, लेकिन सरकार की तरफ से देहातों में फैले हुए उस के कर्मचारियों ने जो पैसे का दुरुपयोग किया है उसको देखते हुए मैं उनको बधाई देने की कोई विशेष जरूरत नहीं समझ रहा हूं और इस लिये मैं मंत्री जी को बधाई न देकर आपको, उपाध्यक्ष महोदय, बधाई देता हूं। वह इसलिये कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[श्री मूलचन्द]

श्रीमन्, आज सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सरकार हरिजनों के लिये पुस्तकें, वजीफे, छात्रावास इत्यादि का प्रबन्ध करती है। लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिलों में जिस समय पुस्तकों की जरूरत होती है उस समय वह नहीं पहुंचती हैं। वह उस समय पहुंचती हैं कि जब छात्र लोग पुस्तकें खरीद लेते हैं और नतीजा यह होता है कि या तो वे पुस्तकें सरकार के पास वापस आ जाती हैं या मास्टरों द्वारा उनका क्रय विक्रय हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि मास्टर लोग बेच लेते हैं लेकिन देहात के रहने वाले इतना जरूर महसूस करते हैं कि सरकार समय पर सहायता नहीं कर पाती और जो सहायता करती भी है तो वह आवश्यकता से कम होती है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि छात्रवृत्ति से संबंधित जो अनुदान है वह मैं समझता हूं कि बहुत ही कम है लड़कों की संख्या को देखते हुए। जिले में वही लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं जिनके मां-बाप या सलाहकारों की पहुंच वहां के इंसपेक्टर या समिति के सदस्यों तक होती है।

आज गरीब आदमी देहात के अन्दर बढ़ते जाते हैं लेकिन उनको सहायता नहीं मिल पाती है और न वजीफा ही मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि वे फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद, दूसरे साल अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से यह देखकर कि हम नहीं पढ़ सकते, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। अगर वह दूसरे साल पढ़ने की इच्छा भी करते हैं तो सरकार की तरफ से ऐसा सरक्यूलर सूबे के हर जिले में गया है कि जितने फेलियर लड़के हैं उनकी फीस माफ न की जाय। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि लड़का वही फेल होता है जिसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है।

सीतापुर के एक वाकये की तरफ अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ समय हुआ जब मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और माननीय मंत्री जीने उदारता के साथ मेरे एक प्रार्थना-पत्र पर ध्यान भी दिया था। वहां पर कुछ लड़के फेल हो गये। जुलाई के महीने में उनकी फीस माफ न की गयी। लड़के इसके लिये डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर के पास गये, वह न मिले तो वह डी०एम० के पास गये। डी०एम० ने विश्वास दिला कर कहा कि मैं देख लूंगा, उनको वापस कर दिया। इस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर नाराज हो गया और एक-एक लड़के के ऊपर ५–७ और १० रुपया तक जुरमाना किया गया है और कुछ लड़कों को इंटर कालेज से निकाल भी दिया गया है, जिसकी सूचना मैंने मंत्री जी को भी दी थी और उस पर उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर द्वारा इंक्वायरी करायी। जब मैं डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि मैं इंक्वायरी करने नहीं गया था बल्कि देखने गया था। क्या वहां कोई दावत थी जो डिप्टी डायरेक्टर साहब गये थे ? आज तक उसका कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके ऊपर पूरी तौर से विचार करें। यह साल तो उनका खराब ही हो गया लेकिन अगले साल के लिये मैं प्रार्थना करूंगा।

जहां तक नौकरी का सवाल है, आज सरकार की तरफ से यह घोषणा की जाती है कि सरकार १८ प्रतिशत रिजर्वेशन के आधार पर हरिजनों को नौकरी देगी। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यू०पी० के अन्दर १८ प्रतिशत रिजर्वेशन के आधार पर कितने आदमियों को लिया गया है। अगर वे सही आंकड़े दें तो बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि आज केवल नाम के लिये रिजर्वेशन है और केवल वोट के लिये उन्होंने ऐसा कर रखा है। सदन के अन्दर हमने देखा कि नौकरियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब यह मिलता है कि उनमें योग्यता नहीं है। माननीय मंत्री जी जिस समय भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि इतने लड़कों की दरख्वास्तें नहीं आ पाती हैं जिससे उनका कोटा सर्विसेज में पूरा किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हरिजन इतने परेशान हैं कि उनकी दरख्वास्तें हर डिपार्टमेंट के अन्दर सैकड़ों से अधिक पड़ी हुई हैं लेकिन उनकी सुननेवाला कोई नहीं है। वहां पर तो उन्हीं लोगों की सुनवाई होती

है जो अधिकारियों के पास होते हैं। उनके नजदीकी और रिश्तेदार होते हैं आज वहां पर कुनबापरस्ती बरती जाती है। वहां पर आपको अधिकारियों के रिश्तेदार ही सर्विस में अधिक मिलेंगे, लेकिन कहने के लिये रिजर्वेशन है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हरी सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी को इस अनुदान पर बधाई देता हूं, क्योंकि जहां तक हरिजन विभाग और हरिजनों के उत्थान का प्रश्न है, इस देश के सभी नेताओं ने चाहे वे जिस पार्टी के हों, सभी ने इस विष को यह समझ कर पिया कि इसी से इस देश का कल्याण हो सकता है और वे देश को गुलामी से स्वतंत्र कराना चाहते थे, लिहाजा सभी पार्टियों के माननीय नेताओं ने मिल कर इस विष को उसी तरह से पिया जैसे शंकर जी ने संसार के कल्याण के लिये विष को पिया था। इस तरह से हमारे देश के सभी नेताओं ने मिल कर यह प्रतिज्ञा की थी कि हम इस विष को पीकर रहेंगे और उसके लिये उन्होंने शनैः शनैः कुछ योजना भी प्रारम्भ की। परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बीच में ही जैसे देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के नेताओं में से कुछ लोग इधर से उठ कर उधर चले गये और कुछ लोग उधर से उठ कर इधर चले आये। इस तरह से यह उल्टा-पल्टा होता रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इधर से उधर कोई नहीं गया।

श्री हरी सिंह—श्रीमान् जी, बहुत आये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की उलट-पलट रही और विरोधी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के लिये यह कहना शुरू कर दिया कि वह हरिजनों के लिये यह नहीं कर रही है, वह नहीं कर रही है, इस किस्म की बातें उन्होंने शुरू कर दीं। आज कांग्रेस सरकार की तरफ से हरिजनों के लिये जो काम हो रहा है वह सुचारु रूप से हो रहा है। परन्तु आज हमारे जितने भी हरिजन वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका भी कुछ कर्त्तव्य है। आज तक हमारे अन्दर इतनी शक्ति नहीं थी कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर सोच सकें और विचार सकें और अपने वर्ग का सदुपयोग कर सकें। परन्तु आज शनैः शनैः १०-११ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद चाहे जिस पार्टी के माननीय सदस्य हों, आज पिछड़े वर्ग के लोगों और हरिजनों में शनैः शनैः एक शक्ति आयी, बुद्धि आयी, विद्या आयी और वे अपने को समझते हैं कि हम भी इंसान हैं।

जहां तक विरोधी दल की बात है, वे ऐसे उदाहरण बहुत जल्दी दे देते हैं कि कितने गवर्नर बने, कितने कमिश्नर बने, कितने कलेक्टर बने, ताकि इस तरह से हरिजनों पर एक ऐसा प्रभाव पड़े कि कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है और विरोधी सब करना चाहते हैं। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि १० वर्ष के अन्दर आज तक हरिजनों के लिये जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकी है तो क्या आप ही कर सकते हैं? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है, जो आप आज इस तरह से आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष वार्तालाप करते हैं? मैं अपने सभी विरोधी दल के माननीय नेताओं से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने का यह कोई तरीका नहीं है। जब तक कि सभी पार्टियों के लोग मिल कर इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक समाज के अन्दर से यह बुराई दूर नहीं हो सकती है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चहता हूं कि यह जो जहर है उसको कोई पीना नहीं चाहता है, केवल कांग्रेस सरकार में ही यह शक्ति है; वह बल इसी कांग्रेस सरकार में है कि उसने उस विष को पिया है और उसके कंठ में वह अभी तक मौजूद है, उसके कंठ की रेखा बता रही है कि उसने हरिजनों के विष को पिया है और वह आपने नहीं पिया है, आप तो केवल प्रोपेगंडा करते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से

[श्री हरी सिंह]

एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप के यहां एक हरिजन सहायक विभाग भी है, उसको जितने हमारे हरिजन लेखक हैं उन्होंने अपनी किताबें दीं कि उनका हरिजनों में प्रचार किया जाय, परन्तु खेद है कि आप के इस विभाग ने वह किताबें नहीं खरीदीं और समझ में नहीं आता कि किस-किस की खरीदी गईं। हमारे इतने अच्छे लेखक मौजूद हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि उन का हरिजन समस्या पर किताब लिखने में मुकाबला कोई नहीं कर सकता, एक बहुत अच्छी किताब थी जिस का नाम था "हरिजन वर्ग और उस का उत्थान" जो हमारे पिछड़े वर्ग के एक विद्वान् लेखक ने लिखी है, वह किताब नहीं खरीदी गई। इस का कारण क्या है ?

एक बात यह समझ में नहीं आती कि उधर से आवाज तो बहुत आती है कि हरिजनों के लिये यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो मदद हरिजनों की कांग्रेस सरकार के जमाने में हुई है वैसी कोई चीज कोई सहायता उधर वालों ने की है, आप तो बिष को फैलाने वाले हैं, उस को पीने वाले नहीं हैं। श्रीमन्, समय मुझे ....

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी बात कहें, अभी २ मिनट आप के और हैं।

श्री हरी सिंह—दूसरी बात यह है कि एक जनसंघ के भाई ने कहा कि हम तो हरिजन हैं ही नहीं। हम जानते हैं कि वह लोग तो हमेशा हरिजनों के विरोधी रहे हैं, परन्तु हमने तो न कभी जनसंघ को माना है न मानेंगे। अभी उन्होंने कहा कि दाइयों का उन का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि जहां तक दाइयों की बात है वह तो आप के देश का एक बड़ा काम है, नर्सिग का ....

श्री मोतीलाल अवस्थे—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जो "आप" शब्द कह रहे हैं बार-बार वह किस के लिये कह रहे हैं।

श्री हरी सिंह—वह तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके लिये ही कह रहा हूं, परन्तु उनकी जो यह टोकने की आदत है बीच में, वह अच्छी नहीं है। मैं यह कहा रहा था कि वह तो जनसंघ के नेता हैं। वह शोषण करने वाले लोग हैं। वह हरिजन समस्या को क्या जानें, उनसे हम और आशा ही क्या कर सकते हैं ?

हम चाहते हैं कि जो समाज सेवक हैं और हरिजन कल्याण विभाग के प्रचारक हैं उनको आप विशेष तरीके से रखिये और उनकी मुस्तकिल नियुक्ति कीजिये ताकि वह उनमें प्रचार करें और हरिजनों में उत्थान की भावना पैदा करें।

जहां तक मकान बनाकर जमीन देने की बात है, मैं समझता हूं कि वह ठीक है जो मंत्री जी ने किया लेकिन बजाय जमीन देने के अगर उनको आप कर्ज देते तो ठीक था, उनमें आप अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य पैदा करें, केवल जमीन देने से ही मसला हल नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि जमीन का बंटवारा कर दो, मैं उसका विरोधी हूं, मैं चाहता हूं कि आप जमीन के टुकड़े न करें बल्कि जो बड़े-बड़े मिल हैं, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े फर्म हैं उनको आप बांटें और जमीन बांट कर उस के छोटे टुकड़े न करें। अन्त में मैं हरिजन कल्याण मंत्री के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारे माननीय सदस्य बोले हैं और ज्यादा क्या उदाहरण ...

श्री उपाध्यक्ष—जब आप बोलें तो जवाब दे दें। जवाब का समय आप के लिये अभी नहीं है।

श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे अवसर दिया है। इसके बाद मैं माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी को भी बधाई इसलिये देता हूं कि जो किताबें हरिजन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये दी जा रही हैं

वह अब इम्तहान के बाद दी जा रही हैं। हरिजनों के प्रति जो विचार सरकार रखती है उनको वह अब तक कार्यान्वित नहीं कर पाई है। दूसरी बधाई इसलिये मैं देता हूं कि जो छात्रवृत्ति हरिजनों को दी जाती है वह उन को परीक्षा के बाद दी जाती है। इसके अतिरिक्त हरिजनों के लिये जो जगहें नियुक्त की गई हैं उनमें हरिजन नहीं रखे जाते हैं, जैसे रेलवे पुलिस में ३१ दिसम्बर को स्थान रिक्त थे और उसके लिये बहुत से हरिजनों का इन्टरव्यू हुआ .....

श्री उपाध्यक्ष—रेलवे पुलिस का इस सरकार से कोई संबंध नहीं है।

श्री शोभनाथ—हरिजनों का विषय था इसलिये मैंने उस का जिक्र कर दिया। आज हरिजनों के लिये तमाम तरह की बातें कही जाती हैं लेकिन जब तक उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं होगी तब तक उनका सुधार या अस्पृश्यता निवारण नहीं हो सकता। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि उनके लिये हल, बैल और बीज वगैरह दिया जाय तो वह अच्छी पैदावार कर सकते हैं और अपनी माली हालत भी अच्छी कर सकते हैं। इस प्रकार अच्छे ढंग से अगर वह काम करें और अच्छे नागरिक बन जायेंगे तो उनसे कोई परहेज नहीं करेगा।

जो हरिजन सहायक अफसर रखे गये हैं इसके विषय में मुझे यह कहना है कि जो लोग पी० सी० एस० या नायब तहसीलदारी के इंटरव्यू में आ जाते हैं और जगह कम होने की वजह से नहीं लिये जाते हैं उनमें से ही अगर हरिजन सहायक अफसर रखे जायं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जिले में, मिर्जापुर में, जो हरिजन सहायक अफसर रखे गये हैं, एक तो वहां की आबहवा वैसे ही खराब है, दूसरे वह इतने पतले-दुबले हैं कि कहने से भी वह नहीं जाकर देखते कि हरिजनों की वहां क्या अवस्था है। एक हरिजन के मकान का मुकदमा दीवानी में चल रहा था उस बेचारे को पता भी नहीं था, जब पुलिस उसके घर को गिराने के लिये पहुंची तब उसे मालूम हुआ कि क्या मामला है, उस बेचारे का मकान गिरा दिया गया। मैंने एक पत्र माननीय हरिजन मंत्री जी को लिखा था जिसका जवाब १४ अक्तूबर, १९५७ को दिया कि आपका पत्र डिपार्टमेंट में दे दिया गया है और उसकी सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह बेचारा हरिजन एक डांड पर छप्पर लगाकर १४ प्राणियों को लेकर रह रहा है। तो मकान के बारे में जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है वह अभी तक नहीं मिला। जब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो कितने लोग कहते हैं कि कहिये आपके जमाने में कुछ काम नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि क्या करें, सरकार की तरफ से कोई अनुदान आया नहीं, अगर आयेगा तो आपको मिल जायगा। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसके लिये रुपया दिया जाय ताकि वह लोग बरसात के पहले अपने मकान बना लें और आपको बधाई दें।

दूसरे, हमारे यहां धांगर, मुसहर और मांझी, यह बैकवर्ड क्लास के लोग जंगलों में पड़े हुये हैं और एक लंगोटी में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर अगर सरकार ध्यान दे तो बड़ा अच्छा हो, वह अपनी अन्तरात्मा से आपको बधाई देंगे। हरिजनों के लिये बहुत से सदस्य कहते हैं कि दूसरी संस्था वाले दम भरते हैं। तो दम भरने का मौका क्यों दिया जाता है ? अगर सरकार इनकी शिकायतों को दूर करदे तो दूसरों को मौका ही न मिले कि आपके प्रति कोई बात कहें।

अत्याचार हरिजनों के ऊपर यह भी हो रहे है कि जबरदस्ती उनके मकान और जमीन ले ली जाती है। कचहरियों में उनसे जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाये जाते हैं। अगर नहीं दें तो कहा जाता है कि तुम्हारे हाथ-पैर काट लिये जायेंगे। मैं सरकार से कहूंगा कि बड़े-बड़े अफसरों के पास यह आदेश भेज दिये जायं कि वह यह देखें कि यह इस्तीफे वह जबरदस्ती

[श्री शोभनाथ]

दे रहे हैं या रजामन्दी से दे रहे हैं। अगर सरकार उनसे इसके बारे में पूछ ले और उनको प्रोत्साहन दिया जाय कि तुम इस्तीफे न दो, सरकार का हाथ तुम्हारे ऊपर है तो उनका काफी सुधार हो सकता है।

वन से बहुत से हरिजन सूखी लकड़ी ला करके अपना जीवन यापन करते हैं। जंगलों में जो फारेस्ट गार्ड नियुक्त हैं वह लोग उनको लकड़ी तक नहीं लेने देते। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन्हें इसका अवसर दिया जाय। बहुत से हरिजन जो पढ़े-लिखे बेकार घूम रहे हैं उनके लिये भी सरकार जगह देने की कृपा करे। हरिजनों के लिये जो यह कहा जाता है कि उनके मुकदमे मुफ्त कर दिये जायेंगे, लेकिन अभी तक वह बेचारे बहुत परेशान हैं। अगर उनके मुकदमे मुफ्त कर दिये जायं और कोई फीस न ली जाय तो हरिजनों की तरफ कोई उंगली नहीं दिखा सकेगा। उनका सुधार हो जायगा और कांग्रेस सरकार को बधाई भी मिलेगी।

जनसंघ पार्टी जो है यह तो एक संस्था है और मनुष्यों का एक गिरोह है; इसमें तो कोई छूआछूत हमारे साथ नहीं किया गया है और बरताव अच्छा ही हो रहा है। हरिजनों को नौकरी दी जाय। अभी मिर्जापुर में एक हरिजन चपरासी प्लानिंग अफसर द्वारा निकाल दिया गया। इस तरह से अफसर लोग कर रहे हैं। इस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है। यह आप जरूर उनसे रिपोर्ट मांग लें कि यहां से जो आपने कहा कि हरिजन भर्ती किये जायं वह कितने भर्ती किये गये और अगर नहीं किये गये तो क्यों नहीं किये गये। वहां पर हरिजन अवश्य रखे जायं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री नारायणदास पासी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप इस भाषण के बाद रखिये।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल की तरफ से आज कुछ ऐसी भावनाएं पेश की गयी हैं, मालूम पड़ता है कि कोई चुनाव क्षेत्र यहां पर है और उसमें वेद शास्त्र सब के हवाले दिये गये हैं। मुझे बीस-पच्चीस वर्ष पहले की बात याद आती है। स्वामी हरिहरानन्द, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द के साथ काम किया था और उन्होंने वृद्धावस्था में अपना नाम अछूतानन्द भी रखा था, अन्त समय उनका बड़ा खराब हुआ। मुंह से खून गिरने लगा। मुझे सूचना मिली। मैं कानपुर जे० के० मिल से छुट्टी ले कर छः बजे उनसे मिलने गया। मैंने वहां जा कर उनको एक लीची खिलायी। उसके बाद उनके मुंह से खून की कै होने लगी। मैंने उस को साफ किया और उनसे प्रार्थना की कि आप का जीवन अमूल्य है, इतना अधिक परिश्रम न करें। उन्होंने मूल भारतवासी और आर्य नाम की किताब भी लिखी थी। उसमें ये सारी चीजें हैं जिनको श्री पालीवाल जी ने, श्री राजनारायण जी ने कहा। मैंने उनसे पूछा कि यह किताब जो है यह सही है कि पुराने जमाने में जो सवर्णों के अत्याचार रहे हैं वह हिन्दुस्तान में ही नहीं रहे हैं बल्कि सारे विश्व में रहे हैं। तो क्या अब इस देश में यह द्वेष व भ्रम फैलाने वाली चीज नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं अप्रिय सत्य द्वारा हिन्दू समाज को झझकोर देना चाहता हूं ताकि वह समझे कि हरिजन वर्ग भी कोई चीज है। मैंने उनसे समाधान के लिए पूछा। उन्होंने कहा कि अगर जनेऊ का गर्व त्याग कर दिया जाय तो सारा हिन्दू समाज वर्ण विहीन समाज में परिवर्तित हो सकता है। साथ ही उन्होंने

कहा कि अगर ईसाई, मुसलमान जो कुछ भी हैं, सब विलायत या अरब देश के रहने वाले तो नहीं हैं, हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, मजबूरन विधर्मी हुये हैं, रक्त भारतीय ही हैं, अगर चोटी की समस्या हल कर दी जाय तो सारा देश एक राष्ट्र में बंध कर एक जाति रूप में परिणत हो सकता है। मैं विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या चोटी और जनेऊ की समस्या हल करने के लिये तैयार हैं ?

दूसरी बात कही गयी कि हरिजनों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। जैसा बजट है वैसा है। लेकिन जो आलोचना की गयी है वह भ्रमात्मक है। मुनियों ने कहा है कि:---

"माता शत्रु: पिता वैरी, येन बालो न पाठित:।
न शोभते सभामध्ये, हंस मध्ये बकोयथा ।"

यह हमारे ऋषियों का एक मंत्र है जो कि यहां देश में प्रचलित था। इसको ध्यान में रख कर हमारे यहां अनिवार्य शिक्षा प्रणाली चलायी गयी है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो लोग रूस और चीन का नाम लेते हैं कि वहां पर यूनिवर्सिटियों तक में फीस माफ है, उनसे मैं कहता हूं कि हरिजनों के लिये यूनिवर्सिटी तक फीस ही नहीं माफ है बल्कि उनको अनिवार्य छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। अब आप सोचें कि यह कदम जो उठाया गया है वह क्या प्रशंसनीय नहीं है। दूसरी बात आप देखिये कि आम विद्यार्थियों की फीस छठवें दर्जे तक तो माफ कर ही दी गयी है और जूनियर, माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी एजूकेशन तक माफ करने का धीरे-धीरे विचार है। तो ऐसी दशा में क्या हम भूल सकते हैं कि यह सरकार जो काम कर रही है वह कम काम कर रही है ?

तीसरी चीज यह कही गयी कि हमको धार्मिक क्षेत्र में कोई हक नहीं है। कितने माननीय लोग मरने कटने को तैयार हुए ? कुछ माननीय सदस्यों ने अन्तर्जातीय विवाह इत्यादि के लिये कहा। आप का ध्यान शास्त्रों में जो कहा गया है उस की तरफ दिलाना चाहता हूं, ऐसे विवाह अनुलोम, प्रतिलोम और हीन माने गये हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, विद्यार्थी के चरित्र का सवाल है, उस के लिये कहा गया है :---

"काग चेष्टा बकुलध्यानी श्वान निद्रा तथैवच ।
स्त्री त्यागी स्वल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षण : ।।"

तो आप देखें कि विद्यार्थी के लिये नियम-संयम के ५ अंग निर्मित किये गये हैं। अगर ऐसा विद्यार्थी हो तो स्नातक होने पर उसे जो आगे करना होगा वह यह करना होगा कि---

"दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्
सत्यपूतां वदेद् वाचं मन:पूतं समाचरेत् ।

तो, श्रीमन्, कठोर संयमी अगर ऐसा विद्यार्थी हो जायगा तो किसी भी वर्ण के विद्यार्थी को वेद शास्त्र विद्या पढ़ने का उसको अधिकार है। वह कैसा अधिकार है, यजुर्वेद में कहा गया है---

"यथेमावाचं कल्याणी मा वदानिजनेभ्य:,
ब्रह्म राजन्याभ्यादं शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।"

तो उस समय ईसाई, मुसलमान तो थे नहीं। वेद में मानव जाति के लिये कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य, शूद्र सेवक यहां तक कि चांडाल तक हो उस को वेद विद्या पढ़ने का अधिकार है।

जहां तक देवी-देवताओं के लिये कहा गया, मैंने पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रवेश विधेयक पर कहा भी था कि जिन देवी-देवताओं को सिन्दूर चढ़ाया जाता है वे मूल भारतवासियों के

[श्री नारायणदास पासी]

देवी देवता हैं। वे देवी देवता हमारे अपने हैं। भगवान् शंकर इसमें आते हैं। तो ऐसी अवस्था में शंकर जी की केवल काशी की बात आप क्या कहते हैं ? शंकर जी को तो सारा विश्व मानता है। उसमें जात-पांत का सवाल नहीं है।

एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् ३६ में यहीं पर राष्ट्रनायक पं० जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हो कर आते हैं। श्री जगजीवन राम, मालवीय जी, आचार्य नरेन्द्र देव सभी लोग लखनऊ हरिजन सम्मेलन में विद्यमान थे। गांधी जी ने उस समय कहा कि अगर यह जरायमपेशा कानून और यह अछूतपन हमारे देश से नहीं उठता है और श्रमिक को सर्वोत्तम नहीं माना जाता है और हरिजनों को रोजी, रोटी की समस्या को हल नहीं किया जाता है और इस प्रकार यह हमारा चौथा पाया कहीं खत्म हो गया या गरीबी से निष्प्राण हो गया तो सारे भारत का सत्यानाश हो जायगा। अन्त में, श्रीमन्, मैं पिछड़े व हरिजन तथा विमोचित जाति के लिये क्या किया, गया इसकी तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। २८ मार्च, १९३८ से हमने सर्वप्रथम १ रुपये रोज पर भत्ता लेकर उत्थान का काम करना शुरू किया कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ और फैजाबाद में। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने तब पदार्पण किया था। उस समय श्री टी० पी० भल्ला ए० डी०-आई० जी० थे। उनके तथा चौधरी रिसालसिंह के प्रयत्न से श्री वेंकटेश नारायण तिवारी की अध्यक्षता में भूतपूर्व अपराधशील जातियों के सुधार के लिये एक कमेटी बनी। १ रु० रोज भत्ते का मंजूर किया गया काम करने के लिये। उस समय साढ़े ७ सौ रुपये केवल मंजूर हुये थे। उस के बाद कांग्रेस ने पदत्याग कर दिया। फिर सन् ४८ में माननीय वेंकटेश नारायण तिवारी की अध्यक्षता में वही कमेटी बनी और उसके लिये लाखों रुपये मंजूर हुए। हरिजन सहायक विभाग और रिक्लेमेशन विभाग कायम हुए जो फल फूल रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपया तथा मंत्रिपद हैं। सन् ५० में जब बाबा राघव दास ने मुझे यहां बुलाया तो मैं यहां आया। उस समय बहुत से मेरे हरिजन साथी और भूतपूर्व अपराधशील जाति के लोग जिसमें कुछ एम० एल० ए० भी अब हैं—बख्शी के तालाब पर एकत्रित हुए। उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर दिया था। ३ महीने तक यहां बख्शी के तालाब पर ट्रेनिंग कैम्प पड़ा रहा। वह बड़ा कामयाब रहा और उसकी फिल्म भी ली गयी। इसके संचालन में हरिजन भी थे, मैं उसमें भोजन मंत्री था। उसने स्थायी अद्वितीय रूप ग्रहण कर लिया है; सरकार का ऐसा कार्य स्तुत्य है। आगे—

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी— मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि आज बहुत से सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं और समय समाप्त होता जा रहा है इसलिये यह सदन एक घंटा अपनी बैठक की अवधि को बढ़ा दे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा— उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान के लिये दो घंटे का समय था और प्रश्नों का भी एक घंटा मिल गया। तो अब आधा घंटा ही उचित होगा। आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष— ठीक है, तो आधे घंटे का समय बढ़ा दिया गया। हम आज साढ़े पांच बजे तक बैठेंगे।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि हरिजनों की स्थिति इस कांग्रेसी हुकूमत में कितनी सुधरी है और उन की दशा कितनी बिगड़ती जा रही है। आज गांव में पड़ताल करा डालें, निरीक्षण करा डालें कि उनके पास जमींदारी जब थी तो कितनी भूमि थी और आज उनके पास कितनी भूमि है, तो आप की समझ में आ जायगा कि हरिजनों के पास जो जमीनें थीं वह बराबर निकलती जा

रही हैं। माल विभाग की तरफ से जो काबिज वाला कानून है वह ऐसा घातक है गरीबों के लिए कि उनके खेत पर काबिज लिख दिया जाता है और वह हरिजन बेचारे गरीब लड़ करके उसे लेने में अपने को असमर्थ पाते हैं और वह जमीन उनके हाथ से छिनती जा रही है।

आप को मालूम होना चाहिये कि गांव में हरिजन लोग चमड़ा छुड़ा कर के जो मरे हुए मवेशी होते हैं उनसे अपनी कुछ गुजर करते थे, लेकिन आज सवर्णों द्वारा उन चमड़ों की कीमत ली जाती है और उनके छुड़ाने के लिये कहीं पर बंजर भूमि नहीं है। आपने देखा होगा कि यह जो सरकार दम भरती है कि हम हरिजनों का उत्थान करते हैं, उन्होंने १८ फीसदी जगह रिजर्व की; लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी विभाग में भी १८ फीसदी जगह जो है, हरिजनों को नहीं दी जाती हैं। उन्हें कह दिया जाता है कि उस योग्य तो कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है जब कि गांव में पढ़े-लिखे लोग मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अध्यापक के लिये टेंथ तक की योग्यता रखने वाले हरिजन मौजूद हैं, लेकिन उनकी अर्जियां आती हैं तो वह भर्ती नहीं किये जाते हैं। थर्ड डिवीजन पास सवर्ण लोग रख लिये जाते हैं। अभी-अभी मैं गया था भदोही में। भदोही में एक हरिजन कैंडीडेट है जिसको टिकट नहीं दिया गया। वह वहां पर खड़ा हो कर म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में कामयाब हुआ। वहां पर कांग्रेसी कुछ अपने को कहने वाले व्यक्तियों ने उससे कुढ़ कर के उस का घर फुंकवा दिया। वह बड़ी परेशानी में घूम रहा है। यहां पर इस तरह की मनोवृत्ति अब भी काम कर रही है और आप ने देखा होगा कि इसी विश्वनाथ मंदिर में क्या हुआ। बापू ने कहा था कि जब तक हमारा यह एक निर्बल अंग सबल नहीं हो जाता है तब तक भारत एक माने में कमजोर ही रहेगा। इसलिए हरिजनों के उत्थान के लिये जो प्रयत्न किया गया है उससे उनकी हालत अगर गांव में चल कर देखा जाय तो बराबर गिरती जा रही है। जमीन उनके पास से बराबर छिनती जा रही है। यह अवश्य है कि विधान सभा में कुछ लोग रिजर्वेशन की वजह से आ गये हैं, लेकिन मौजूदा जो कौंसिलों के चुनाव हो रहे हैं उसको आप देखिये। रिजर्वेशन नहीं है तो कोई हरिजन किसी पार्टी से नहीं आया हुआ है। यह आज भी मनोवृत्ति किस तरह की है, इसे आप खुद देखें। आप हरिजनों के बारे में जो कहते हैं कि वह लोग योग्य नहीं होते तो वह कहां से योग्य होंगे? उनके पास किताबें नहीं हैं, खाने के साधन नहीं हैं। किताब जो सरकार की तरफ से वितरित की जाती है वह ऐसे वक्त से वितरित की जाती है जब इम्तहान का वक्त आता है। बेचारा लड़का क्या करे? मैंने तो स्कूलों में जाकर देखा है कि वहां पर पढ़े-लिखे अध्यापक मौजूद हैं, लेकिन हरिजन बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके लिये पानी पीने तक का इन्तजाम नहीं है। उनको ऊपर से पानी पिलाया जाता है। वह परेशान रहते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर उन्हें आप पानी पीने के लिये अलग से ही इन्तजाम कर दें तो क्या बुरा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से बताना चाहता हूं कि जब तक हरिजनों की माली हालत नहीं सुधरती है, आप के इस व्याख्यान से, इस लेक्चर-बाजी से इस प्रदेश में उनकी हालत बदलने वाली नहीं है। इसलिये आप उनकी आर्थिक हालत को सुधारने का प्रयत्न कीजिये। आप को मालूम होना चाहिये कि आप के द्वारा ही जमींदारी का उन्मूलन हुआ। उसके बाद जितनी जमींनें बंटी, क्या सरकार आज बता सकती है कि उन जमीनों में से कितनी भूमिहीनों को दी गयीं? आज हमारे उधर बैठने वाले कुछ सदस्य कहते हैं कि इधर से सुझाव नहीं आते, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि जब सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी विरोधी पार्टियां यह एलान करती हैं कि आप भूमि का बंटवारा करिये तो उनका साफ-साफ मतलब यही है कि भारत और अपने सूबे के अन्दर ज्यादातर वही लोग भूमिहीन हैं जो हरिजन हैं और अगर जमीन का वितरण ठीक से किया जाय तो हरिजनों को अधिक मिलेगी।

एक बात आप को और बता दूं कि आज खेती करने वालों से खेती छिनती जाती है। कारण? हरिजन और बैकवर्ड अपने हाथ से हल जोतते हैं मगर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाली दो तीन कौमें जो आज मुल्क में आधिपत्य जमाये हुये हैं अपने हाथ से हल नहीं जोततीं। तो जब हाथ

[श्री दुर्योधन]

से हल जोतने वालों से जमीन छिनती चली जायगी तो मुल्क में पैदावार किसी भी हालत में बढ़ नहीं सकती। इसलिये बहुत ही जरूरी है कि मुल्क में जमीन का बंटवारा कराया जाय जिससे हरिजनों की और देश की हालत सुधरे और बाहर से गल्ला न मंगाना पड़े।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं इसे तो अपना खुशगवार फर्ज समझता हूं कि उन तमाम कार्यों के लिये जो मुख्तलिफ योजनाओं के तहत में हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति और उत्थान के लिये किये जा रहे हैं और किये गये हैं, सम्बन्धित मंत्री को बधाई दूं। चालू वर्ष में इस वर्ग के ६ लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इससे भी मुझे कुछ संतोष होता है। मेरा अनुरोध है कि इस संख्या में आने वाले सालों में भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी की जाय। जो बजट इस समय चालू है इसमें लगभग २ लाख रुपये की व्यवस्था मान्टेसरी स्कूलों को अनुदान देने के रूप में है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी छोटी उम्र में इस तरह की कीमती तालीम देने की निश्चित कोई व्यवस्था की जाय। प्रस्तुत अनुदान देखने में तो थोड़ा दिखायी पड़ता है लेकिन इसका सम्बन्ध उस सवाल के हल से है जिसका ताल्लुक देश और प्रदेश की उन्नति से बहुत गहरा है, जिसका ताल्लुक आज प्रदेश और देश के सामने जो बड़े-बड़े सवाल हैं, जैसे दौलत की पैदावार में इजाफा करना, अन्न की कमी को दूर करना, उनमें सब से गहरा है। मेरा अपना विचार है कि आज इस अनुदान के तहत में जो योजनायें चालू हैं या नियोजन विभाग के तहत में जो योजनायें चालू हैं उनसे इस सवाल का हल उस मात्रा में होना सम्भव नहीं है कि ७० फीसदी जनता जो इस वर्ग की है, वह तामीरी दौर में अपना पूरा योग देश की उन्नति करने में, उसके अहम सवालों को हल करने में दे सके। हमारी यह एक वेल फेयर स्टेट है और हर वेलफेयर स्टेट का नजरिया एक खास होता है और मेरा निश्चित मत है कि सरकार को इस सवाल का हल निकालने के लिये अपने टैक्सेशन और खर्च करने की पालिसी में तब्दीली करनी पड़ेगी। अर्थ-शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बादल के समान हैं जो जनता से उठते हैं और उस वर्ग पर बरसते हैं जहां उनकी ज्यादा उपयोगिता है। इसलिये हर स्टेट अपनी आमदनी का बेश्तर हिस्सा पिछड़े वर्ग पर खर्च करती है और इसलिये वहां खर्च करती है, क्योंकि वहां रिटर्न ज्यादा मिलता है।

आज इस बात की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा पिछड़े वर्ग पर खर्च करें। लेकिन मुझे दुःख है कि जितना रुपया इनसे टैक्स के रूप में आता है उतना भी इनके ऊपर खर्च नहीं किया जाता है। आज प्रदेश के लगभग ७० प्रतिशत लोग इस वर्ग के हैं। नेसेसिटीज आफ लाइफ पर भी आज टैक्सेशन है। इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस मात्रा में इन से टैक्स आता होगा। आज जितनी भूमि किसानो के पास है उनमें से ८५ प्रतिशत किसान लाभहीन जोतों को जोतते हैं। ऐसे किसानों में से ९० प्रतिशत इस वर्ग में से हैं। ६६ प्रतिशत एरिबल भूमि छोटी-छोटी लाभहीन जोतों की शकल में हैं इस प्रकार लगभग ६० प्रतिशत एरिबिल लैंड्स इस वर्ग के पास हैं। आबपाशी के चार्जेज तथा लगान की दर यूनीफार्म है। उसमें कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं है। इससे नतीजा निकलता है कि आज आबपाशी के चार्जेज के रूप में जो टैक्स आता है तथा लगान के रूप में जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होती है उसमें से ६० प्रतिशत से ज्यादा इस वर्ग से आता है।

आज नियोजन के जो कार्य देहातों में किये जा रहे हैं वह दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक तो जंगल में किये जाते हैं जिसकी मंशा खेती की उन्नति करना होती है। दूसरे वह हैं जो देहातों में एमेनिटीज आफ लाइफ बढ़ाने के लिये किये जा रहे हैं। देहातों में जितने कार्य सरकारी ग्रांट के खर्चे से हुये हैं, उसका ९० प्रतिशत पिछड़े वर्ग पर खर्च न हो कर, गांव के मालदार लोगों पर खर्च हुआ है। आज नियमानुसार ५० प्रतिशत रुपया जिस मुहल्ले के लोग इकट्ठा कर लेते हैं उनको ही ग्रांट मिलती है। इसलिये जिन मुहल्लों में पहले से रोशनी थी उनमें ही और रोशनी बढ़ी है और हरिजनों के मुहल्लों में जहां धन का अभाव है वहां उन्नति के कार्य नहीं हो पाये हैं।

अब सवाल यह उठता है कि सरकार को क्या करना है। मेरी निश्चित राय है कि इस कमी को दूर करने के लिये हमें पंजाब, बम्बई और मध्य प्रदेश की नक़ल करनी चाहिये। वहां भूमि से जो लगान किसी गांव से वसूल होता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत उस गांव के लिये रख दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि यू० पी० में भी हर गांव का २० प्रतिशत उसे दे दिया जाय और गांव सभा जिस मुहल्ले पर जरूरी समझे उस को खर्च करे। इससे जहां सरकारी ग्रांट से रोशनी नहीं हो पायी है वहां रोशनी हो जायगी। तकावी के रूल्स ऐसे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। मेरा निश्चित मत है कि सरकारी अनुदान छोटे किसानों को देने से ज्यादा लाभ होगा बनिस्बत बड़े किसानों को देने के। इसलिये अधिक उत्पादन की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि जो भी आप देहात में भेजें उसमें हम देखें कि काफी बड़ी मात्रा में उसका हिस्सा इन पिछड़े वर्गों को पहुंचे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपने कानूनों में तब्दीली करे और इस तरह की तब्दीली करे जिससे पिछड़े वर्ग को काफी हिस्सा मिल सके।

आज चकबन्दी देहातों में हो रही है। उस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--आपने तो इस समय बजट का आम विवाद करना शुरू कर दिया समय थोड़ा है, इसी विषय के अन्दर ही रहें।

श्री शिवराज सिंह यादव--मैं पिछड़ी जाति की समस्या पर ही बोल रहा हूं। आज नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है। उसकी व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जितना परसेन्टेज नौकरियों में नियत है उसको पूरा किया जाय। आज होता यह है कि कास्ट हिन्दू के उम्मीदवारों को सब से नीचे के उम्मीदवार के नम्बरों से कुछ परसेंटेज नीचे तक के कुछ परसेन्टेज में जितने हरिजन एक्जामिनीज आते हैं उनको ले लिया जाता है और बाकी को नहीं लिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आज उनका परसेन्टेज पूरा नहीं हो पाता है। जरूरत इस बात की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सोनल में भी पिछड़े वर्ग या हरिजनों का नुमायन्दा होना आवश्यक है।

***चौधरी खजान सिंह** (जिला उन्नाव)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सवर्ण हिन्दुओं को यह बतलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड में जो राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें महात्मा गान्धी गये थे। उसमें देश का नेता हिन्दुस्तान की तरफ से शिड्यूल्ड कास्ट के नेता डाक्टर अम्बेदकर को बनाया गया था, वह वहां पर गान्धी जी के साथ गये थे। वहीं पर हरिजनों के लिये रिजर्वेशन का उनके लिये प्रबन्ध किया गया था। आपने हरिजनों के लिये क्या किया? जब यहां गान्धी जी हिन्दुस्तान आये तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद कांग्रेस की चार आने की मेम्बरी से भी इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस का टिकट छोड़ दिया था। वह इसलिये कि अम्बेदकर ने हरिजनस्थान का नारा उठाया था। तब जा कर यह रिजर्वेशन का इन्तजाम हुआ था। इसमें आपने क्या किया? आपकी घृणा ने पाकिस्तान को बनाया। महज आपकी पालिसी का ही यह नतीजा है। आप सम्भल जाइये। यह हवा चल रही है। यह बम तो एक दिन जरूर फटेगा। तमाम नेता हिन्दुस्तान के उनके पास गये और वह मान गये, तब जाकर रिजर्वेशन हुआ। अब आप उनको उनके ही रहमोकरम पर छोड़ दें। आपने यह रिजर्वेशन नहीं किया। वह बहुत शरीफ थे। उसकी मांग हरिजनों ने की थी। पाकिस्तान की मांग मुसलमानों ने की तो वह बन गया। अब आप रामराज्य की रट लगाते हैं। हरिजनों का किस तरह से चुनाव करेंगे? मुझे दुख होता है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहता। लेकिन अफसोस के साथ इतना निवेदन करता हूं कि इससे इतना काम बन गया है कि वे अपने पैरों पर खड़े हों। रिजर्वेशन उनको इसलिये दिया कि वह होशियार हों

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी खजान सिंह]

और अपना संगठन करें और इस देश की बागडोर अपने हाथ में लें। महात्मा गान्धी ने जो बतलाया था उसक अनुसार हम उत्पादन कर रहे हैं और हम ही उत्पादक हैं तो हमारी हुकूमत होनी चाहिये। उनको कोई अनुदान न दिया जाय। हमको हमारे रहमोकरम पर छोड़ दिया जाय। जितना हमारा उत्पादन है उसका हमको मुआविजा दिया जाय। आपकी जो मंडियां हैं उनमें लोग उनको लूटते हैं। आप आंखें खोलकर देखें; आपको दिखाई नहीं पड़ता, हम पर दया कर रहे हैं। दया। यह कौन सा इंसाफ है? यह आपके सामने आयेगा। अंग्रेज भी कहते थे कि हिन्दुस्तानियों में काबलियत नहीं है, हम राज्य कैसे दे दें। जमाना आयेगा कि वह सत्ता अपने आप छीनेंगे। वोट के जोर से इनको मत चुनों। रोज की यह कहानी मुझे अच्छी नहीं मालूम पड़ती। हरिजन खुद अपना संगठन करें। अगर सरकार उदार है तो किसी एक प्रदेश की सरकार उनको संगठन करने के लिये दे दे और वहां बैठकर वह अपनी मिनिस्ट्री बनालें। यह क्या कि रोज हाय-हाय करते हैं और जब कोई सवाल रक्खा जाता है तो उस तरफ से हाथ उठा देते हैं आदमी का चरित्र ऊंचा होना चाहिये और भारत के हर आदमी का चरित्र ऊंचा होना चाहिये।

मुझे यह अर्ज करना है कि जो अनुदान दे दे कर उन पर दया की जाती है और जैसा और तमाम भाइयों और पालीवाल जी ने कहा, वह सब मेरी समझ में नहीं आया। मैं यह कहता हूं कि आप अपने को हरिजन न समझें। आप अपने को इंसान समझें, उत्पादक समझें और यह जान लें कि उत्पादक सब से ज्यादा तगड़ा होता है। अगर लड़ने खड़ा हो जाय तो गद्दी पर बैठने वाला भले ही कितना मोटा हो भाग जायगा। गद्दी पर बैठने वाला कमजोर होता है, भले ही देखने में मोटा हो। लिहाजा आप अपने को मोटा तगड़ा बनायें। यहां जो राजनारायण जी ने सलाह दी वह ठीक है लेकिन हम लोग या उनके साथी वह कर नहीं सकते। हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग भी नहीं चाहते कि बुद्धिजीवी उनके साथ शादी करें क्योंकि बुद्धिजीवी चालाक और बेईमान होते हैं, वह वही करेंगे। मैं उनको बैकवर्ड या हरिजन कहना नहीं चाहता, लेकिन जब यह शब्द यहां आया है तो मुझे भी कहना पड़ रहा है। आपने क्या बड़ी तरक्की कर दी है, वाह, वाह। क्या आपको दिखाई नहीं देता? सरकार को सब दिखाई देता है। चिड़िया फंसाने वाला चिड़ीमार चिड़िया को कुछ लोभ लालच देकर फंसाता है। यह सब वोट के धंधे हैं, चलता है। दाढ़ी हाथ डाल जाओ, हड्डी का रस चूसे जाओ। तो यह कृपा उन्हीं के लिये रहे जो बुद्धिजीवी ऐसा कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास का कोई भी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर यहां नहीं है। आबादी में आधे से ज्यादा उनका परसेंटेज है। ६ करोड़ में ३ करोड़ से ज्यादा ही वे हैं। क्या दुश्मनी है उनसे? सौतिया का लौंडा जैसा समझ रखा है। यह सब सामने आयेगा। आया है और आयेगा।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत अनुदान पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने यह अनुदान प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं और क्यों न दूं जब कि उन्होंने १९५१-५२ में जो बजट ४२·५२ लाख का था उसे बढ़ा कर लगभग १४७ लाख का कर दिया है? लेकिन इसके होते हुए भी मैं जहां तक समझता हूं, आज देश में राजनीतिक स्वतंत्रता होते हुए भी सब पार्टियों के लोगों ने यह महसूस किया है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता है। महात्मा गांधी हरिजनों के उद्धार के लिये चिल्लाया करते थे। कांग्रेस सरकार ने महसूस किया कि आज हिन्दुस्तान में हरिजन वर्ग के लिये, उनके उद्धार के लिये, जो कुछ भी सुविधा होनी चाहिये, वह हो। इसी से प्रेरित होकर संविधान में भारत सरकार ने १० साल के लिये संरक्षण और सुविधायें रखीं कि १० साल में हरिजन वर्ग को सबके बराबर कर देंगे। उससे प्रेरित होकर प्रदेशीय सरकार ने भी हरिजन

कल्याण विभाग स्थापित किया। उन्होंने सोचा कि तमाम विकास के कार्यों के साथ साथ हरिजनों की उन्नति के कार्य भी होने चाहिये। उनकी भी चतुर्मुखी उन्नति होकर उन्हें भी सबके बराबर लाना है। शिक्षा में, गृह निर्माण इत्यादि के लिये उन्होंने कोशिश की। उन्होंने यह भी सोचा कि इसके द्वारा छुआछूत के विरुद्ध प्रचार करावें जिससे समाज से यह कलंक दूर हो। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ काम उन्होंने जरूर किया है और इसके लिये हम उनके कृतज्ञ भी हैं। लेकिन सचमुच हरिजनों की मौलिक समस्याओं पर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने ऐलान किया था कि हम १० वर्ष में हरिजनों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सबके बराबर कर देंगे। जिस प्रगति से हम अब चल रहे हैं उससे १० वर्ष में यह कार्य होने वाला नहीं है। जैसा राजनारायण जी ने कहा, हरिजनों के ऊपर कांग्रेस की ओर से अत्याचार होता है, मैं इससे तो सहमत नहीं हूं लेकिन हरिजनों की ओर अधिक दृष्टि की आवश्यकता हम महसूस अवश्य करते हैं। किसी ने कहा है कि वह क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर न फटी बिवाई। सो यही आज हरिजनों की हालत है। अपने कष्ट को हरिजन ही समझ सकते हैं। हरिजन वर्ग विशेष रूप से भूमिहीन है। जहां देश में बड़ी बड़ी विकास की और उत्थान की योजनायें चल रही हैं वहां आज हरिजन अपने दरवाजे के सामने सहन भी लगाने में मजबूर हैं। आज भी सात पौवा पर हरिजनों से काम कराया जाता है और दूसरी ओर कहा जाता है कि बेगार नहीं ली जाती है। यह बेगार नहीं है तो और क्या है? क्या मंत्री जी ने इसके लिये कुछ किया? सरकार को देखना चाहिये कि जहां उसकी इतनी योजनायें चल रही हैं और उन पर रुपया खर्च हो रहा है, वहां हरिजन बस्तियों में कुएं नहीं हैं। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि भले ही सरकार खाने और कपड़े का प्रबन्ध न कर सके मगर पीने का पानी तो मिलना ही चाहिये। अगर वह पीने के पानी का प्रबन्ध भी नहीं कर सकती तो वह क्या कर सकती है? हमारे क्षेत्र मिर्जापुर में १, १ मील से लोग पानी लाते हैं। इससे हम समझते हैं कि सरकार की तमाम योजनायें नहीं के बराबर हैं। हम भले ही संरक्षण की वजह से आपके सामने बैठे हैं। यह ठीक है कि जहां पूर्वी जिलों में हरिजन ठाकुर के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, वहां आप हमें यहां लाये हैं, मगर हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिये लड़ते हैं, हम भिक्षा नहीं मांगते हैं। हम यह नहीं मांगते कि आप कोई छात्रवृत्ति देकर हमारे ऊपर सहानुभूति रखें। जो संरक्षण नौकरियों में रखा गया है, वह नाममात्र के लिये है। गवर्नमेंट से तमाम जी० ओ० जाते हैं लेकिन क्या कभी सरकार ने इनवैस्टीगेशन कराया कि १८ फीसदी हरिजन लिये गये हैं या नहीं, या कितने प्रतिशत लिये गये हैं और बाकी क्यों नहीं लिये गये? तमाम एग्जीक्यूटिव के लोग हरिजनों को चपरासी तक नहीं होने देते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस तरफ गौर करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा शीघ्र करें।

यह बात सही है कि हम अपने अधिकारों की तरफ जागरुक हैं। जहां अशिक्षित जनता का सवाल है, हिन्दुस्तान के निर्माण के लिये हम सीना खोलकर तैयार हैं मगर अपने अधिकार के लिये चिल्लाना और कोशिश करना कम्युनिज्म या सोशलिज्म नहीं है। हमारा भरोसा है और विश्वास है कांग्रेस के सिद्धांतों पर। हमारे नेताओं ने हमारे लिये जो कुछ किया है हम उनके आभारी हैं।

मैं डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति को चैलेन्ज तो नहीं करता हूं लेकिन वह गलत तरीके से हुई है। वह चाहे किसी ने की हो, वह निष्पक्ष रूप से नहीं हुई है। वह पब्लिक सर्विस कमीशन से होनी चाहिये थी। एक साहब किसी मंत्री या उपमंत्री के पी० ए० थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर हो गये और उसके बाद विधान सभा के मेम्बर भी हो गये। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। मैं

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हमको क्षमा करें। हरिजन कल्याण विभाग से हमको पूरा संतोष नहीं है। हम समझते हैं कि डाक्टर सीताराम के पास यह विभाग था तो इससे ज्यादा अच्छा कार्य होता था।

श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे आज सदन में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। बाबू झारखन्डे राय जी के इस अनुदान में १ रुपये की कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो हरिजनों का नग्ननाच और नग्न चित्र सदन के .....

श्री उपाध्यक्ष—"नग्ननाच" और "नग्न चित्र" शब्द आप वापस लें।

श्री रघुवीर राम—मैं वापस लेता हूं।

इस १० वर्ष के राम राज्य में, समाजवाद में हरिजनों को महज एक हरिजन शब्द की आजादी मिली है। इसके अलावा और कोई आजादी नहीं मिली है। हमारे देश के हरिजन आज भी उसी दशा में हैं जैसे १० वर्ष पहले थे। जैसे हरिजनों को बाहर दबाया जाता है वैसे ही हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो पिछड़े वर्ग से यहां विधायक होकर आये हैं उनके दिल पर दबाव दिया जाता है। मुझे मालूम है। वे खुलकर अपना इजहार नहीं कर पाते हैं और अपने दर्द को हाउस के सामने नहीं रख पाते हैं। अगर वे माननीय सदस्य अपने दिल की बात यहां रखें तो मुझे मालूम है कि ६२ के इलेक्शन में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उनके ऊपर बहुत दबाव देते हैं और इसलिये वे सही बात हाउस के सामने नहीं कह पाते हैं।

श्री महीलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि दूसरे माननीय सदस्य जैसा महसूस करते हैं वैसी सच्ची बात नहीं कहते हैं तो किस माननीय सदस्य ने सच्ची बात नहीं कही ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने यह कहा था कि सच्ची बात कहने से दबाया जाता है, उसका जवाब आप दे सकते हैं कि नहीं दबाया जाता।

श्री रघुवीरराम—मान्यवर, हरिजनों के बारे में मंत्री जी ने अपनी स्पीच के दौरान में कहा कि बनारस में हरिजनों को मंदिर प्रवेश करा दिया। क्या यह सरकार की बदौलत हुआ ? उन्होंने अपनी कुर्बानी से मंदिर प्रवेश किया, सरकार की बदौलत नहीं।

जब भी हाउस में कोई हरिजनों की बात आती है, विरोधीदल के माननीय सदस्य हरिजनों का सवाल उठाते हैं, हरिजनों में फैली भुखमरी का सवाल उठाते हैं। इस उत्तर प्रदेश में भूख से २० आदमी मर गये। यह इस सरकार की बदौलत ही है।

हमारे माननीय सदस्य हरीसिंह जी ने यह कहा कि क्या विरोधी दलों में किसी के पास कोई प्रमाण है कि उन्होंने कोई सहायता हरिजनों की की हो ? मैं कह सकता हूं कि १९५७ के चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी। वहां की सरकार ७ लाख एकड़ जमीन हरिजनों को बांट रही है, हरिसिंह क्या यह हरिजनों की सहायता नहीं है ? जब केरल की सरकार पिछड़ी हुई जाति के लिये अदालत में कोर्ट फीस माफ करती है और बगैर फीस के वकील देती है तो क्या यह गौरव की बात नहीं है ?

श्री हरीसिंह—मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि माननीय मित्र अपने घर की बात कहें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—आपने पार्टी की बात कही थी, इसलिये वे जबाब दे रहे हैं।

श्री रघुवीरराम--मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप घबड़ायें नहीं। मेरी भी बात सुन लीजिये।

यदि मंत्री जी वास्तव में हरिजनों का उत्थान चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे पहले इस पर ध्यान दें कि जब तक हरिजनों की माली हालत नहीं सुधरेगी, तब तक हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता। चन्द बजीफों और छोटी-छोटी नौकरियों के देने से हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता। क्या हमारे हरिजन विधायक इस योग्य नहीं हैं कि वह किसी भूमि या पुलिस के महकमे के मिनिस्टर बनें? दो व्यक्ति मिनिस्टर बनाये गये हैं, एक व्यक्ति को यातायात दे दिया गया है और दूसरे को सड़क का महकमा, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर उसके हाथ में यह चीज दी जाती है तो उनके हृदय में जो सही भावना है, उसको वे लागू कर देंगे। बाकी लोग तो मौज उड़ाने के वास्ते हैं, चाहे हरिजनों के लिये कुछ हो या न हो। अपनी भलाई का सवाल सोचते हुए वे हरिजनों को कुछ नहीं देते। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह सरकार हरिजनों के लिये मजदूरी निश्चित कर दे। तीसरी बात यह कहनी है कि हरिजन विद्यार्थियों के लिये अधिक से अधिक छात्र-वृत्ति दे और चौथी बात यह है कि मुकदमे के सिलसिले में अदालतों में जो कोर्टफीस लगती है, उसे वह हरिजनों के लिये माफ कर दे और उनको बिना पैसे के सरकार वकील दे। पांचवीं बात मुझे यह कहनी है कि सरकार बुनकरों की तरफ भी कुछ ध्यान दे। मेरे जिले गाजीपुर के गंगौली, कासिमाबाद, बहादुरगंज और उसी के पास मऊ है, जहां सेंट-परसेंट बुनकर हैं, मोबारकपुर में भी बुनकर हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में वहां के एक-एक बुनकर सौ-सौ रुपये के नोट पतंग में साट-साट कर पेंच खेले लेते थे जब कि आज इस रामराज्य में और समाजवादी राज्य में वहां के बुनकर खाने के लिये मुंहताज हैं। अमेरिका में सुअरों के खाने के लिये जो जनेरा होता है वह जब वहां से यहां आया तो उसे भी उन बुनकरों ने खाया। श्रीमन्, जहां सरकार पिछड़ी जातियों के लिये कुछ कर रही है, वहां वह बुनकरों की तरफ भी कुछ ध्यान दे।

इसके अलावा दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस देश के अन्दर बंजर आराजी बहुत सी पड़ी हुई है। एक दिन मैंने श्री चरण सिंह से भी इस संबंध में कहा था लेकिन शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं फिर हरिजन कल्याण मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो बंजर आराजी प्रदेश के अन्दर पड़ी हुई है, वह जमीन हरिजनों को क्यों न दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि इस वर्ष इस अनुदान में कुछ धनराशि बढ़ायी गयी है यद्यपि वह इतनी नहीं है कि उससे पूरा काम चल सके। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि १० वर्ष के अन्दर हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिये काफी काम किया गया है और उसमें सभी दलों का पूरा सहयोग रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग आगे बढ़ें क्योंकि इसी में देश का कल्याण है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग ७५ प्रतिशत पिछड़ा हुआ है जिसमें करीब-करीब ५५ फीसदी तो वे लोग हैं जो अन्य पिछड़ी जाति के नाम से कहे जाते हैं। जब तक देश का इतना बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहता है, तब तक देश कमजोर है और उस हद तक वे पिछड़े लोग देश की सेवा करने में अपने को उस तरह से उपयुक्त नहीं बना सकेंगे। देश में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये यह आवश्यक है कि जो यह खाई अनुसूचित और पिछड़ी जाति तथा उन्नतवर्ग के बीच में है वह जल्द से जल्द पाट दी जाय। जब तक यह नहीं होगा तब तक न तो जाति पांति ही मिट सकती है, न जातीयता मिट सकती है, और उस हद तक

[श्री जयराम वर्मा]

समाजवादी व्यवस्था को लाने में कठिनाई होगी। इस दृष्टि से अगर सोचा जाय तो इन अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को उठाने की मांग राष्ट्रीय मांग है, उसे जितनी ही जल्दी पूरा किया जाय उतना ही अच्छा है।

श्रीमान् जी, सरकार ने इन अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को उठाने के लिये दो तरीके सोचे और उनको अमल में लाना शुरू किया। पहली बात तो यह कि उनको आगे बढ़ाने के लिये उनको शिक्षित किया जाय और दूसरी बात यह कि जो शिक्षित हों, उनको नौकरी में स्थान देकर प्रोत्साहित किया जाय। सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिये थोड़ी सी धनराशि की व्यवस्था की गयी है और नौकरी के लिये यह व्यवस्था की गई है कि उनका कुछ विशेष खयाल किया जायगा। इसी दृष्टि से सरकार ने अबतक काम किया है। हमारे यहां अन्य पिछड़ी हुई जातियों की संख्या साढ़े ३ करोड़ के करीब है। उन के लिये यद्यपि वह रकम हर साल बढ़ी है और इस साल वजीफे के लिये साढ़े ११ लाख रुपया रखा गया है। साढ़े ३ करोड़ आबादी के लिये साढ़े ११ लाख का प्राविजन ऐसा है जिससे उनकी अधिक सहायता की आशा नहीं की जा सकती। यह रफ्तार बहुत धीमी है, इससे काम नहीं चलेगा और इस गति को हमें बढ़ाना होगा और माननीय झारखंडे राय जी ने जो एक बात सदन के सामने रखी है कि इस रकम को दसगुना बढ़ा देना चाहिये उनसे मैं सहमत हूं और जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के लिये जो बात सोची है कि उनको नौकरियों में विशेष सुविधा दी जाय, मैं समझता हूं उससे कोई काम नहीं चला है। जो सन् ४७ से सन् ५५ तक के आंकड़े हैं वे सिद्ध करते हैं कि सरकार का यह विचार सही नहीं है कि इतने से काम हो जायगा। या तो तरीके में गलती है या वह सरकारी अधिकारी उस योग्य नहीं साबित हुये, उनके विचारों में हरिजनों के लिये वह परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ कि उनको कुछ लाभ उससे पहुंचता। बल्कि और आंकड़ों से सिद्ध होता है कि अन्य पिछड़ी जातियों के लोग और पीछे जा रहे हैं। इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानकारी कर के बताने के लिये कहूंगा कि स्थिति क्या है। सन् ५५ में कौंसिल में श्री राम नन्दन सिंह ने एक प्रश्न पूछा था कि १५ अगस्त, सन् ४७ और ३१ जुलाई, सन् ५५ में कितने गजटेड आफिसर अन्य पिछड़ी जातियों के थे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पहली प्रार्थना है कि आप मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह ठीक है परन्तु समय बहुत कम है और आप जो कह रहे हैं वह तो आप दोहरा रहे हैं, यह बात कही जा चुकी है। आप नई बात कहेंगे तो समय कुछ और मिल जायगा।

श्री जयराम वर्मा—मैं यह कह रहा था कि इसी सदन में सूचना दी गई थी कि वह आंकड़े गलत हैं। इसलिये मुझे कहने की जरूरत पड़ी। मैं कौंसिल की कार्यवाही ले आया हूं, वहां पर माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने जवाब दिया था कि अनुसूचित जातियों के गजटेड आफिसर १५ अगस्त, ४७ को १६ थे और ३१ जुलाई, १९५५ को वह ७० हो गये और अन्य पिछड़ी जाति के १५ अगस्त, सन् ४७ को थे ३४ और ३१ जुलाई, १९५५ को वह हो गये २५। जब कि आप देखें कि उच्च वर्ग के लोग १५ अगस्त, ४७ को थे ३१५२ और ३१ जुलाई, १९५५ को वह हो गये ५,१८५। इस तरह से आप ने देखा कि पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या जहां सन् ४७ में ३४ थी वह घटकर सन् ५५ में केवल २५ ही रह गई। यह पता लगा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह आंकड़े सही नहीं हैं और उन्होंने दूसरे आंकड़े बताये और कहा कि सन् ४७ में अन्य पिछड़ी जातियों में गजटेड अफसरों की संख्या ८ थी और वह सन् ५५ में जाकर ३५ हो गई। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो

जवाब माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने २६ दिसम्बर, १९५५ को दिया था उसके बारे में माननीय मंत्री जी सही पता लगायें कि इस तरह की गड़बड़ी कैसे है कि कौंसिल में इस तरह का जवाब दिया गया और बतायें कि सही बात क्या है । मेरी जानकारी है कि यह सन् ४७ में ८ थे, यह आंकड़े गलत हैं। हम चाहते हैं कि ठीक जानकारी करने के बाद उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जाय जिन्होंने इस तरह के गलत आंकड़े दिये। जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन राष्ट्रपति जी ने बिठाया था वह भी इसी नतीजे पर पहुंचा है कि यह तरीका ठीक नहीं था। उसने सिफारिश की है कि उनको फर्स्ट क्लास सर्विसेज में २५ प्रतिशत, सेकंड क्लास सर्विसेज में ३३ प्रतिशत और थर्ड और फोर्थ क्लास सर्विसेज में ४० प्रतिशत तक संरक्षण दिया जाय। यह दवा है जिससे हम ऊपर ला सकते हैं; इस दवाई को दूसरे सूबों ने अपनाया है। मैसूर ने पिछड़ी जातियों का संरक्षण किया है। केरल में भी ४० फीसदी संरक्षण किया गया है। हमारा संविधान इस बात की आज्ञा भी देता है। आर्टिकिल १६ के क्लाज (४) में इस बात की व्यवस्था है कि अगर राज्य सरकार इस बात को महसूस करती है कि कोई शहरियों का वर्ग इतना पिछड़ा है कि सरकारी नौकरियों में उचित स्थान नहीं है तो संरक्षण करने की व्यवस्था है। तो सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिये। नहीं तो जिस तरह से यह कार्यवाही चल रही है इससे काम चलने वाला नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि जैसा बताया गया, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट दो साल से ज्यादा हुये प्रकाशित हो कर सरकार के सुपुर्द कर दी गयी। उसके सिलसिले में राज्य सरकार ने इस बात को कहा था, जब कि हमने यह मांग की थी वह रिपोर्ट हाउस के सामने लायी जाय, कि वह रिपोर्ट हाउस के सामने लायी जायगी और बहस की जायगी। लेकिन मुझे दुख है कि वह रिपोर्ट हाउस के सामने नहीं लाई गयी और उस पर बहस करने की सुविधा नहीं दी गयी।

इन पिछड़ी जातियों के बारे में बड़ा कनफ्यूजन है। इस संबंध में न माननीय मंत्री ही और न अधिकारी ही सोचते हैं। उनके लिये दो सूचियां हैं। जो शिक्षा के लिये सूची है उसमें ५९ जातियां हैं और नियुक्तियों वाली सूची में केवल १५ जातियां हैं। जिनको शिक्षा के लिये पिछड़ा मानते हैं नियुक्ति विभाग के लिये उनको पिछड़ा हुआ नहीं मानते। सूची देखी जाय तो हंसी आती है। मैं आप के द्वारा थोड़ा बताना चाहता हूं कि उस सूची में जो अन्य पिछड़ी जातियां नियुक्ति विभाग में हैं उसमें मुराऊ को तो पिछड़ा माना गया है लेकिन काछी और कोयरी को पिछड़ा नहीं माना गया है। कितनी हंसी की बात है। अंसारी को पिछड़ा हुआ माना गया है लेकिन मुसलमान भंगी को नहीं माना गया है, कुंजड़े को नहीं माना गया है, गड़रिये को नहीं माना गया है। इस तरह की चीज बड़ी गलत सी है। मैंने सरकार का इस ओर ध्यान कई महीने पहले आकर्षित किया था लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी। वह कनफ्यूजन अभी तक चल रहा है।

श्री त्रिलोकी सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उस स्तर पर लाने के लिये जिस स्तर पर इस देश के अन्य लोग हैं भारत के संविधान में विशेष तौर पर संकेत किया गया है। आर्टिकिल ४६, मान्यवर, यह साफ साफ कहता है---

"The State shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes".

यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हुये वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा के लिये, शिक्षा के लिये, आर्थिक दशा को

[श्री त्रिलोकी सिंह]

सुधारने के लिये विशेष प्रयत्न करे। ११६ करोड़ रुपये के बजट में महज एक करोड़ ४६ लाख रुपया रखा गया है, यानी एक फीसदी।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में ८० फीसदी आदमी पिछड़े हुये हैं। १८·२ फीसदी हरिजन हैं। तकरीबन ५१ फीसदी वह हैं जो पिछड़े हुये वर्ग के हैं और दस फीसदी वह हैं जो हिन्दुओं के अलावा दूसरे मजहब को मानने वाले, मुसलमानों में, ईसाइयों में और सिक्खों में पिछड़े हुये हैं। ८० फीसदी आदमी हमारे प्रदेश का ऐसा है जिसका स्तर जो देश का साधारण स्तर है उससे गिरा हुआ है। उसको ऊंचा उठाने के लिये क्या कोशिश की गयी है? मान्यवर, संविधान में हरिजनों के लिये कुछ सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया है। यह रिजर्वेशन १० साल के लिये है। कांग्रेस दल बड़ा दल है। मुझे नहीं मालूम, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी के कोई माननीय सदस्य उसकी सेहत कर देंगे, क्या एक भी हरिजन उन्होंने जो रिजर्व सीट्स थीं उनके अलावा जनरल इलेक्शन में खड़ा किया? परपीचुएट करना चाहते हैं। १० साल का पूरा समय है स्थान की सुरक्षा के लिये, ५ साल से अधिक बीत गये, ७ साल में यह नौबत आयी, मान्यवर, कि जनरल सीटों के ऊपर.....

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---पिछली दफा केशव राम थे।

श्री त्रिलोकी सिंह---सन् १९५७ में कितने खड़े किये? ७ साल के बाद? १९५७ में ७ साल के बाद यह हिम्मत नहीं है कि जो जनसाधारण के लिये स्थान हैं उन पर किसी हरिजन उम्मीदवार को लड़ा सकें। आज भी हरिजन इस आदरणीय सदन में आने के लिये इस बात का मुहताज है कि उसके लिये जो सुरक्षित स्थान है उसी के जरिये से उसको वोट प्राप्त हो सकें। हमारी एक बहुत कमजोर संस्था है। लेकिन, मान्यवर, जनरल सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया और हमें इसका गौरव है कि इस आदरणीय सदन में एक सदस्य मौजूद हैं जो जनरल सीट से हरिजन होते हुये भी चुनकर आये हैं।

शिक्षा की समस्या है। यह किनकी है? पढ़े लिखे वर्गों की है। शिक्षा का सवाल है तो पिछड़े हुये वर्गों का है। शिक्षा का सवाल शेख, सैयद, पठान, मुगल का नहीं है; न ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य के लिये है। यह है तो उनके लिये जिन्हें खाने को नहीं मिलता, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है। महज साढ़े ११ लाख की रकम ५० फीसदी आबादी के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये, महज ८० लाख रुपये की रकम २० फीसदी आदमियों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये है। क्या खिलवाड़ है?

कुओं के लिये २ लाख का प्रावीजन है। मुझे अफसोस है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुएं पर जोर दिया। दशा सुधरेगी, मान्यवर, दो ही तरीके से। एक तो आर्थिक दशा उनकी सुधारी जाय और दूसरी उनकी शिक्षा के लिये विशेष इंतजाम किया जाय। क्या तालीम के लिये विशेष इंतजाम कर रहे हैं? महज ७०-८० लाख रुपया सालाना फीस का दे कर और, मान्यवर, छठे दर्जे तक की फीस सब की माफ है। सातवें तक की इस साल और आठवें तक की अगले साल हो जायगी। तो विशेष सुविधा क्या दे रही है सरकार हरिजनों और पिछड़े हुये वर्गों को? यह कहीं देखने को नहीं मिला।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि १ हजार हरिजनों में से ७५ फीसदी ७८५ हरिजन, खेतिहर हैं जो अपनी रोजी खेती के जरिये से कमाते हैं और उनकी तरक्की के लिये, खेती के लिये कितने लाख रुपये रखे गये हैं? उनकी तरक्की के लिये करीब डेढ़ लाख रुपया रखा गया है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल से, १ हजार जो बताये किस गांव में हैं ?

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं अर्ज करता हूं। उत्तर प्रदेश की १९५१ की सेंसस रिपोर्ट है, जिल्द अव्वल में लिखा हुआ है। १ हजार हरिजनों में ७८५ हरिजन ऐसे हैं जो अपनी रोजी खेती के जरिये से कमाते हैं और २१५ ऐसे हैं जो खेती के अलावा दूसरे रोजगारों के जरिये कमाते हैं। मान्यवर, इस ७८५ में ५२५ ऐसे हैं कि जिनके पास अपनी भूमि है और जिनके पास अपनी काश्त नहीं है वे २६० हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, दूसरों की जमीन जोतते हैं। जिनकी माली हालत इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी पिछड़ी हुई है उसकी माली हालत को सुधारने के लिये सरकार ने क्या किया ?

काटेज इंडस्ट्रीज के लिये भी बरायनाम रकम रख दी गयी है। जहां खेती के लिये उपाय न हों वहां घरेलू धंधों के द्वारा उनको प्रोत्साहन दे कर, रोजगार दे कर उनकी माली हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। सवाल आज हरिजनों के लिये एम्प्लायमेंट का है, रोजी देने का है, अंडर एम्प्लायमेंट का है। वे थोड़े समय के लिये रोजी पाते हैं। इसके लिये उनको खेती के लिये अच्छे उपाय और सुविधायें प्राप्त कराइये। इस पूरे अनुदान में ऐसा मालूम होता है कि कोई वास्ता ही इन बातों से नहीं है। याद रखिये इसके लिये सरकार को विशेष उपाय करना है। ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो कर रही है वह सबके लिये कर रही है। लेकिन १०० में से ८० आदमियों के लिये क्या खास बात है ? सरकार इसके लिये क्या कर रही है, वह इससे प्रतीत नहीं होता।

दिनोंदिन जमीन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। सन् २१ में एक आदमी पर १११ सेंट जमीन थी। सन् ५१ में १११ से घट कर ८४ रह गयी और सन् ६१ में ८४ की जगह ७४ या ७५ रह जायगी। इसकी जगह पर उनके लिये जो आज फटेहाल हैं, जिनकी दशा मानी हुई बात है कि पिछड़ी हुई है, उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? पूरा यह अनुदान इस मामले में खामोश है, चुप है, कहीं उसका जिक्र नहीं है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये कुछ कुएं बनवा देने से, पिछड़े हुए वर्ग को कुछ वजीफे दे देने से उनकी समस्या हल नहीं हो जाती जब तक कि उनकी खेती की हालत को दुरुस्त करने के लिये यह हरिजन विभाग या जो भी विभाग हो जिससे माननीय मंत्री जी संबंधित हैं, कोई विशेष अनुदान, विशेष उपाय, खास कोशिश, खास जरिया अख्तियार न करे; साथ ही, मान्यवर, काटेज इंडस्ट्री उनके गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई खास उपाय अख्तियार न करे।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि केवल ५ लाख विद्यार्थियों को यह सरकार वजीफे देती है और उनकी संख्या २५ लाख से ज्यादा है सरकार को इसको सोचना चाहिये कि क्या कारण है कि मुफ्त शिक्षा सरकार देती है तो भी हरिजन बालक पढ़ने नहीं जाता। केवल फीस माफ होने से बच्चे की पढ़ाई नहीं हो जाती। जिसके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है महज फीस की माफी से उनकी दशा को सुधारने की आशा करना बिल्कुल एक ख्वाबे-खयाल है और जो मकसद है वह कभी पूरा नहीं हो सकता।

माननीय मंत्री ने बहुत शान से फरमाया कि हरिजनों के मकानात की तामीर के लिये वे मुफ्त जमीन इनायत फरमायेंगे। यह भी कहा कि यह कोशिश उन्होंने खासतौर से दिल्ली जाकर की है। मालूम नहीं दिल्ली का सफर ५५ के पहले हुआ था या बाद में, क्योंकि ५५

[श्री त्रिलोकीसिंह]

की बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा हुआ है कि हरिजनों को फ्री साइट्स प्रोवाइड की जायं और गुजिश्ता साल सरकार की तरफ से यह हुक्म आया कि इसके लिये एक मखसूस रकम रखी जाय। अगर मैंने माननीय मंत्री के मुख से सही सुना है--गलत हो तो सही कर देंगे--कि ५० हजार रुपये की रकम रखी गयी है आराजियां हासिल करने के लिये जिन पर मकान बनाये जा सकें। बजट में १०० रुपये की टोकन ग्रांट है और मुमकिन है मिसिल के जरिये ५० हजार रुपये की रकम मंजूर की गयी हो। लेकिन न ५० हजार से काम बनता है और न १०० रुपये से। जो बात पेशे नजर है, जो बात बैकवर्ड क्लास कमीशन ने लिखी है, जिसकी तरफ एक साल पहले प्लानिंग कमीशन ने इशारा किया था इस हुकूमत को, उसके लिये आज तक यह तय नहीं कर पायी कि कितना रुपया लगेगा। टोकेन ग्रांट का मान्यवर, मतलब यह है कि यह तय किया है और काम करना चाहते हैं लेकिन नजरिया साफ नहीं है कि क्या करेंगे और कितना काम करेंगे। खुद बजट में लिखा हुआ है कि स्पेशल एफर्ट्स किये जा रहे हैं। महज १०० रुपये की टोकेन ग्रांट का मतलब यह है कि ५०,००० रुपये तक पहुंच जायेंगे, लाख रुपये तक पहुंच जायेंगे, लेकिन उससे समस्या हल नहीं होने वाली है।

मुझे शर्म आती है, कहने को लखनऊ शहर, इलाहाबाद शहर, कानपुर शहर, बनारस शहर बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं, कितने लोग हरिजन और पिछड़े वर्ग के हैं जो एक कमरे में, कमरा नहीं कोठरी में रहते हैं और उस कोठरी में मां और बाप, बेटा और बहू और दामाद आया है और बेटी आयी है तो वह भी उसी में दिन गुजारते हैं। कितने लोग हैं जो लखनऊ की सड़क पर साल में ६ महीने गर्मी के मौसम में नाली के किनारे सड़क पर लेटते हैं, क्योंकि एक कोठरी है उनके लेटने के लिये, और उनकी दशा सुधारने के लिये क्या किया गया है? ये सारी हाउसिंग स्कीम क्या महज बड़े-बड़े लोगों के लिये है, क्या मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास के लिये हैं जिनके रहने के लिये मकान हैं और यदि मकान अच्छा नहीं है तो टूटा-फूटा ही सही, या उनके लिये है जिनके पास एक कोठरी भी नहीं है?

अंतिम सेंसस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ३५ फीसदी हरिजन ऐसे हैं जिनके रहने के लिये एक कोठरी है। उत्तर प्रदेश में जो हरिजनों की संख्या है उसका ३५ फीसदी एक कोठरी के मकान में रहता है। क्या उपाय किया गया उनके रहने के लिये? फिर हरिजनों की फैमिली कुछ छोटी नहीं होती है, अच्छी खासी तादाद होती है। जब ऐसे ३५ फीसदी खानदान एक कमरे में जीवन गुजारें तो आप क्या हाउसिंग प्राब्लम साल्व करने जा रहे हैं? मुझे ज्यादा कुछ नहीं अर्ज करना है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कि यह समस्या बड़ी विकट है। यह समस्या महज करोड़, दो करोड़ रुपये से हल नहीं होने वाली है। जब तक हम पूरे उपाय, विशेष उपाय जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको उस जगह लाने के लिये नहीं करते हैं जो अपने को ऊंचा कहते हैं, जो अच्छी हालत में है तब तक इस देश की समस्या हल नहीं हो सकेगी। रोया जाता है, शिकायत की जाती है कि जातीयता बढ़ रही है, कैसे न बढ़े? वह कहते हैं कि नौकरियों में स्थान दो। क्यों न कहें? वह इसलिये कहते हैं कि उनको कोई और स्थान नहीं मिलता है और यह जो विषमतायें आज समाज में फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिये जब तक हिम्मत और साहस से विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता मुझे अफसोस है और अफसोस के साथ हैरत है कि कैसे यह मंसूबा पूरा कर सकेंगे? इसलिये जरूरत यह है कि १ करोड़ ४६ लाख लीजिये, लाइये सप्लीमेंटरी बजट, १० करोड़ १५ करोड़, २० करोड़ जितना चाहे लीजिये, स्कैप कीजिये फिजूल खर्ची को, जब तक आप इन १०० में से ८० आदमियों को ऊंचा नहीं करते हैं तब तक इस देश की दशा नहीं सुधरेगी और जो एक जाति वर्ग-विहीन समाज की रचना हम करना चाहते हैं उसके हासिल करने में बहुत रुकावट और बाधा पड़ेगी।

श्री गंगाप्रसाद--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज हरिजन कल्याण विभाग मंत्री ने उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सबसे पहले मैं उस जाति का नाम हाउस के सामने रखना चाहता हूं जिनको अंग्रेजी साम्राज्यवाद में क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से पुकारा जाता था। वह जाति इस प्रांत में १६ लाख की जन-संख्या में थी, अब १९५२ में उस जाति के ऊपर से क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट खत्म हुआ है। आज उस जाति की हालत आप देखिये तो कितनी दयनीय दशा है। आजाद होने के बाद भी आज इस जाति के लड़कों को, आदमियों को इस सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया। उनका पेशा एक था, चोरी करना और उसको लेकर वह लोग आगे बढ़े साम्राज्यशाही में और आज भी वह उस पेशे में लगे हुये हैं। उनको आज कोई उस पेशे से छुड़ाने वाला नहीं है। आज भारत के वे नौनिहाल जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्यशाही में अपने धर्म को नहीं बेचा, जिन्होंने मुस्लिम राज्य में अपने धर्म को नहीं बेंचा, उनको उठाने की बात नहीं सोची जा रही है। ८ लाख रुपया भारत सरकार ने उनको बसाने के लिये दिया। चार, पांच गांव बसाये गये, करीब १,५०० एकड़ जमीन उनको दी गयी, लेकिन बसाने के बाद वहां के लोग, खास करके खीरी-लखीमपुर के लोग आज उनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एक जांच समिति बैठायी जाय और देखा जाय कि आज जेलों में कितने ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरी जातियों के लोग हैं और क्रिमिनल ट्राइब्स के कितने लोग हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स के ऊपर जो दफा लगायी गयी थी वह आज इन बड़ी कहलाने वाली कौमों के ऊपर लगनी चाहिये जो चोरी करते हैं और डाका डालते हैं। तो ८ लाख रुपये में से ४ लाख खर्च हुआ और बाकी ४ लाख रखा है। गोंडे में एक बरवार कालोनी बसायी गयी। उसकी दशा यह है कि वहां के बड़े लोगों ने उसको बरबाद कर दिया। मैंने मंत्री महोदय को लिखा, डायरेक्टर साहब को लिखा लेकिन यहां से आजतक कोई नहीं गया और वहां के अधिकारी भी कान में कड़वा तेल डाले बैठे हैं। अंग्रेजी साम्राज्य-बाद में उनको कुछ जमीनें इस शर्त पर दी गयी थीं कि वे ही उनको जोतेंगे लेकिन आज इस सरकार के कानून से उनकी जमीनें छिन रही हैं क्योंकि बड़े लोग लखपाल को बुला कर अपना नाम लिखा लेते हैं। इस तरह करीब २०० एकड़ जमीन उनकी छीनी जा रही है। उसको बचाने वाला कोई नहीं है। वह जमीन उनको मिलनी चाहिये। खास बात उसमें यह है कि वह जमीन उनको सुधार के लिये दी गयी थी। शिकमी के खाते में वहां के बरवार लिखे हुए हैं लेकिन कैफियत खाने में शर्मा, वर्मा और पांडे लिखे हुए हैं।

एक बात और कहनी है। वे लोग दरी, कालीन, निवाड़ बुनना जानते हैं। मैंने कई दफा मंत्री महोदय और डायरेक्टर महोदय को लिख कर दिया लेकिन कोई उद्योग धंधा नहीं खोला जाता है। अगर वहां कोई उद्योग धंधा खुल जाय तो उनकी चोरियां खत्म हो जायं और वे भी एक अच्छे नागरिक बन जायं। जितना रुपया उनके ऊपर उठाने के लिये खर्च किया जा रहा है वह केवल कागज पर खर्च किया जा रहा है, उनकी भलाई के लिये उतना रुपया नहीं खर्च किया जाता है।

हमारे भाई गरीबदास जी ने एक बात कही जिसको सुन कर दुःख हुआ। उन्होंने रामराज्य का जिक्र किया। जिस रामराज्य का स्वप्न गांधी जी ने देखा था उसमें भगवान श्री रामचन्द्र जी जब जंगल को चले तो निषाद को गले लगाया, शवरी के जूठे बेर खाये और बाद में रावण का वध करके जब अयोध्या लौट कर आये तो एक हरिजन, धोबी ही के कहने से सीता माता को घर से निकाल दिया। ऐसे रामराज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी। हम हरिजन हैं। हमें अपने न्याय को इन बड़े लोगों को दिखाना है कि हमारे रास्ते पर चलोगे तो आगे बढ़ सकोगे। तो गांधी जी के उस रामराज्य को लेकर हम वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की रचना करने जा रहे हैं।

[श्री गंगाप्रसाद]

माननीय विरोधी दल के नेता भाई त्रिलोकीसिंह जी ने कुछ कहा। वह हमारे साथी हैं, हमारे पूज्यनीय हैं। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि कौन कमिश्नर हुआ, कौन गजटेड आफिसर हुआ ? लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह उनका ही समुदाय है जो हमें पढ़ने लिखने से मजबूर किये हुए था। उनके समुदाय के लोग हमारे बच्चों को स्कूलों में नहीं जाने देते थे।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जब से कांग्रेसी राज्य कायम हुआ है, हमारी जाति के एक कलेक्टर, ३२ डिप्टी कलेक्टर्स, ९ तहसीलदार, ४ मुंसिफ, २ एस० पी० तथा ९ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस हुए हैं। सरकार की सूचना के अनुसार हमें यह मालूम हुआ है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आपको बड़ी खुशी हो रही है।

श्री गंगाप्रसाद---मुझे खुशी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पर उच्च वर्ग के लोग बैठे हैं और जब कोई हरिजन जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है कि वह अशिक्षित है, यह है, वह है....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया। श्री मोतीलाल अवस्थी, आपको केवल ५ मिनट बोलना है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मुझे केवल ५ मिनट मिले हैं। अतः मैं केवल मूल बात ही कह सकता हूं। मैंने बड़े ध्यान से आज के विवाद को सुना और कांग्रेस के जो सज्जन बोल चुके हैं उनका मैंने वर्गीकरण किया और देखा और मुझे खुशी हुई। मैं विशेष तौर से माननीय जैसवार जी और गंगाप्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नई परिपाटी को कायम किया है और हरीसिंह आदि की परिपाटी का खंडन किया है। उनके वर्ग में भी स्वाभिमान पैदा होने लगा है। उनमें ऐसी बात पैदा होने लगी है कि वह भाई गरीबदास की बात का खंडन कर सकते हैं और अपने सिद्धान्तों को भूल नहीं सकते हैं।

आज जिस पक्ष में बैठते हैं उसी के सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं और कभी कभी मैं उनको याद भी कर लेता हूं। दो मूर्तियां विशेष तौर पर उधर बैठी हुई हैं, उनसे मुझे प्रार्थना करनी है। एक श्रीमन्, मंगलाप्रसाद जी हैं और दूसरे श्री शांतिप्रपन्न शर्मा जी हैं। मैं नहीं समझ पाया कि क्या बात है। माननीय मंगलाप्रसाद जी को मैं कांग्रेस का अटूट संगठनकर्त्ता मानता था। क्या यह उनको प्राइज पोस्ट मिली है ? इसी तरह से हमारे साथी शान्तिप्रपन्न शर्मा जी जो कांग्रेस के एक व्हिप हैं, क्या उनको भी यह एक प्राइज पोस्ट मिली है अन्यथा उनकी योग्यता में मुझे पूरा-पूरा अविश्वास है। क्या कभी वह हरिजनों की बस्ती में घूमे हैं ? माननीय मंगलाप्रसाद जी की योजना हमारे सामने है। जैसे श्री रामचन्द्र जी की सेना जब लंका पर चढ़ी हुई थी और रावण से पूछा, गया कि क्यों क्या बात है ? तो रावण ने जवाब दिया कि मुझे चिन्ता किस बात की है ? वही बात माननीय मंगलाप्रसाद जी की व्यवस्था में थी। क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी यह छीछालेदर होने वाली है ? क्या उन्होंने सब बातों को नोट किया है ? क्या वह उनको पूरा करेंगे ? या वह केवल जवाब देने के लिये खड़े हो जायंगे और एक घंटे का समय मांगेंगे और लीपा-पोती करेंगे।

मैं केवल दो सवाल रखूंगा। एक तो यह कि समाजवाद के जिस आधार पर मंत्रिमंडल कायम है, क्या सचाई में यह चीज उत्थान करने के लिये है या उनका आर्थिक रूप में भी कदम बढ़ने वाला है ? अगर है तो आया वह इन पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक स्थिति को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुधारने में अपना हाथ आगे बढ़ायेंगे ? यह तभी हो सकता है जब उनको भूमि ही नहीं बल्कि उद्योग भी दे सकें ।

मैं एक प्रस्ताव रखता हूं । एक हमारे चमार भाई हैं । उनका पेशा यह है कि वह चर्मकारी का काम किया करते हैं । उस संबंध में विदेश की पूंजी लगी हुई है और आज करोड़ों रुपया विदेशों में हमारे यहां से जा रहा है । जैसे कि कानपुर में एक हारनेस फैक्टरी है उसका सारा कैपिटल विदेशी है । करोड़ों रुपया उससे पैदा करके विदेशों को भेजा जाता है । क्या उनके मंत्रिमंडल में इतनी शक्ति नहीं है कि उस व्यापार को उनके हाथ से लेकर इन पिछड़ी जाति के लोगों के हाथ में दे दें ? यह कोई अनियमित चीज नहीं है । अगर हरिजनों का आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं तो आप बड़े-बड़े कदम उठा सकते हैं । उनकी आर्थिक स्थिति अगर सुधारना चाहते हैं तो विदेशी पूंजी जो उनके हाथ में जा रही है उसको लिया जा सकता है और उससे हरिजनों की हालत सुधारी जा सकती है । ६४ लाख रुपया लेकर छात्रवृत्ति के लिये दे दिया और कुछ बच्चों को सविधा मिल गई या नौकरी हासिल करके पिछड़ी जाति का सुधार हो जायगा यह सुधार करने वाली बात नहीं है । जरूरत इस बात की है कि गांव में जाकर देखा जाय कि किस प्रकार वे लोग रहते हैं । बरसात में उनके घर गिर जाते हैं और दीवार भी गिर जाती है । हर साल उनको अपने मकान बनाने पड़ते हैं । उनको उनमें रहना पड़ता है । मंगलाप्रसाद जी गांवों में जायं और देखें कि वास्तविक उनकी क्या दशा है । इन बंगलों को छोड़ दें और संतरी के पहरे में न रहें । बस मुझे यही निवेदन करना था ।

श्री झारखंडेराय--मैं उन तमाम मेम्बर साहबान की शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये हैं । मूल रूप से इधर से और उधर से सभी माननीय सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है । आज मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि सरकारी पार्टी की कुर्सी पर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी आध्यात्मिक तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और एक स्वर से एक आवाज यहां पर गूंज रही है कि माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है वह बहुत नाकाफी है और सरकार ने जो कदम पिछले १० वर्षों में उठाये हैं वह बहुत कम हैं । समस्या इतनी बड़ी है कि अभी तक जो कुछ किया गया है वह नहीं के बराबर कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी ।

माननीय मन्त्री जी ने इस बात की शिकायत की कि उनके पास दरख्वास्तें कम आती हैं इसलिये पिछड़ी जाति और हरिजनों का परसेन्टेज जो नौकरियों में होना चाहिये वह नहीं कर पाते हैं । मैं समझता हूं यह सत्य नहीं है । मारे-मारे इधर-उधर फिरने वाले हजारों हरिजन और पिछड़ी जाति के शिक्षित लोग काम के लिये घूमते हैं और हर एक मेम्बर इससे परिचित हैं । मुझे भी इस बात का पता है । इसलिये ऐसी हालत में उनका यह कहना सही नहीं लगता है ।

इस सदन में एक वाणी से इस बात को स्वीकार किया गया है कि सरकार जितना भी कदम आगे बढ़ने के लिये उठा सके वह जरूर उठाये । अन्त में मैं सरकार से सप्त-सूत्री प्रोग्राम निवेदन करना चाहता हूं : जमीन का बटवारा करके हजारों हरिजनों को जमीन दी जाय और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाय । उनको काटेज इंडस्ट्री में तरजीह दी जाय । नौकरी में उनको उनकी जन संख्या के अनुपात में स्थान दिया जाय । शिक्षा में उनके लिये जो प्रयास हो रहा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है । पानी की उनको बहुत बड़ी जरूरत है । उसको हर हरिजन के गांव में देकर पूरा किया जाय । मकानों के ऊपर यहां पर प्रकाश डाला जा चुका है तो उसका भी समाधान किया जाय । अन्तर्जातीय विवाह के लिये प्रोत्साहन दिया जाय । सरकार ऐसे नियम उपनियम बनाये जिससे लोगों को इस विषय में प्रोत्साहन मिले और लोग आगे बढ़ें । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को माननीय मन्त्री जी स्वीकार करें और स्वीकार करें अपनी असफलता को ।

*श्री मंगलाप्रसाद---आज ५ घंटे की बहस हम सबने की। बड़े जोर से यह बात कही गई कि १ करोड़ ४६ लाख रुपया इतने महत्व के विभाग के लिये जो दिया गया वह काफी नहीं है और काफी इसलिये नहीं है कि डेढ़ लाख रुपया डेवलपमेंट के लिये, खेती के लिये या ८२ लाख रुपया शिक्षा के लिये या काटेज इंडस्ट्रीज के लिये २ या ३ लाख, कुओं के लिये दो लाख, यह बहुत कम है। दो, चार या छः करोड़ होता तो शायद काम निकल सकता। मेरा खयाल है कि हरिजनों की समस्या, बैकवर्ड क्लास की समस्या कोई अलग एक समस्या नहीं है। यह कुल देश की समस्या है। यदि आप इस देश में भली भांति देखने का प्रयास करें तो मालूम होगा कि ५ या ७ फीसदी ही ऐसे आदमी हैं कि जो अच्छी हालत में हैं। जमाने की गुलामी के बाद हमारी जो दुर्दशा हुई, जो हम मिटे और बरबाद हुए, उसका नतीजा यह है कि आज बहुत थोड़े से ही लोग ऐसे हैं कि जो दोनों वक्त सही तरीके से खाना खा सकते हैं। यह बड़ा अहम मसला है। और इसके लिये खाली अनुदान बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। हमको बेसिक चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि उन बेसिक चीजों की तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट का ध्यान है या नहीं। हरिजनों की समस्या केवल खेती में तरक्की करने से हल होने वाली नहीं है.....(व्यवधान होने पर) आप जरा शान्ति के साथ सुन लीजिये। आज यदि हम चाहते हैं कि इस देश में सब की बेकारी दूर हो तो हमारे सामने सवाल है कि हम देश में पावर कैसे बढ़ायें। हमको उसके लिये जरूरी है कि हम एलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ पैदा करें और उसके जरिये से उद्योग-धंधे इस देश के अन्दर बढ़ावें और लाखों और करोड़ों लोग जो बेकार हैं उनको काम में लगावें। जब वह गांव में चारों तरफ फैलेगी तो क्या हाई क्लास और क्या लो क्लास, सभी उसमें हिस्सा लेंगे। आपको शायद नहीं मालूम कि दुनिया में जो खेतिहर देश हैं वहां भी केवल ४० प्रतिशत लोग ही खेती करते हैं और बाकी इंडस्ट्री के काम में लगे रहते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा खेतिहर देश है, मैं वहां की बात बता रहा हूं। और यूं भी, जैसे-जैसे हमारे कारखाने बढ़ेंगे, हमारे उद्योग-धंधे बढ़ेंगे, लैन्ड पर प्रेशर घटेगा और आधे एकड़ या एक एकड़ की खेती करने वाले कम होंगे और खेती करने वालों का परसेन्टेज कम होगा। आज हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कहीं, पालीवाल जी हैं, उनके पीछे एक दल है और उसमें ५ या १० हजार एकड़ की खेती करने वाले हैं। उनमें से एक को भी उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया कि वे अपनी खेती में से २, ४ या ६ सौ एकड़ निकाल कर हरिजनों को बांट दें। मैंने लिखा कि हरिजनों को खेत मिलना चाहिये और यह एक ऐसे आदमी ने लिखा कि जो इसके लिये प्रयास करता है। मैंने अपनी कांस्टीटुएन्सी में, जब विनोबा भावे आये थे, तो १७ हजार एकड़ भूमि मांग कर दी थी और ३० हजार एकड़ अपने जिले से दी थी और अभी-अभी, जब मैं मिनिस्टर नहीं था तब १ हजार बीघा जमीन अपनी कांस्टीटुएन्सी में हरिजनों को बसाने के लिये इकट्ठा की थी और उनको बसा दिया और वह वहां बस रहे हैं और खेती करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारे जितने साथी चुन कर आये हैं, वह चाहे इधर के हों या उधर के, जिनको उत्साह है, जिनका असर है, जिनका अपने क्षेत्र में जोर है, वह अगर प्रयास करें तो दो, चार सौ एकड़ जमीन इकट्ठा कर सकते हैं और हरिजनों को वहां बसा सकते हैं और उसके बाद यदि वह उस जमीन के डेवलपमेंट की बात कहें तो कुछ मेरी समझ में आ सकती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ लोगों ने जो बातें कीं, वे किसी खास कारण से कीं और उसी कारण से आज साढ़े पांच घंटा रखा गया है और वह खास कारण था कहने और सुनने का और जो आज तक कभी प्रेरणा नहीं हुई वह प्रेरणा आज खास मौके पर हुई और इस अनुदान के लिये आज साढ़े पांच घंटे रखा गया जबकि पहले २ या ढाई घंटे से कभी ज्यादा नहीं रखा जाता था।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज जो नहरें बन रही हैं, क्या वह किसी विशेष जाति के लिये बन रही हैं? हमारी तरफ से एक साथी ने कहा कि पिछड़ी जाति वालों के पास थोड़े बहुत खेत हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन नहरों से उनमें सिंचाई होने वाली नहीं है? जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्पताल और औषधालय बनाये जा रहे हैं क्या उनमें जाने के लिये छोटे लोगों को रोका जा रहा है ?

जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है और टैक्स उन्हीं लोगों पर लगता है जो उसको देने के काबिल होते हैं, अमीर लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, गरीबों से नहीं, उस समय तो आपको शिकायत होती है कि टैक्स लगाया जा रहा है । लेकिन जब इर्रीगेशन का मसला आता है तो कहते हैं कि इसमें बहुत कम रुपया रखा गया है, ज्यादा होना चाहिये । हर मद जो आयी आपने हमेशा उसके लिये गालियां ही दीं, कभी यह न कहा कि इसमें से इतना रुपया कम कर दिया जाय और हरिजनों को दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने 'गालियां दीं' शब्दों का इस्तेमाल किया । आप उसे वापस लें ।

श्री मंगलाप्रसाद—मैं वापस लेता हूं । मैंने उस मतलब से कहा भी नहीं था । मेरा उससे मतलब नुक्ताचीनी से था ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो अपनी कांस्टीटुएंसी में जमीन दे दी है क्या वह उपजाऊ है या बंजर ?

श्री मंगला प्रसाद—वह उपजाऊ जमीन है । खेती भी होने लगी है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ये जो ग्रान्ट्स रखी गयी हैं वे उन सब से अलावा केवल हरिजनों के लिये रखी गयी हैं ।

जहां तक स्कालरशिप का सवाल है, हम भी देते हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी देती है । हम जो खर्चा करते हैं, केवल वह हमने आपके सामने रखा है । इसलिये यह कहना कि रुपया बहुत कम है, कुछ काम नहीं किया जा रहा है, मुनासिब नहीं है । जिस वक्त साढ़े पांच घंटे बहस की बात मैंने सुनी तो अन्दाज हुआ कि हरिजनों से बड़ी मुहब्बत हो गयी है, लेकिन कोई खास बात सामने नहीं रखी गयी । जैसा पहले २ घंटे में होता था, वही आज भी हुआ । किसी सदस्य ने कहा कि सिर्फ ५ करोड़ रुपया ही पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जा रहा है, वह गलत है, ६ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है । ५० हजार रुपया जो जमीन के ऊपर खर्च किया जा रहा है उस पचास हजार रुपये की जमीन हम लोगों से लेंगे । बल्कि उससे कहीं ज्यादा जमीन हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं । क्योंकि गांवों में जो गांव सभाएं हैं, गांव समाज हैं, वे भी काफी जमीन कोशिश करने से, प्रयास करने से मुफ्त दे देंगे । तो मैं आशा करता हूं कि ५० हजार रुपये होने से भी इस वक्त जहां जमीन बड़ी महंगी है और दिक्कत से मिलती है, जहां बंजर और खाली जमीन नहीं है, वहां एक्वायर करके, ऐसे लोगों को जिनको बहुत आवश्यकता है, देने का प्रयास करेंगे । ऐसे तो काफी जमीन बुन्देलखंड में, इलाहाबाद के जिले में, पीलीभीत, गोंडा और बहराइच के जिले में कुछ प्रयास करने से कोशिश करने से मिल सकती है, जिसके लिये कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी । तो मैं समझता हूं कि पहले साल हम जो यह कार्य कर रहे हैं, गालिबन आइन्दा और भी पैसा लगाया जा सकता है । लेकिन इससे हम केवल ५० हजार रुपये का ही काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि लाखों रुपये का काम करेंगे ।

हमारे माननीय श्री त्रिलोकीसिंह जी ने यह फरमाया कि केवल ६ लाख लड़के ही पढ़ते है जबकि पढ़ने वाले लड़के २५ लाख तक हैं । २५ लाख तो नहीं होंगे, लेकिन १२, १४, १५ लाख तक हो सकते हैं, लेकिन श्री त्रिलोकीसिंह जी को शायद यह नहीं मालूम है कि इसमें किसी के लिये कोई रुकावट नहीं है । ८-९ लाख लड़के भी पढ़ें तो उसके लिये हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है । इस बात की कोशिश की जाती है और इसका प्रयास किया जाता है कि उनके लड़के पढ़ें, इसके लिये हमारे सुपरवाइजर्स भी हैं, लेकिन वे शाई हैं और पिछड़े हुए होने

[श्री मंगलाप्रसाद]

की वजह से पढ़ने नहीं आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसका कारण यह भी है कि उनकी आर्थिक दशा खराब है। अगर १५ लाख लड़के पढ़ने लगें तो भी यही तरीका जारी रहेगा और पैसा बढ़ता चला जायगा। इसलिये हमारी तरफ से रुकावट की कोई बात नहीं है बल्कि वे खुद ही पढ़ने नहीं आते हैं। डेढ़ लाख रुपया जो एग्रीकल्चर के लिये रखा गया है, आपने बतलाया कि एक हजार में ७८५ हरिजन खेती करते हैं, मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांवों में जाता हूं और मुझे वहां का पूरा पता है।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैंने केवल यह कहा था कि एक हजार में ७८५ हरिजनों का लिवलीहुड खेती पर डिपेंड करता है, इसमें उनके स्त्री बच्चे भी शामिल हैं।

श्री मंगलाप्रसाद---उसके माने यह हैं कि उनकी जिन्दगी खेती पर निर्भर करती है लेकिन असल में वे खेती नहीं करते हैं, अगर हजार में ७८५ आदमियों के पास खेत होते तो जमीन के बंटवारे का हरिजनों के लिये कोई सवाल ही नहीं उठता। आज हरिजनों के पास बहुत कम खेत हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के एक हजार हरिजनों में से ७८५ की गुजर-बसर खेती पर है और २१५ की गुजर-बसर गैर खेती पर है। ७८५ में से ५२५ ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन है और २६० ऐसे है जो मजदूरी करते हैं और दूसरों की जमीन जोतते हैं।

श्री मंगलाप्रसाद---मैं इसको भी नहीं मानता, इसमें आंकड़ों का सवाल ही है। अगर आप की बात सही मान लें कि ५२५ आदमियों के पास अपनी खेती है तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हरिजनों के पास काफी जमीन हो जाती है और वह बहुत सुन्दर बात होती, लेकिन ऐसा है नहीं और मैं इसको नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि उन को दिक्कत है और उनके पास जमीन नहीं है और अगर नाम के लिये है तो वह ऐसे ही है कि वह किसी जमींदार की जमीन जोतते हैं और एक दो बीघा उस के एवज में उनको मिल गई है। अगर उनका हल वह नहीं जोतेंगे तो निकल जायगी, इस तरह की जमीन उनके पास हो सकती है, लेकिन वह भी बहुत कम होगी। पूरब में तो बहुत ही कम है, पच्छिम में थोड़ी-बहुत उन के पास हो सकती है।

छुआछूत के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि उसके लिये प्रोपेगेंडे की और हर तरह की कोशिश करने की जरूरत है कि वह न रहे और मैं मानता हूं कि अगर शिक्षा का प्रसार काफी जोर से हुआ, जिस तेजी से वह हो रहा है, अभी ५-७ साल पहले बहुत थोड़े हरिजन पढ़ते थे, लेकिन ५ साल में उनकी संख्या ६ लाख पहुंच गई है और आशा है कि अगले ५ साल में वह संख्या १२-१३ लाख तक पहुंच जायगी। जिस गांव में एक, दो, तीन एन्ट्रेंस पास लड़के हो जायं, वहां पर छुआछूत की प्रथा, जुल्म और ज्यादती की प्रथा अवश्य खत्म हो जायगी, क्योंकि वह खड़े हो कर लोगों का मुकाबला करेंगे। इसलिये मेरी कोशिश है कि शिक्षा में जितनी वृद्धि हो वह उतना ही आगे बढ़ने वाले हैं, वैसे ही उनकी छूत की बीमारी और दूसरी कमियां खत्म होने वाली हैं। यह बात सही है कि हरिजनों के पास जो जमीन गांवों में है, रहने के लिये, वह बहुत कम है। अक्सर यह होता है कि एक ही कमरे में दो-दो परिवार रहते हैं। लड़का भी रहता है, उसकी बीबी भी है, उसके माता-पिता भी हैं। यह सही बात है और इसीलिये जिस समय मैंने पिछले साल बजट में देखा कि कोई प्राविजन नहीं है जमीन लेने का, तो जितनी कोशिश मुझसे हो सकी वह मैंने किया और उस में मुझे कामयाबी भी हुई। और यह आसानी हो गयी है कि काफी जमीन इकट्ठा कर के हरिजनों के मकानों के लिये दिलवा सकूं।

कुछ सर्विस की बात कही गयी। एक-दो आंकड़े दे दूं। १९५४ में १६ नियुक्तियां हुईं पी० सी० एस० में, उस में चार हरिजन हुए, २५ फीसदी हुए। १९५५ में भी चार हुए २० में, १९५६ में १४ में तीन और १९५७ में २० में चार हुए। डिप्टी कलेक्टरों क

बारे में आंकड़े मिल गये हैं और लोगों के नहीं मिले हैं। पी० सी० एस० में इस वक्त ३५ हैं। ७.७ प्रतिशत अब हो गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्विसेज में बहुत से लोग बहुत पुराने हैं और जो यह तरक्की शिक्षा में इधर पांच, सात, आठ सालों में हुई है, इस तरक्की के बाद जहां उनको मौका मिलेगा, जो जगहें होती हैं उनमें प्रयास किया जाता है कि उनको पर्याप्त जगहें मिल जायं। जो आंकड़े पी० सी० एस० के मैंने दिये उसमें १४ फीसदी नहीं १८ फीसदी नहीं, बल्कि उससे अधिक मिला। इसलिये अधिक मिला कि वह जो पहले उनका परसेंटेज रहा है वह बहुत कम रहा है और अगर ज्यादा मिल जाय तो कोई बुराई नहीं। हम सब उसको वेलकम करते हैं। जहां तक और आंकड़ों का सवाल है जैसा मैंने कहा जहां मैं था कोआपरेटिव में अब तक वहां १८ फीसदी कम से कम जो हमारे अधिकार में था उनको मिलता रहा। और जो लोग जानते हैं उनको कोई शिकायत नहीं हो सकती। अपने विभाग में मैंने बहुत सी नियुक्तियां की हैं, मैंने क्यों, अधिकारियों ने की हैं। उसमें "बैकवर्ड" हैं २० प्रतिशत और शेडयूल्ड कास्ट्स हैं ४० प्रतिशत और ४० प्रतिशत में बाकी लोग हैं। इस तरह से सुपरवाइजर्स का, क्लर्क्स और चपरासी, सब का इसी तरह से हुआ। हम चाहते हैं काफी परसेंटेज उनका कर दें, कम से कम हरिजन विभाग में तो इसके बारे में शिकायत न हो।

श्री उग्रसेन—हरिजन वेलफेयर आफिसर प्रदेश में जो हैं इनमें क्या परसेंटेज है ?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरे आने के पहले यह था। ४४ मुकर्रर हुए थे उस में १४ हरिजन थे। करीब २९ परसेंट। और पहले ८ थे उसमें २ हरिजन थे। इस तरह से अब जब ५१ हैं उनमें १६ हो गये। माननीय पालीवाल जी ने बहुत जोर से कहा—कितने प्रधान मंत्री, कितने मंत्री, कितने कमिश्नर, कितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, गरज कि ऊपर से नीचे तक सब कह डाला, कोई बाकी नहीं रहा। वह हमारे बुजुर्ग हैं, वैसे तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन वह भूल गये कि कमिश्नर जो होते हैं वह कम से कम १५, २० वर्ष की सर्विस के बाद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी डिप्टी कलेक्टर होने के बहुत जमान क बाद हो सकते हैं। जो आई० सी० एस० या आई० ए० एस० होते हैं वह भी सीधे नहीं होते डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।

जो शिक्षा की तरक्की हो रही है, यह बहुत चन्द रोजा है और मेरा खयाल है कि आइन्दा ५ वर्ष के अन्दर जो तरक्की होने वाली है, जो स्तर हमारे हरिजनों का ऊंचा होने वाला है, जो उभार आने वाले हैं उससे हम और आप दबेंगे। अभी वह डरते हैं, शाई हैं, कमजोर समझते हैं। इसलिये ऐसी बात है। वरना जहां कहीं ज्यादती हो रही है, बेगार की बात कही गई, मैं नहीं जानता कहीं ऐसा है, मुझे तो देखने को मिला नहीं कि कहीं बेगार ली जाती हो।

श्री उग्रसेन—हमारे यहां तो है।

श्री मंगलाप्रसाद—हां, तो आप के यहां होती होगी चूंकि आप हैं। मेरे इलाके में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी से आता हूं जहां हरिजन ज्यादा हैं ...

श्री भूपकिशोर—भटनागर साहब जो हमारे यहां कलेक्टर हैं वह सीधे हुए हैं या एस० डी० एम० हो कर हुए हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह आप जानें। लेकिन यह मैं जानता हूं कि कलेक्टर हुए होंगे तो कम से कम १०, १२ वर्ष की सर्विस के बाद हुए होंगे।

श्री भूपकिशोर—मुश्किल से उनकी २७ साल की उम्र होगी।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें। कृपा कर सदन में शान्ति रखें।

श्री मंगला प्रसाद---मैं तो समझता हूं कि जितनी यहां बातें कही गईं उनका कोई स्थान नहीं था। यह सही है कि मैं यह नहीं क्लेम करता कि हरिजनों की समस्यायें हल कर दीं। हम यह भी क्लेम नहीं करते कि उनको दिक्कतें नहीं हैं, परेशानियां नहीं हैं। शायद जितना मैं महसूस करता हूं उतना बहुत से लोग जिन्होंने यहां भाषण किये, नहीं महसूस करते होंगे। हाई कोर्ट ने हमको शूद्र करार दिया है, फतवा भी है। लेकिन मैंने अपनी इच्छा से हरिजन विभाग लेने की कोशिश नहीं की और न मेरी इच्छा है। मैं किसी भी जगह रहूं, जो जगह मिल जायगी, मैं सेवा करने के लिये तैयार रहूंगा।

मैं कहना चाहता हूं मेरी कोशिश होगी कि हरिजनों के उत्थान के लिये, उनके अन्दर उभाड़ पैदा करने के लिये उनको निडर बनाने के लिये, उनके अन्दर एक नई चेतना पैदा करने के लिये जितना मुझ से हो सकेगा मदद करूंगा और थोड़े दिनों के बाद आप को यह मालूम होगा कि वह हरिजन जो आज दबा हुआ है, जिसमें उभाड़ नहीं है वह किस हद तक आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं सदन मेरी मांग को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०---लेखा शीर्षक ५७---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत १,४६,६४,५०० रुपये की मांग में १ रुपये की कटौती स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में--- १७,

विपक्ष में---६५।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--- लेखा शीर्षक ५७--- प्रकीर्ण के अन्तर्गत १,४६,६४,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर सोमवार, २४ मार्च, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ मार्च, १९५८।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० १९ ;ल० ८०---१९५८---८३५।